खण्ड-129, अंक-2
शुक्रवार, 23 माघ, शक संवत् 1875
(12 फरवरी, 1954 ई0)

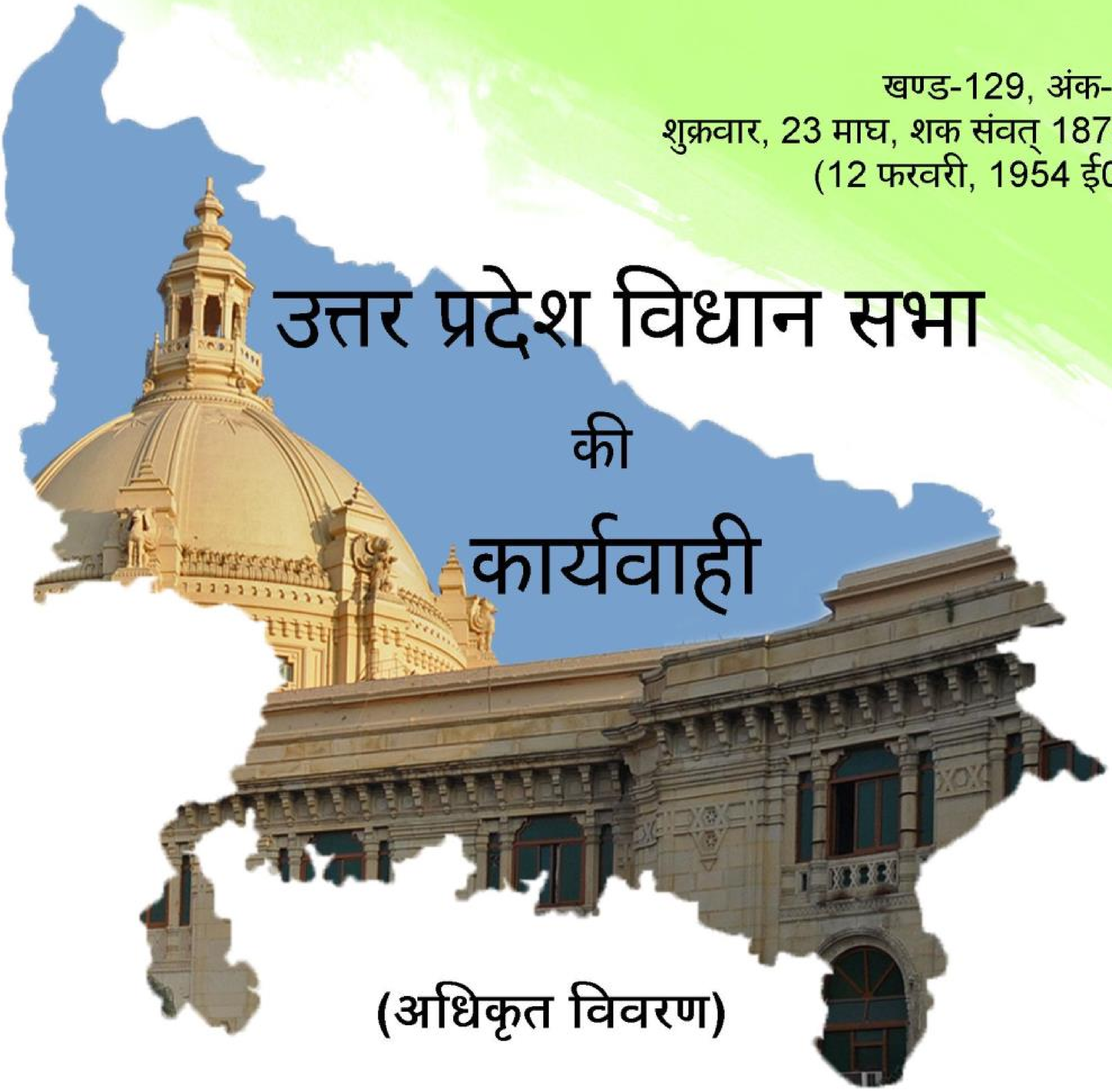

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 129 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५१ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमिव्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधन (प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी)	४५–४६
उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की) (पंचम) आज्ञा, १९५३ (प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी)	४६
रेवेन्यू कोड मैन्युअल के अध्याय ४ के नियम १६३ में किये गये संशोधन (प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी)	४६
उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३ (प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया)..	४७
सदन का भावी कार्य-क्रम	४७
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (विवाद जारी) ..	४७–९८
नत्थियां	९९–१०९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १२ फरवरी, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मन्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५१)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहरहुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पाँडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह, यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले
उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवपाँडेय, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाँडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगुल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
बेचन राम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह,श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पाँडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहाँ मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री

सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाँडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवन्ती नन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

झांसी की रानी के नाम पर महल स्मारक में परिवर्तन

*१—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को इस बात का पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के महल इस समय पुलिस के कब्जे में हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—जी हां।

*२—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार इन महलों को पुलिस के क़ब्जे से निकाल कर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर १८५७ की स्मृति को बनाये रखने के लिये कोई म्युजियम खोलने की बात पर विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम—भारत सरकार ने उक्त महल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का निश्चय किया है। अतः महल भारत सरकार के अधिकार में चला जायेगा। अब राज्य सरकार द्वारा कोई संग्रहालय खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यू० पी० गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट में इस मामले पर कोई करेस्पान्डेन्स समझौते के आधार पर हुई है कि उसे उस सरकार को दे दिया जाय ?

डाक्टर सीताराम—भारतीय संविधान के आर्टिकिल २४६ (७) शेड्यूल आइटम नम्बर ६७ के अनुसार भारतीय सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी मानूमेंट को ले सकती है। इसी आधार पर यू० पी० की सरकार ने भी यह निर्णय किया है कि इस मानूमेन्ट को भारत सरकार ले ले।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार की कोई लिखा-पढ़ी निश्चित रूप से इस विषय को लेकर हुई है या नहीं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, हुई है।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो लिखा-पढ़ी हुई है उसके हिसाब से केंद्रीय सरकार इन महलों को कब से लेने और संग्रहालय खोलने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम---यह प्रश्न आज यू० पी० सरकार अपने विचार में रखती है कि जब तक वहां पर कोतवाली की स्थापना नहीं कर दी जायगी, यह महल भारतीय सरकार के अधिकार में नहीं जायेगा। उसके लिये यू० पी० सरकार सोच रही है कि कोतवाली कब बनाई जाय।

रायबरेली जिले में १९५१ से १९५३ तक घटित डकैतियां और कत्ल

*३---श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में पिछले तीन साल में कुल कितनी डकैतियां और कत्ल हुये ?

*४---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितनी डकैतियां व कत्ल ऐसे हैं जिनका पता नहीं चला तथा कितने केस छूट गये और कितने सजायाब हुये ?

गृहमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मांगी गयी सूचना संलग्न नक्शे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९९ पर)

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात पर विचार किया है कि रायबरेली जिले में इस नक्शे के देखने से मालूम होता है कि वहां पर चोरी-डकैतियों और हत्याओं की संख्या सन् १९५३ से अधिक बढ़ रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सन् १९५१ में संख्या ३९ थी और सन् १९५३ में २७। इससे तो कोई बढ़ती मालूम नहीं होती है।

श्री रामेश्वर प्रसाद---यदि माननीय मंत्री जी सन् १९५२ का रिकार्ड देखें जैसा कि उस नक्शे में दिया हुआ है उससे तो यही प्रतीत होता है। इसलिये जो यह बढ़ोत्तरी हो रही है क्या इसके कारण पुलिस के कर्मचारी ही हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर बढ़ा भी हो फिर भी ऐसा कोई प्रमाण तो मिलता नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी पुलिस पर है, क्योंकि अगर माननीय सदस्य देखें कि कितने मामले अदालत में हैं और कितने आदमी गिरफ्तार हुये इससे तो यही प्रतीत होता है कि पुलिस वाले तत्परता से कार्य कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन आंकड़ों का आधार केवल थानों में लिखित फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्ट्स हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार के पास तो और कोई साधन जानने का है नहीं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास वह आंकड़े भी हैं जिन डकैतियों और कत्लों की सूचना सीधे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस या अदालतों को इस्तगासों द्वारा दी गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हमारे पास जो सूचना आती है वह सीधे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास से आती है। उन्हें जितने भी साधनों से सूचनायें मिलती होंगी उन सबको वे एक में सम्मिलित करके हमारे पास भेजते होंगे।

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डकैतियों और कत्लों के ज्यादातर छूट जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं इसका ठीक कारण नहीं बतला सकता सिवाय इसके कि ठीक तरीके से स्थानीय गवाहियां न मिल सकी होंगी।

राज्य में आर्म्ड प्रोटेक्शन पुलिस

*५—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में कितने ऐसे A. P. P. (आर्म्ड प्रोटेक्शन पुलिस) कार्य कर रहे हैं जिनको मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग नहीं मिली ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्तर प्रदेश पुलिस में आर्म्ड प्रोटेक्शन पुलिस नाम की कोई संस्था नहीं है ।

*६—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री इन A. P. P. को मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग देने का विचार रखते हैं या इनकी सेवाएं ख़त्म करके इनकी जगहों पर मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग प्राप्त A. P. P. रखना चाहते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार एवं बेकार व्यक्तियों की संख्या

*७—श्री अनन्त स्वरूप (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसकी ओर से ऐसे आंकड़े इकट्ठा किये गये हैं कि इस राज्य में कितने व्यक्ति बेरोजगार एवं बेकार हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार ऐसे आंकड़े इकट्ठा करवाने का विचार करती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ये आंकड़े तो आवश्यक हैं परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा यह विषय हमारे संविधान की कांकरेंट सूची में है , यानी केंद्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार दोनों के क्षेत्र में आता है। प्लानिंग कमीशन ने निश्चय किया है कि इस सम्बन्ध के आंकड़े संग्रह किये जायं और वह इस संबंध में तैयारी कर रहा है। ताकि एक ही काम को दो तरफ से न किया जाय, इसलिये प्रादेशिक सरकार इस सम्बन्ध में प्रयत्न नहीं कर रही है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो आंकड़े प्लानिंग कमीशन के उस निश्चय के अनुसार इकट्ठे हो रहे हैं उनकी सूचना प्रान्तीय सरकार को मिला करती है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक प्लानिंग कमीशन की बात है मेरा ऐसा ख़याल है कि अभी तक तो ऐसे आंकड़े उनके पास आये नहीं हैं। उन्होंने एक योजना बनायी है लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि जिस वक्त आंकड़े एकत्रित होंगे तो प्रादेशिक सरकार को प्राप्त होंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—ये आंकड़े कब तक इकट्ठे हो सकेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इसका बिल्कुल उत्तर नहीं दे सकता। इसका उत्तर तो प्लानिंग कमीशन से संभवतः पार्लियामेंट में ही पूछा जा सकता है।

*८—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—[इस प्रश्न का उत्तर ११ फरवरी, १९५४ को संख्या ४ के अन्तर्गत दिया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न ५ से ७ तक श्री नेकराम शर्मा ने पूछे।

मगौरा ग्राम, जिला मथुरा में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

*९--श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार को ज्ञात है कि ९ जुलाई, १९५३ को मगौरा ग्राम, जिला मथुरा में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग में स्थानीय पुलिस ने लाठी चार्ज किया और मीटिंग नहीं होने दी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पुलिस ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया और न मीटिंग करने में कोई रुकावट डाली।

*१०--श्री मलखान सिंह--क्या सरकार ने उपर्युक्त मामले की कोई जांच अभी तक की है ? अगर हां, तो सरकार किस नतीजे पर पहुंची ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। जांच करने से पता चला कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने ग्राम मगौरा में ९ जुलाई, सन् १९५३ को एक मीटिंग की। उसी समय पुलिस का एक सिपाही अपने लड़के को ढूंढ़ने के लिये उधर से गुजरा। पार्टी के एक आदमी ने उसको बुरा-भला कहा। इस पर भीड़ के कुछ लोग सिपाही की तरफ हो गये और वाद-विवाद बढ़ गया। थानेदार ने घटनास्थल पर पहुंच कर लोगों को शांत किया। तत्पश्चात् पार्टी की मीटिंग हुई।

श्री मलखान सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जहां पर मीटिंग हुई वहां और उस थाने में कितना अन्तर है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस जमीन की नाप का तो मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है।

श्री मलखान सिंह---क्या पुलिस को इस मीटिंग की पहले से कोई इत्तिला थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस मीटिंग की सूचना जब अधिकारियों को पहले से थी, तो मीटिंग में गड़बड़ी न हो इसके लिये सरकार की ओर से क्या प्रबन्ध था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार की ओर से पूरा प्रबन्ध था, इस वास्ते कि शुरू में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। वह तो पुलिस कांस्टेबिल अपने लड़के को ढूंढ़ता हुआ वहां चला गया था। कुछ लोगों ने उसको गाली देना शुरू कर दिया। इस पर कुछ आदमी कांस्टेबिल के पक्ष में हो गये जिसके कारण थोड़ी गड़बड़ी हो गयी। कुछ देर में थानेदार वहां पहुंच गये और उन्होंने शांति स्थापित कर दी और मीटिंग होती रही। यह इस बात का सबूत है कि पुलिस उस मामले में सतर्क थी।

श्री मलखान सिंह---क्या यह बात सही है कि उसी मीटिंग में दफा १०७/११७ में श्री शिवलाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी सूचना की मुझे आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---इस घटना की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक मैजिस्ट्रेट को इस काम के लिये भेजा और उसका नाम इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि शिवलाल सिंह का जो जिक्र किया गया है, उन्होंने इस केस में झूठी चोटें बना कर के दावा दायर किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो उन्होंने दावा दायर किया है उसमें उन्होंने झूंठी रिपोर्ट की है या सच रिपोर्ट की है, इसके बारे में मैं समझता हूं कि मुझको कोई राय नहीं देना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सभा में जो मारपीट हो गयी उसमें कितने आदमी घायल हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बेचारा एक तो कांस्टेबिल था और पी० एस० पी० के बहुत से आदमी थे, लेकिन फिर भी उसको ज्यादा घायल नहीं कर सके। इसके अलावा मैं और क्या बताऊं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस कांस्टेबिल से मारपीट हुई उसका कोई मुलाहिजा अस्पताल में हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने कहा कब कि उसके बहुत ज्यादा चोट आयी कि अस्पताल में मुलाहिजा का सवाल होता। उस ग़रीब का लड़का खो गया यही बहुत काफ़ी था उसके लिये।

सुल्तानपुर जिले में १९५१-५२ एवं ३० नवम्बर, १९५३ तक घटित डाकों तथा कत्लों की संख्या

*११---श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सुल्तानपुर जिला में क्रमशः १९५१-५२ तथा ३० नवम्बर, तक १९५३ में कुल कितने डाके पड़े और कितने कत्ल हुये ?

*१२---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त अपराधों म कितने लोग पकड़े गये और कितने दण्डित हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी गई सूचना संलग्न नक्शे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०० पर)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार ऐसे आंकड़े इकट्ठा करवाने का विचार करती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ये आंकड़े तो आवश्यक हैं परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा यह विषय हमारे संविधान की कांकरेंट सूची में है, यानी केंद्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार दोनों के क्षेत्र में आता है। प्लानिंग कमीशन ने निश्चय किया है कि इस सम्बन्ध के आंकड़े संग्रह किये जायं और वह इस संबंध में तैयारी कर रहा है। ताकि एक ही काम को दो तरफ से न किया जाय इसलिये प्रादेशिक सरकार इस सम्बन्ध में प्रयत्न नहीं कर रही है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो आंकड़े प्लानिंग कमीशन के उस निश्चय के अनुसार इकट्ठे हो रहे हैं उनकी सूचना प्रान्तीय सरकार को मिला करती है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक प्लानिंग कमीशन की बात है मेरा ऐसा खयाल है कि अभी तक तो ऐसे आंकड़े उनके पास आये नहीं हैं। उन्होंने एक योजना बनायी है लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि जिस वक्त आंकड़े एकत्रित होंगे तो प्रादेशिक सरकार को प्राप्त होंगे।

श्री नेकराम शर्मा—ये आंकड़े कब तक इकट्ठे हो सकेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इसका बिल्कुल उत्तर नहीं दे सकता। इसका उत्तर तो प्लानिंग कमीशन से संभवतः पार्लियामेंट में ही पूछा जा सकता है।

*१३—श्री रणंजयसिंह—[स्थगित किया गया।]

कम्युनिस्ट नेता श्री जयबहादुर सिंह की नजरबन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री झारखंडे राय जी ने एक काम रोको प्रस्ताव इस विषय पर भेजा कि श्री जय बहादुर सिंह, एक सुप्रसिद्ध नेता, कम्युनिस्ट नेता बहुत दिनों से नजरबन्द रखे गये हैं और यह अनुचित है, ऐसा उनका कहना है। इसलिये उसके ऊपर विचार करने के लिये वह कार्य स्थगन करना चाहते हैं।

एक तो साधारणतया इसका सम्बन्ध व्यवस्था से है, ऐडमिनिस्ट्रेशन से है। इसलिये भी नहीं लिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर उनको कोई आपत्ति है तो इस विषय में जो आज वाद-विवाद होगा उसमें वह चर्चा भी कर सकते हैं। अभी उसकी अर्जेंसी ऐसी नहीं होती कि कामरोको प्रस्ताव द्वारा ही उसके ऊपर विवाद हो।

अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों का नाम-निर्देशन

श्री अध्यक्ष—अधिष्ठाता मण्डल के लिये निम्न सदस्य मैं मनोनीत करता हूं—

१—श्री बेचनराम गुप्त,
२—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी),
३—श्री कालिका सिंह,
४—श्री महीलाल,
५—श्रीमती प्रकाशवती सूद,
६—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल,
७—श्री सुल्तान आलम खां,
८—श्री सुरेशप्रकाश सिंह,
९—श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी, और
१०—श्री मलखान सिंह।

विशेषाधिकार समिति के सदस्यों का नाम-निर्देशन

श्री अध्यक्ष—विशेषाधिकार समिति के लिये मैं निम्न सदस्य मनोनीत करता हूं—

१—श्री हरगोविन्द पन्त, उपाध्यक्ष (सभापति),
२—श्री चरण सिंह, राजस्व मंत्री,
३—श्री फूल सिंह, योजना उप-मंत्री,
४—श्री आचार्य जुगल किशोर,
५—श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव,
६—श्री राधामोहन सिंह,
७—श्री अब्दुल मुईज खां,
८—महाराजकुमार बालेन्दुशाह,
९—श्री रामनारायण त्रिपाठी, और
१०—श्री गेंदा सिंह।

याचिका समिति के सदस्यों का नाम-निर्देशन

श्री अध्यक्ष--याचिका समिति के लिये ये सदस्य मैं मनोनीत करता हूं--

१--श्री हरगोविन्द पन्त,
२--श्री विष्णु शरण दुब्लिश,
३--श्री गंगा प्रसाद सिंह, (बलिया)
४--श्री इतिजा हुसैन, श्री
५--श्री नारायण दत्त तिवारी।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २१ दिसम्बर, १९५३, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ दिसम्बर, १९५३, की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ३० दिसम्बर, १९५३, को प्राप्त हो गयी और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का ३१वां अधिनियम बन गया।

१९५३-५४ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

गृह-मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--मैं उत्तर प्रदेश सरकार के १९५३-५४ वित्तीय वर्ष के द्वितीय अनुपूरक अनुदान उपस्थित करता हूं।

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अनुसार वाहन विभाग की विभिन्न विज्ञप्तियां

गृहमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--मैं मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ५४२७-टी० पी०/३०--१४२-टी०-५१, दिनांक २२ अक्तूबर, १९५३ ई०, संख्या ६२५४-टी० पी०/३०--१४२-२२-टी-५१, दिनांक २ जनवरी, १९५४ ई०, संख्या ७४११-टी० पी०/३०--१४२-३३-टी०-५२, दिनांक ६ जनवरी, १९५४ ई० तथा संख्या ६०५३-टी० पी०/३०-१४२ टी०--४३-५३, दिनांक ६ जनवरी, १९५४ ई०, जिनसे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

१९५१ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधन

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--मैं सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ (४) के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई १९५१ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधन, जो माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८०६६/१-अ०--१६९९-१९५३, दिनांक २९ दिसम्बर, १९५३ ई० के अधीन उक्त दिनांक के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित किये गये, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उक्त विधेयक में इस बात का प्राविजन किया गया है, हम चाहते हैं कि यह जो नियम रखे गये हैं उन पर वाद-विवाद के लिये कुछ समय रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—हमने भी सरकार को सूचना में लिखा है कि कोई ऐसा भी दिन होना चाहिये जैसी कि आवश्यकता है, कि सदन की राय ली जा सके। ऐसा कोई दिन नियत किया जाय। अभी उत्तर नहीं आया है, लेकिन सम्भव है कि माननीय राजस्व मंत्री कोई निर्णय करके दिन भी इसके लिये देंगे।

श्री चरण सिंह—मेरे पास जो आप के दफ्तर से काग़ज गया है वह पहुंचा नहीं है। वैसे कानून में इन नियमों के लिये यह लिखा हुआ है कि वह सदन की मेज पर रखे जायंगे और सदन उन पर १४ दिन के अन्दर कोई विचार प्रकट करना चाहेगा तो कर सकता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आप जब कोई दिन मुकर्रर करना चाहेंगे वह हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—तो शायद वह बीच में लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में अटका होगा। उसके जरिये से आप के पास आयेगा। मैं उसका ख्याल करूंगा।

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की) (पंचम) आज्ञा, १९५३

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४२ (३) के अनुसार श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की) (पंचम) आज्ञा, १९५३ ई० को जो माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६३४८/१-अ०—१६६१-१९५३, दिनांक ३० दिसम्बर, १९५३ ई० के अधीन उक्त दिनांक के असाधारण गजट में प्रकाशित की गयी, सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री राम नारायण त्रिपाठी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—वह तो मैंने कह ही दिया है कि सभी के लिये वह होगा। बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—बहुत सी चीजें मेजों पर हैं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—किस किसकी सीट पर नहीं है?

कई सदस्य—कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष—बहुत से कागजात फुटकर होते हैं, शायद पहचानने में भी नहीं आते होंगे।

श्री चरण सिंह—मेरी मेज पर तो है।

श्री अध्यक्ष—आप साथ भी तो ला सकते हैं उनको। तो यह समझ लिया जाय कि मेज पर है और मैं भेजवाये देता हूं।

रेवेन्यू कोड मैन्युअल के अध्याय ४ के नियम १६३ में किये गये संशोधन

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा २३४ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा ३४४ के अधीन रेवेन्यू कोड मैनुअल के अध्याय (चैप्टर) ४ के नियम १६३ में किये गये संशोधन जो माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७२-१—अ० ५१६/४८, दिनांक ९ सितम्बर, १९५३ ई० के अधीन १२ दिसम्बर, १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित किये गये, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०१–१०९ पर)

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि माननीय रामनरेश जी अपना प्रस्ताव उपस्थित करें, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अगली २० तारीख तक वह क्या कार्यक्रम रखना चाहती है ?

गृहमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि आज शाम तक इसकी बाबत हम बतला सकेंगे।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—अब श्री राज्यपाल के सम्बोधन पर विवाद जारी होगा। माननीय रामनरेश शुक्ल अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। उनके लिये २५ मिनट का समय है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं—

> "उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के सदस्यों को दिया है, हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हैं।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर मैं कुछ कहूं मैं आपके द्वारा इस बात के लिये दुःख प्रकट करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के आने पर जो एक घटना कल सदन में हुई.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वह प्रस्ताव का कोई अंग नहीं है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होना चाहिये।

श्री रामनरेश शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी उन भावनाओं का सम्बन्ध है आपने और सदन ने उसको पूरी तौर से समझ लिया है। उसको मैं वहीं छोड़ करके माननीय राज्यपाल महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का संकेत किया है कि राज्य में हमारी पंचवर्षीय योजना ने कितनी प्रगति की है। यह बात निश्चित है कि हमारा प्रान्त एक कृषि प्रधान प्रान्त है। उसके अन्दर कृषि की उन्नति की तरफ इस सरकार का विशेषरूप से ध्यान है और इसको देखते हुये कि इस राज्य में पिछले वर्ष से और आज तक कितनी उन्नति हुई है राज्य की प्रगति का अन्दाजा लगाया जा सकता है। कृषि के लिये सिंचाई का साधन होना सबसे अधिक जरूरी है और इस संबंध में सिंचाई के लिये सैकड़ों मील नहरों का प्रबन्ध किया गया जिसके द्वारा हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो गयी है। इसके अतिरिक्त नये नये नलकूपों की भी रचना की गई है जिससे खेती की सिंचाई का समुचित प्रबन्ध हुआ है। उन्होंने यह भी संकेत किया है कि पावर हाउसेज का निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा बिजली प्राप्त हो सकी है और बिजली को नलकूपों में प्रयोग करके सिंचाई के साधन में सुविधा प्राप्त हुई है।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

इसके अतिरिक्त राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में यह भी है कि पिछले वर्ष २ अक्तूबर को दस और गणतन्त्र दिवस के दिन इस वर्ष २४ नये नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक्स स्थापित हुये हैं। इसके अतिरिक्त यह संकेत भी मिला है कि आगे आने वाले समय में प्रत्येक जिले में कम से कम एक कम्यूनिटी प्रोजेक्ट या एक नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक स्थापित हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय, यह नहीं हुआ है बल्कि केंद्र से पंचवर्षीय योजना में एक बराबर का हिस्सा प्रत्येक प्रान्त को द्रव्य के रूप में दिया जाता है लेकिन जहां तक इस राज्य का संबंध है हमने एक ऐसी नयी प्रणाली और एक नया विचार श्रमदान आन्दोलन को लाकर के पैदा किया है, जिससे यह पंचवर्षीय योजना अब पीपुल्स प्लान में परिणत हो गई है। आज यदि गांवों के अन्दर देखा जाय तो प्रत्येक जिला ही नहीं, बल्कि प्रत्येक गांव और प्रत्येक व्यक्ति पंचवर्षीय योजना में सहयोग देने के लिये यथाशक्ति अपने श्रमदान से अपने प्रयत्नों से इसमें लग गया है और आज की पंचवर्षीय योजना जो समस्त भारतवर्ष में फैली हुई है, जहां तक इस राज्य का सम्बन्ध है, वह एक पीपुल्स योजना का स्वरूप धारण कर चुकी है। अध्यक्ष महोदय, जिस राज्य के अन्दर जिस योजना में सरकार और जनता का इतना निकट का सम्बन्ध और सहयोग हो, उसमें यह निश्चित ही है कि जैसी अब तक सफलता प्राप्त हुई है उत्तरोत्तर भविष्य में भी सफलता प्राप्त होती जायगी और वह दिन दूर नहीं है जब कि पंचवर्षीय योजना के, जिसे हम उत्तर प्रदेश में पीपुल्स योजना कहते हैं, फलस्वरूप प्रतिदिन देश की उन्नति बढ़ती जायगी। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने कृपा करके इस तरफ भी संकेत किया है और इसलिये उन्होंने इस राज्य की शान्ति व्यवस्था की तरफ भी ध्यान दिलाया है और अपने सम्बोधन में उन्होंने गत वर्षों की सरकार की सफलताओं की तरफ ध्यान दिलाया है। उसमें उन्होंने यह बताया कि चरना, महाबीर और मेंहदी ऐसे कुख्यात डाकुओं का इस सरकार ने उन्मूलन किया। यह सत्य है, अध्यक्ष महोदय, कि जिन जिलों ने या जिन क्षेत्रों ने इन डाकुओं के अन्याय का मुकाबला किया इनके हट जाने से उनको बड़ी शान्ति, आराम और सुख मिला। मेंहदी डाकू जिसका नाम श्री राज्यपाल ने लिया है वह प्रतापगढ़, इलाहाबाद और नजदीक के जिलों में डाके डाल कर लोगों की हत्या किया करता था। किन्तु राज्य सरकार की बहादुर पुलिस ने मेंहदी को समाप्त करके उस इलाके में जो शान्ति पहुंचाई है उसके लिये उन क्षेत्रों की जनता इस सरकार की आभारी है। अध्यक्ष महोदय, जिस विशेष बात का राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बन्ध में संकेत किया है उसके लिये हम विश्वास करते हैं कि इस राज्य की शान्ति व्यवस्था सदा के लिये स्थिर हो जायगी।

स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात्, अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक होता है कि शान्ति और सुरक्षा कायम करने के लिये सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ जनता का भी पूर्ण रूप से सहयोग मिलता रहे और इस तरफ इस राज्य की सरकार पूर्ण रूप से सचेष्ट है। उन्होंने यह ठीक ही सोचा और जिसका परिणाम भी अब अच्छा मिल रहा है कि प्रत्येक ग्राम के अन्दर ग्राम रक्षा समिति की स्थापना हुई है। विलेज डिफेन्स सोसाइटी को कायम करके जनता को इस बात के लिये सचेष्ट किया है कि वह अपनी रक्षा करने के लिये सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ प्रति क्षण, प्रति दिन और प्रति रात तैयार रहें और आज इस राज्य के अन्दर अध्यक्ष महोदय, यह देख कर प्रसन्नता होती है कि शायद भारतवर्ष का यह पहला राज्य है जो शान्ति व्यवस्था ऐसी नाजुक महकमों की तरफ भी जनता का उतनाही सहयोग लेना चाहता है जितना कि वह पंचवर्षीय योजना में जनता के सहयोग का इच्छुक है। ग्राम रक्षा समितियों का निर्माण करके, गांव के जवान और बहादुर लोगों को इकट्ठा करके और उनको रक्षा के लिये ट्रेनिंग देकर के इस राज्य सरकार ने एक बहुत लम्बी योजना का प्रसार किया है और इसके फलस्वरूप यद्यपि इस योजना को कार्यान्वित हुये अभी बहुत दिन नहीं हुये लेकिन जो समाचार मिले हैं उनसे अच्छा फल दिखलाई पड़ने लगा है। अभी दो चार दिन पहले अलीगढ़

से एक समाचार मिला है। वह पत्रों में भी छपा है कि एक बहुत मशहूर डाकुओं का गिरोह आधुनिक अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित एक गांव के ऊपर डाका डालने जा रहा था। उस गांव की रक्षा समिति के एक सदस्य को उसकी सूचना मिली और उसने अपने गांव की रक्षा समिति के सदस्यों को उसकी इत्तिला दी और इतना ही नहीं किया--पड़ोस की रक्षा समितियों को भी इत्तिला दी कि वे आकर के उस गांव की रक्षा समिति की सहायता करें और परिणामस्वरूप उन्होंने एक फौजी तरीके से गांव के अन्दर घेरा डाला और जब डाकुओं ने गांव पर हमला किया तो उन्होंने इस तरीके से मुकाबला किया कि जहां तक मुझे याद पड़ता है उसमें २ डाकू काम आये और दो घायल हुये और बाक़ी सब पकड़े गये। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने गांव रक्षा दल का अपने सम्बोधन में जो संकेत किया है वह पुलिस के तरीके से काम कर रहा है और आज हम ठीक माने में यह बात महसूस करने लगे हैं कि जहां तक शान्ति स्थापन करने की बात है उसमें जनता का सहयोग, जनता का बल लेकर यह सरकार आगे चलना चाहती है। इसके अतिरिक्त हम इस बात के लिये भी राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने सम्बोधन में जो यह संकेत किया है कि पिछले विद्यार्थी आन्दोलन को, जिसको कुछ पार्टियों ने अपने हित में लगाने का प्रयत्न किया, इस सरकार ने इसका बहुत होशियारी और सतर्कता के साथ मुकाबला किया कि उसको देखकर न केवल आज हर्ष होता है, बल्कि वह भावना जो विद्यार्थियों को उन दिनों पीछे ले जाने वाली थी उस भावना को अब इस प्रकार से सोचने लगे हैं कि सम्भवतः उन्होंने पिछले दिनों गलती की थी। उस समय पुलिस ने न केवल शान्ति स्थापना रखी बल्कि वह षड्यन्त्र जो यदि इस प्रान्त में सफल होते तो राज्य के अन्दर एक अराजकता फैल जाती उसका पूरी तरह से मुकाबला किया और उसका मुकाबला करके यहां पर शान्ति स्थापना की।

इसके अतिरिक्त हम इस बात के लिये भी राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का संकेत किया कि हम अपने प्रान्त की शिक्षा प्रणाली में ध्यान देने जा रहे हैं। सचमुच हमारे देश में प्रारम्भ में हमारी शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसे रास्ते पर थी कि यदि उसका सुधार न किया जाता तो भविष्य में उसका बुरा परिणाम होता। आज यह देखकर संतोष होता है कि राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में इस बात का संकेत किया है कि सरकार शिक्षा पद्धति में एक विशेष परिवर्तन करने जा रही है। जैसा कि उससे संकेत मिलता है कि स्कूलों में कुछ जमीन लगाकर विद्यार्थियों को खेती-बारी और बाग-बगीचे का काम सिखा कर उनको न केवल टैक्नीकल शिक्षा देकर बल्कि उसके द्वारा कुछ पशु पालन की शिक्षा देने की भी कुछ योजना है। इस प्रकार से राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में शिक्षा पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन करने की बात कही है। यह बड़े सन्तोष का विषय है और हम इसके लिये उनको धन्यवाद देते हैं।

इसके अतिरिक्त यह भी एक बड़े संतोष का विषय है कि राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में इस बात का भी जिक्र किया है कि उनकी सरकार गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बनारस को एक यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक इस सदन के समक्ष लाने का विचार कर रही है। यह सही है कि पहले इस देश में संस्कृत का बहुत अधिक प्रचार था परन्तु अब उसकी आवश्यकता है और उसका प्रचार होने से जो यहाँ पर बुराइयां हैं वे दूर हो जायंगी। यह सरकार इस ओर सचेष्ट है। वह संस्कृत का एक विश्वविद्यालय खोलकर बनारस को फिर से वही स्थान देने जा रही है जो पुराने जमाने में उसको प्राप्त था और जहां से संसार के लोग आकर शिक्षा पाते थे और संसार के सारे देशों ने वहीं से ज्ञान प्राप्त किया था। वहां एक संस्कृत विश्वविद्यालय का कानून बनाकर और उसकी स्थापना का जो संकेत अपने सम्बोधन में राज्यपाल जी ने किया है उसके लिये भी हम उनके आभारी हैं।

राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में इस बात का भी संकेत किया है कि हिन्दू पूजा-स्थानों के शासन के लिये एक अफसर मुकर्रर किया गया है और उसकी रिपोर्ट आने पर

[श्री रामनरेश शुक्ल]

इस बात का विचार किया जायगा कि इन पूजा-स्थानों का शासन किस प्रकार चलाया जाय और उनमें जो द्रव्य अपव्यय होता है उसे किस प्रकार दूर किया जाय। इस प्रकार की इस राज्य की जनता की बहुत दिनों से मांग थी। यह उचित भी है कि सम्बोधन में इस बात का संकेत मिला है कि सरकार इस ओर ध्यान दिये हुये हैं। यह बात एक स्वराज्य प्राप्त देश के लिये आवश्यक प्रतीत होती थी कि उसके देवालयों में जो धन आता हो उसका ठीक से व्यय हो।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में इस बात का भी संकेत किया है कि सरकार ने भूमि संबंधी कई उत्तम कानून बनाये हैं। जहां तक भूमि व्यवस्था का संबंध है, ऐसे लाभदायक कानून किसी प्रदेश की सरकार ने नहीं बनाये हैं। यदि उन संशोधनों को देखा जाय जो कि जमीदारी उन्मूलन कानून में हुये हैं तो उनसे केवल एक ही बात का पता चलता है कि इस राज्य की सरकार केवल इस बात के लिये चिन्तित है कि किस प्रकार से जमीन का मालिक वही हो जो कि जमीन में काम करता हो। जमींदारी उन्मूलन कानून के बाद भी यदि वे संशोधन न हुये होते जो कि पिछले साल या डेढ़ साल में हुये हैं तो किसानों को वे लाभ नहीं पहुंच सकते थे जो पहुंचने चाहिये थे और पहुंचे थे।

१३५९ के कानून को बनाकर राज्य सरकार ने जो इस प्रान्त की जनता के साथ भलाई की है उसके लिये इस प्रान्त की जनता को बहुत ही लाभ पहुंचा है और हमारी सरकार बधाई की पात्र है। इस तरह के कानून के द्वारा जिस व्यक्ति का १३५९ में जमीन पर अधिकार हो, चाहे कागज में लिखा हो या न लिखा हो, जिस व्यक्ति का १३५९ में जमीन पर किसी पर अधिकार रहा है उसे अधिवासी क़रार देकर ऐसा लिखा दिया गया। इसी तरह इस राज्य की सरकार ने पिछले दिनों चकबन्दी का कानून बनाया जिससे भी इस प्रान्त की जनता को बहुत लाभ पहुंचा। इस प्रान्त की जनता की यह एक बहुत पुरानी मांग थी कि ऐसा कोई कानून जल्द बनाया जाय। इस देश में जमीन से पैदावार गिरती जा रही थी और हमारे सामने खाने की समस्या गम्भीर रूप धारण करती जा रही थी। हमारे प्रदेश में छोटी छोटी जोतें थीं जो अलग अलग जगहों पर फैली हुई थीं और अलग अलग लोग उन पर काश्त करते थे। उन सब को एक जगह पर एकत्रित करके किसानों के साथ जो भलाई राज्य सरकार ने की है उनके लिये राज्यपाल महोदय जी ने अपने संबोधन में संकेत किया है, उसके लिये हम राज्यपाल को बधाई देते हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने पिछले दिनों में खेती के सिलसिले में भी काफी उन्नति की है। नयी जमीनों को तोड़ा गया है और २ लाख एकड़ भूमि उसके फलस्वरूप हल के नीचे आ गयी है तथा उसमें रिफ्यूजीज और राजनीतिक पीड़ितों के हजारों परिवार और भूमिहीन किसान वहां पर बस गये हैं। आज यह देखकर प्रसन्नता होती है और संतोष होता है कि जिन स्थानों में पहले दिनों में इंसान जाने की हिम्मत भी न कर सकता था, जिनमें शेर तथा अन्य अनेक जंगली जानवर घूमा करते थे, उन तराई के मैदानों में आज इंसानों के हजारों परिवार बस गये हैं, वह स्थान उनकी रोजी और रोटी का साधन हो गया है, वहां पर बाजार नजर आते हैं, उनके बच्चे वहां खेलते हैं, आनंद मनाते हैं। राज्य सरकार की सफलता की यह चरम सीमा है। चूंकि राज्यपाल महोदय ने इस बात की ओर संकेत किया है, इसलिये हम उनको बधाई देते हैं, इसके अतिरिक्त कि हजारों परिवारों को रोटी मिल सकी देश के अन्दर लाखों मन गल्ला बढ़ गया है तथा आगे और भी बढ़ता जा रहा है, इससे देश की जो खाद्य समस्या थी उस पर भी प्रभाव पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं राज्यपाल महोदय को इसलिये भी धन्यवाद देने के लिये उठा हूं, क्योंकि उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया है कि राज्य सरकार ने कंट्रोल की व्यवस्था को करीब-करीब समाप्त कर दिया है। अब राज्य के किसी नगर में कंट्रोल की व्यवस्था नहीं है यह बात सत्य है और हम यह मानते हैं कि कन्ट्रोल समाज के आगे बढ़ने में सहायता

नहीं करता। इसलिये कन्ट्रोल को तोड़ कर हमें नैतिकता को लाना है, अतः जैसे ही राज्य सरकार ने देखा कि बिना गल्ले पर कन्ट्रोल रखे हुये काम चल सकता है, गल्ले पर से कन्ट्रोल को अलहदा कर दिया। केवल उन ११ जिलों में गल्ले के मूवमेंट पर रोक रखी गयी है जिनमें अभी थोड़ी सी कमी है।

अध्यक्ष महोदय, हम इसलिये भी राज्यपाल महोदय के आभारी हैं कि उन्होंने अपने सम्बोधन में यह जिक्र किया कि राज्य सरकार विशुद्ध शासन प्रणाली को स्थापित करने जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके द्वारा भविष्य में राज्य के कर्मचारी जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें होंगी उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनीय कार्यवाही की जा सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, हम राज्यपाल महोदय को इसलिये भी बधाई देते हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का संकेत किया है कि रचनात्मक आलोचना और रचनात्मक सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। आज के वातावरण में हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम व्यक्तिगत और पार्टीगत लाभों से ऊपर देश के हित को ध्यान में रखें। इन कठिनाइयों के होते हुये भी राज्यपाल महोदय ने उन घटनाओं की ओर भी संकेत किया है जो देश की सीमा के दूसरी ओर हो रही हैं। अतः हम उनके अत्यन्त आभारी हैं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे आज श्री राज्यपाल महोदय के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने का अवसर दिया है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए केवल एक परम्परा का प्रतिपालन करने के लिये ही प्रस्तुत नहीं हुआ हूं वरन् मैं अपने एक परम पुनीत कर्तव्य का पालन करने के लिये इस सदन के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव के प्रस्तावक माननीय श्री शुक्लजी ने माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में जो विशेषतायें हैं उनके प्रति सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय का इस बात के लिये विशेष आभार और मैं समझता हूं कि सारा सदन और इस प्रान्त की जनता उनके प्रति इस बात के लिए आभार हूं प्रदर्शन करेगी जो उन्होंने कुम्भ मेले में हुई दुर्घटना के प्रति इस सदन में अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट किया है और जिसमें उन्होंने उस नगर के प्रति प्रबन्ध कर्त्ताओं के कार्य की सराहना भी की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल मैंने समाचार-पत्रों में कल इस सदन से एक कक्ष के सदस्यों के उठ जाने की खबर देखी और समाचार-पत्रों को भी जब मैं देखता हूं तो समझता हूं कि जिस प्रकार की आलोचना कुम्भ नगर की व्यवस्था के सम्बन्ध में की जा रही है और जिसमें कोई भी यथार्थता नहीं है तो मुझे अपने बचपन में पढ़ी हुई एक कहानी याद आती है। मैंने आरम्भिक पुस्तक में पढ़ा था कि कोई पिता-पुत्र एक बछेड़े को लेकर यात्रा कर रहे थे। जब एक उस पर चढ़ता तो कोई कहता कि ये महामूर्ख हैं, जब दोनों पैदल चलते तो कोई कहता कि ये दोनों महामूर्ख हैं और जब दोनों उस पर सवार हो जाते तो लोग कहते कि ये महानिर्दयी हैं। इसी प्रकार से हमारे देशवासी और विशेषकर एक पक्ष के लोग जो इस घटना से राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं कहा करते हैं। वे समझते हैं कि इससे बढ़कर कोई अवसर नहीं मिलेगा कि अपने विरोधी पक्ष पर लांछन लगाया जाय तथा उसकी निन्दा की जाय। वे इस दुखद अवसर को ही अपनी कुशलता का साधन बनाकर अपना काम निकालना चाहते हैं, यह बड़े दुख की बात है। मैं इलाहाबाद नगर का ही रहने वाला हूं। इससे पहले मैंने कई कुम्भ देखे हैं। सन् ३० का कुम्भ भी मैंने देखा है और उसके पहले एक महान् मेला हुआ था उसे भी मैंने देखा है और उस समय जो प्रबन्ध था उसे भी मैंने देखा है और इस कुम्भ के प्रबन्ध को भी मैंने देखा है। पिछले तीन चार महीने से इस तरह की आलोचनाएं सुनने को मिल रही थीं कि हमारे ऐसे नेता और पथ-प्रदर्शक लोग जो कि इस सदन से महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के समय अपना रोष प्रदर्शन करने के लिये इस सदन से वाकआउट कर गये थे उनमें से कुछ लोग तो यहां तक कहा करते थे कि सरकार यह प्रबन्ध क्यों कर रही है, क्यों रेलों का प्रबन्ध किया जा रहा है आदि? जब प्रबन्ध किया जाय तब तो यह कहा जाय और जब न किया जाय तब यह कहा जाय कि सरकार ने कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव पर नजर डालें। यहाँ नेता या सदस्य या विरोधी दल का कोई मामला नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल --माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य मैंने अखबारों में देखा है कल के वाकआउट के सम्बन्ध में, उसका उत्तर देना उचित जान पड़ता है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उसका उत्तर यहाँ नहीं दिया जा सकता।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी महामान्य राज्यपाल महोदय ने जो वहाँ के प्रबन्ध की सराहना की है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वस्तुतः वह सराहनीय प्रबन्ध था और उसके बावजूद भी यह दुर्घटना घटी तो यह हमारे लिये बड़े दुख की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल महोदय ने इस प्रान्त को सुखवर्द्धक राज्य बनाने के सम्बन्ध में इस सरकार ने जो जो व्यवस्थायें की हैं उनका एक विशद् चित्र इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है। सुखवर्द्धक राज्य का जो उद्देश्य और लक्ष्य है और जिस प्रकार हमारी सरकार उसकी ओर आगे बढ़ रही है उसका एक बहुत सुन्दर चित्र उन्होंने खींचा है शासन व्यवस्था, कृषि, सिंचाई, जनता के स्वास्थ्य आदि को सुखकर बनाने में, यातायात के साधनों को बढ़ाने और सुखमय बनाने में प्रत्येक दिशा में जनता को सुखवर्द्धक राज्य तक पहुंचाने में हमारी सरकार ने जो कार्य किये हैं उनको उन्होंने अपने संक्षिप्त सम्बोधन में प्रस्तुत किया है और उसके लिये इस प्रान्त के विधान मंडल एवं इस प्रदेश की जनता को गर्व होना अनिवार्य सा है।

अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में जिस बात पर सबसे अधिक महत्व दिया है वह हमारे प्रदेश की पंचवर्षीय योजना है। उसमें सबसे अधिक महत्व कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि की उन्नति के साधनों की ओर हमारे देश ने जो प्रगति प्रदर्शित की है वह बहुत ही संतोषजनक है। जहाँ तक कि कृषि के तथा सिंचाई के साधनों की महत्ता की बात है उसकी बड़ी उन्नति हमारे प्रदेश में हुयी है। अनेक जलसिंचन साधनों, अनेक नल-कूपों की उन्नति जो हुई वह हमारी सफलता का सूचक है और हमारा विश्वास है कि अगर हमारी सरकार इसी गति से चलती रही तो हम अपने लक्ष्य पर दो वर्षों में अवश्य पहुंच जायेंगे और अपने प्रान्त की जनता के सामने गर्व के साथ कह सकेंगे कि हमने तुम्हारी इस प्रदेश की जनता की सेवा कार्य-कुशलता के साथ की है।

अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल ने इस प्रदेश के शासन के सम्बन्ध में जिन जिन अंगों मे जो जो लक्ष्य हमारी सरकार ने रखे हैं और उसमें जो गति हमारी सरकार की रही है उनका अच्छा प्रदर्शन किया है। शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष संकेत महामान्य राज्यपाल ने किया है। उन्होंने उसमें आमूल परिवर्तन की ओर संकेत किया है। हमारी सरकार का उद्देश्य यह रहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार के ढांचे में ढाला जाय कि अपने समाज के लिये उपयोगी बन सके और हमारे नवयुवक स्वालम्बन का पाठ पढ़कर अर्थोपार्जन कर सकें। इस दिशा में प्राइमरी तथा जूनियर कक्षाओं में फार्मिंग की शिक्षा का संकेत है। वह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन की ओर संकेत है और हमारे नवयुवक वहाँ अनेक प्रकार के उद्योग-धंधे सीख सकेंगे। यह बहुत ही समुचित संकेत उन्होंने किया है।

महामान्य राज्यपाल ने आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के सम्बन्ध में जो संकेत किया है उस सम्बन्ध में भी सरकार ने जो कार्य किया है वह स्तुत्य और सराहनीय है। इसके साथ ही राज्यपाल महोदय ने सामूहिक राष्ट्रीय विकास की ओर संकेत किया है और इस ओर हमारा समुचित ध्यान आकर्षित करते हुये उन्होंने जनता से सहयोग की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में उन्होंने श्रमदान की सफलता की ओर भी संकेत किया है वह भी अत्यन्त सराहनीय है और इसके लिये हम उनके अत्यन्त आभारी हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो विस्थापितों के लिये प्रबन्ध किया है इसके साथ ही श्रमिकों के लिये कानपुर और लखनऊ में जो भवन निर्माण के लिये योजनायें बनाईं और कानपुर में बहुत से भवनों को निर्मित करके गंदी बस्तियों की सफाई के लिये सरकार ने प्रयास किया है इस ओर जो महामान्य राज्यपाल ने संकेत किया है वह भी सराहनीय है। हमारा विश्वास है कि हमारी सरकार ने जो किसानों और श्रमिकों की दशा सुधारने का प्रयास किया है और उसमें जिस गति से वह आगे बढ़ रही है अगर उसी तरह चलती रही तो आनेवाले दो वर्षों में वह किसानों और श्रमिकों की अवस्था का अधिक से अधिक सुधार कर सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल ने अपने इस संक्षिप्त संबोधन में जिन जिन आवश्यक दृष्टिकोणों को हमारे सामने रखा है उनमें सब से बड़े महत्व का यह है कि हमारे देश की जनता और हमारे देश के अन्य वर्ग भी अपने रचनात्मक सुझाव रखें और सहयोग दें ताकि हम इस प्रदेश की जनता को सुखी और अधिक से अधिक समृद्ध बनाने में सफल हो सकें। यह हमारे प्रदेश की रचना का युग है। हमने स्वाधीनता के बाद जो सबसे बड़ा काम उठाया है वह गरीबी से और महामारी से लड़ाई का है। इसके लिये समुचित और सामूहिक योजनाओं का आयोजन किया गया है जिसमें सब के सहयोग की आवश्यकता है। महामान्य राज्यपाल ने अपने संक्षिप्त संबोधन में जिन बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया है और सरकार के जिन प्रयासों को हमारे सामने रखा है उस ध्येय के लिये हमें उनका हृदय से आभारी होना चाहिये। इस प्रकार से मैं इन शब्दों के साथ अपने मित्र माननीय रामनरेश जी शुक्ल के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि यह सारा सदन उसका समर्थन करेगा।

श्री अध्यक्ष—अब इसके बाद संशोधन लिये जायेंगे।

नियम १४ का जो पाँचवाँ उपखंड है वह यह है—

"Amendments may be moved to such motion of thanks in such form as may be considered appropriate by the Speaker"

(ऐसे धन्यवाद के प्रस्ताव में ऐसे रूप में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे जो अध्यक्ष उचित समझें।)

तो इसमें पूरे पूरा डिस्क्रेशन है कि संशोधन उचित है या नहीं, इसका मैं निर्णय करूं। इसके अलावा यह भी निर्णय करूं कि किस शक्ल में होना चाहिये। इसी नियम के ६ ठवें उपखंड में यह है—

"The Rules on the subject of resolutions shall *mutatis mutandis* appl to the discussion of such a motion".

(ऐसे प्रस्ताव की चर्चा पर संकल्पों के विषय से सम्बद्ध नियम यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।)

उसमें नोटिस की आवश्यकता नहीं है संशोधन जो होगा वह सिर्फ अडीशन के फार्म में होगा। यह दो उसमें प्रतिबन्ध हैं। शब्द 'mutatis mutandis' का अर्थ यह है कि जो परिवर्तन आवश्यक हों वह परिवर्तन मैं कर सकता हूं और मैं किसे आवश्यक समझूंगा इसका भी मुझे निर्णय करना है। इसलिये मैंने इसके ऊपर पूर्ण विचार करके यह तय किया है कि संशोधनों को तीन हिस्सों में बाँट दूं। एक तो वह संशोधन हैं जो कुम्भ मेले की दुर्घटना से संबंधित हैं। कुछ ऐसे हैं जो कुम्भ मेले की दुर्घटना से भी सम्बन्धि हैं और उनमें और भी विषय सम्मिलित कर दिये गये हैं और तीसरे उस प्रकार के हैं जिनमें अन्य एक ही विषय है लेकिन कुम्भ मेले का जिक्र नहीं है।

तो पहले चार वे हैं जो केवल कुम्भ मेले से संबंधित हैं और दूसरे विषय उनमें नहीं हैं। श्री जोरावर वर्मा जी का जो संशोधन है उसका पहला अंश कुम्भ मेले के संबंध में है और उसमें बाकी

[श्री अध्यक्ष]

और विषय हैं। ६ ठवां रामसुन्दर पांडे जी का जो है उसमें तीन भाग कुम्भ मेले से संबंधित हैं और बाकी ६ भाग जो हैं वह कुम्भ मेले से संबंधित नहीं हैं। मेरे पास अभी तीन संशोधन और आये हैं जोकि छपे नहीं हैं। एक तो बाबूनन्दन जी का है, एक झारखंडे राय जी का है और एक वीरेन्द्र पति यादव जी का है। इनमें झारखंडे राय जी का संशोधन है वह मिश्रित है यानी उसमें कुम्भ मेले का भी जिक्र है और दूसरे विषयों का भी जिक्र है।

मैं तो यह कहूंगा कि पहले चार जो कुम्भ मेले से संबंधित संशोधन हैं उनको पेश करने की इजाजत दे दूं और बाकी जिन लोगों ने इस विषय पर मिश्र संशोधन दिये हैं वे अपने संशोधन पेश न करें बल्कि इस विषय पर बोल लें और उनके संशोधन का वह अंश जो कुम्भ मेले से संबंध नहीं रखता है उसके लिये मैं उनको दूसरे हिस्से में मौका दे दूंगा। इस तरह से उनको बोलने का मौका इन चार संशोधनों के सिलसिले मे मिल जायगा और उनके ऊपर वोटिंग भी हो जायगी। बाकी दूसरे जो और विषय हैं उनके सम्बन्ध में सदस्य अपने अपने संशोधन पेश करेंगे और उनके ऊपर एक अलग डिसकशन हो जायगा। मैं यह इसलिये चाहता हूं कि जब रचनात्मक कार्य के संबंध में यहां पर विचार हो उस वक्त कुम्भ की दुर्घटना के प्रश्न की वजह से कोई गर्मी न पैदा हो। एक विशेष परिस्थिति के कारण मैं यह फर्क करना चाहता हूं।

दूसरे माननीय राजनारायण जी, विरोधी दल के नेता, का जो संशोधन है वह ऐसा है कि उसमें सब विषय कुम्भ के संबंध में आ जाते हैं। तो इसलिये और इसलिए भी कि उनकी भावनाओं को जो मैं समझ सका हूं उन्होंने तो मुझसे कुछ कहा नहीं है तो भी मैं यह समझता हूं कि चूंकि उनका संशोधन सर्वांगीण सा मालूम होता है इस विषय के ऊपर इसलिये मैं उनको बजाय १५ मिनट के २५ मिनट दे दूं जिसमें प्रत्यक्ष जांच करके जिम्मेदारी के साथ जो कुम्भ के प्रबन्ध में त्रुटियां वे समझते हैं कि रही हैं उनको कह सकें और सुझाव भी दे सकें ताकि आइन्दा ऐसी घटना न हो सके। इसके लिये पूरा मौका देने के लिये यह परिवर्तन मैंने १५ मिनट के नियम में कर दिया है।

मैं जोरावर वर्मा साहब से, झारखंडे राय जी से और रामसुन्दर पांडेय जी से यह पूछना चाहता हूं कि वे कुम्भ के विषय पर बोल तो सकेंगे लेकिन उनके संशोधन में कुम्भ का जो विषय है उसको छोड़ कर और दूसरे प्रकार के जब संशोधन आयेंगे उस वक्त वे अपने अपने संशोधन पेश करेंगे, इस में कोई आपत्ति तो आपको नहीं है ?

कुछ सदस्य--नहीं।

श्री अध्यक्ष--तो मैं समझता हूं कि यह तरीका इस विषय में होगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष महोदय, आपकी यह व्यवस्था है कि जो मिश्रित संशोधन हैं उनके ऊपर दो मर्तबा वोटिंग होगी, एक दफा कुम्भ मेले के सम्बन्ध में और एक दफा अन्य विषयों के सम्बन्ध में ?

श्री अध्यक्ष--कुम्भ के सम्बन्ध में जितने संशोधन मैं पेश करने की इजाजत दे रहा हूं हर संशोधन पर वोट लूंगा। अभी चार संशोधन पेश हो जायेंगे एक राजनारायण जी का, एक महाराज कुमार बालेन्दुशाहजी का, एक ज्वाला प्रसाद सिन्हा जी का और एक रामसुभग वर्मा जी का।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--मैं मिश्रित संशोधनों के बारे में पूछ रहा था कि जिनमें कुम्भ के सम्बन्ध में भी अमेंडमेंट है और अन्य विषयों के संबंध में भी अमेंडमेंट है।

श्री अध्यक्ष--मैंने उनसे पूछ लिया है कि कुम्भ के संबंध में वह लोग अपने संशोधन में से वह हिस्सा हटा देंगे जिस वक्त वह पेश करेंगे।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--इस पर वोटिंग दो दफा नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष--वोटिंग दो दफा नहीं होगी ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--उनको बोलने का अधिकार होगा ?

श्री अध्यक्ष--कुम्भ के संबंध में जो बोलना चाहेंगे वे अभी बोल लेंगे लेकिन अभी जब और विषय आयेंगे तब वे कुम्भ का जिक्र नहीं करेंगे ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--वे दो दफा बोल सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष--दो दफा बोलने का अधिकार हो सकेगा ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--परन्तु अन्य लोगों को बोलने का समय बहुत कम मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष--मैं अपने अनुभव से इस प्रकार मौका देने की कोशिश करूंगा कि दो दफा वे न बोल सकें । एक पार्टी का एक व्यक्ति कुम्भ पर बोले, जैसे राजनारायण जी इस पर बोलें और रामनारायण त्रिपाठी जी दूसरे संशोधन का जब मौका आये तब उसको पेश करके बोलें ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--ठीक है, इसीलिये मैंने आप का ध्यान इस ओर आकर्षित किया ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि आज का पूरा दिन कुम्भ की दुर्घटना के संबंध में नियत कर दें और बाकी संशोधन कल लिये जायं ।

श्री अध्यक्ष --यह बहस चलने दीजिये । मैं समझता हूं कि जब तक ये चारों संशोधन हैं तो जब क्लोजर ही मूव होगा तभी विवाद बन्द होगा । तो क्लोजर के वक्त आप मुझसे कह सकते हैं कि क्लोजर स्वीकार न कीजिये । इस प्रकार उसके ऊपर विचार हो सकता है ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, सुझाव मेरा यह है कि जो थैंक्स का मोशन आया है उस पर जब वोट हो तो जो कुम्भ की चर्चा है उस पर अलग वोट हो जाय और सब विषयों पर अलग हो । ऐसा करने में मैं समझता हूं कि आसानी होगी ।

श्री अध्यक्ष--मैंने तो यह कह ही दिया कि कुम्भ के विषय के संशोधनों पर मैं पहले वोट ले लूंगा । अगर वे गिर गये तो वे गिरे हुये रहेंगे । फिर उसके बाद दूसरे जितने संशोधन हैं उन सब पर मैं वोट ले लूंगा । वे अगर गिर गये तो गिर गये । फिर तो केवल संकल्प रह जायगा । तो उसमें शायद कोई भी कुंभ का विषय तो चिपका नहीं रहेगा । तो यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--मैं यह जानना चाहता था कि क्या राजनारायण जी बाकी सारे संशोधनों से सहमत हैं कुम्भ को छोड़कर ?

श्री अध्यक्ष--यह सवाल उठता नहीं है । इस कुतूहल का आप अपने दिल में ही निर्णय कर सकते हैं ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, रामनरेश जी शुक्ल द्वारा प्रस्तुत जो धन्यवाद का संकल्प है उसमें मैंने अपना संशोधन आगे जोड़ने के लिये जो दिया है वह काफी विस्तृत है और सब के पास पहुंच चुका है ।

श्री अध्यक्ष—तो उसको आप पढ़िये।

श्री राजनारायण—"किन्तु सदन को खेद है कि माननीय राज्यपाल ने कुम्भ पर्व के महान् अवसर पर जो एक हजार से ऊपर नर-नारियों का संहार हुआ है उसके कारणों पर तनिक भी प्रकाश न डाला और न सरकारी प्रबन्ध की अव्यवस्था, वी० आई० पी० कैम्प की अनावश्यकता, शहर की ओर से तीर्थ यात्रियों के आने-जाने का एक ही मार्ग रखना, बांध के पास पानी, कीचड़ से भरे हुये बड़े गड्ढे का न ढकना, मंत्रियों के गमनागमन पर गंगा पर बने हुये पुलों की भीड़ रोक कर खाली करना, मेला में मोटरों को जाने के लिये मनमाने ढंग पर रोड पास बांटना, गंगा तट के दोनों ओर बड़े अफसरों का कैम्प लगाना, प्रदर्शनी की अनावश्यकता, नेता निवास शिविर के लोगों की सुख-सुविधा का साधन जुटाने में अधिकारी अफसरों को लगाना, मेला के प्रबन्ध के लिये आवश्यक पुलिस दल को घटनास्थल पर न रखना तथा पुलिस दल द्वारा तीर्थ यात्रियों पर दमनात्मक कार्यवाही करना और इसके उपरान्त मरे हुये व्यक्तियों के लिये उठाने आदि का समुचित प्रबन्ध न कर मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों का माननीय राज्यपाल की दावत में शरीक होना आदि-आदि त्रुटियों से सदन को अवगत नहीं कराया।"

श्रीमन्, मेरे संशोधन में जो "नहीं" शब्द अन्त में आया है यह शायद गलती से छप गया है। इसको निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जब मैं इस संशोधन को प्रस्तुत कर रहा हूं तो पहले ही आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन कर देना चाहता हूं और डरे हुये दिल के साथ निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं यहां कह रहा हूं वह एक सत्य का उद्घाटन करूंगा किसी राजनीतिक स्वार्थ लाभ के भाव से नहीं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—मैं जरा स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं आपके द्वारा श्री राजनारायण जी से यह पूछना चाहता हूं कि ३ तारीख को जब यह घटना हुई है उस रोज वह वहां पर थे या नहीं थे?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमने अपने संशोधन द्वारा इस बात को साफ किया है कि उस महान् दुर्घटना के ऊपर कोई भी प्रकाश नहीं डाला गया। इसका कारण, अगर उस घटना स्थल पर जाकर देखा जाय तो मैं बहुत ही सफाई से कह सकता हूं कि साधारण बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी उसी नतीजे पर पहुंचेगा जिस पर हम पहुंचे हैं। गंगा पर ६ पुल बने हुये थे। पहले से झूंसी साइड से लोग संगम पर स्नान करने आते थे और दूसरे, तीसरे, चौथे से भी लोग जाते-आते थे और किले की ओर से भी लोग चले आते थे। एक बांध वहां पर बना हुआ है जिस पर महान् दुर्घटना हुई, वहां एक त्रिवेणी रोड है। उसी त्रिवेणी रोड से एक मात्र तमाम इलाहाबाद शहर में रहने वाले यात्री आते जाते थे और वही सबसे बड़ा मार्ग था। लाखों का समुदाय उसी से संगम पर आता-जाता था। इस महान् दुर्घटना का कारण क्या था? मैं निहायत अदब से माननीय महावीर प्रसाद को बताऊंगा कि अकेले इलाहाबाद शहर में वही बी नहीं रहते, कई लाख जनता रहती है। उस जनता के कंठ से क्या आवाज निकलती है? उसको जरा वह सुनें कि वह इसके कारण क्या क्या बताते हैं? सारे के सारे कारण मैं एक एक सवाल के रूप में पूछता हूं ताकि जिनको उत्तर देना है वह आसानी से दे सकें। वी० आई० पी० कैम्प की क्या आवश्यकता थी? क्या गवर्नमेंट हाउस में मंत्रियों के ठहरने के लिये काफी जगह नहीं थी? वहां पर तो इतना बड़ा किला है, उसमें माननीय राष्ट्रपति या और दूसरे बाहर के मुख्य मंत्रियों और अन्य लोगों के लिये क्या स्थान नहीं था? यह आज नहीं कहा जा रहा है। तीन तारीख के पहले भी वहां के सरकारी अफसरों से इस बात को कहा जा चुका था और उस पर डाक्टर एस० एन० बसु का नोट भी निकल चुका था पहली तारीख को कि "व्हाई बिस वी०

आई० पी० केम्प ?" मैं पूछना चाहता हूं उन सम्मानित सदस्यों से कि तीर्थ यात्रियों के संगम पर जाने या आने के मार्ग अलग अलग किये गये थे शहर से ? हर्गिज नहीं। अथारिटेटिव तरीके (साधिकार पूर्णरूप) से मैं कह रहा हूं। श्रीमन्, माननीय सदस्यों से मैं कहूंगा कि केवल १० कदम तक वे मार्ग अलग अलग थे। मैंने स्वयं वहां चलकर देखा है। (शोर)

श्री अध्यक्ष---मैं कहूंगा कि अगर सदन में शांत वातावरण रखना है तो माननीय सदस्य बीच में टोकें नहीं, क्योंकि जिस वक्त हृदय में उत्तेजना अधिक होती है उस वक्त टोकना भी शायद गर्मी ला दे। इसलिये मैं जरा क्षमा चाहता हूं और उन्होंने भी प्रण किया है कि वह शांत रहेंगे चाहे आप कितना ही टोकें। लेकिन इस पर भी टोकने की कुछ सीमा है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जिस पथ पर लाखों यात्री आ जा रहे थे मैंने उस पर चल कर देखा है और केवल १० कदम चला हूं कि वह जो बांस लगा कर रस्सी लगायी गयी थी वह खत्म हो गयी। उससे बहुत ही कम भीड़ बनारस में होती है लेकिन वहां पर काफी दूर तक आने जाने का मार्ग अलग अलग किया जाता है। तो यह जो कहा जाता है कि यह घटना जो घटी वह अकस्मात् घटी, ऐसी बात नहीं है। उस दिन भी इस घटना को रोका जा सकता था। जिस दिन नागा-महात्माओं का जलूस आ रहा था और दूसरे पुल से झूंसी साइड जाने के लिये यात्री लोग जा रहे थे तो पहले और दूसरे पुल के बीच में वह बांध का मार्ग था जिस पर अपार भीड़ शहर की ओर से आ जा रही थी। वहीं पर यह अव्यवस्था होती है। क्या वहां पर पुलिस कर्मचारियों ने लाठी चार्ज नहीं किया ? श्रीमन्, लाठी चार्ज हुआ है। हमारे राधेश्याम पाठक को फोन वहां पर आया कि पं० जवाहरलाल नेहरू से एक बजे दिन को मिल लेंगे। उन्होंने इन्कार किया कि हम किस मुंह से मिलें जब कि इस कुम्भ के अवसर पर हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक का टीका लगा है। चौथी तारीख को श्रीमन्, बड़े-बड़े माननीय मंत्री महोदय उस घटना, उस स्थान का निरीक्षण करने तो गये थे। जिस दिन के लिये प्रबन्ध होना चाहिये था, श्रीमन्, अगर एक वाक्य में मैं कहूं तो उस दिन के लिये प्रबन्ध नहीं था वहां, अच्छा प्रबन्ध था वहां, मगर उस दिन के लिये प्रबन्ध नहीं था जिस दिन के लिये प्रबन्ध होना आवश्यक था। वह प्रबन्ध किसी दूसरे काम के लिये था। उस प्रबन्ध से दूसरी भावनाओं पर प्रकाश पड़ता है। ३ तारीख के मेले के लिये वह प्रबन्ध नहीं था। कोई भी आदमी जो पैदल चलेगा, हां कार से जाय, शीशा चढ़ा हो, तो वह नहीं देख सकता, मगर जो कुम्भ मेले को देखने जायगा, उसकी रक्षा कैसे हो, उसको समझने जायगा वह चारों तरफ घूमेगा और उस गड्ढे को भी देखेगा, अगर उस गड्ढे को न रखा गया होता तो काफी जानें बच गई होंती। अनियंत्रित भीड़ इतनी अपार संख्या में जुट गई कि जमीन तो दिखलाई नहीं पड़ती थी। जिसका पैर उस गड्ढे में पड़ा वह उससे निकल नहीं पाया। जब लाशों से गड्ढा पट गया तो फिर बहुत से लोग इधर उधर भी मरे पाये गये। ४ तारीख को मैं अपने और तमाम सम्मानित साथियों के साथ गया तो मैंने देखा कि कम से कम दो तीन हजार जूते छोटे छोटे मेहतरों के लड़के कीचड़ में से ढूंढ़ ढूंढ़ कर निकाल रहे थे। कहा जाता है कि दो चार सौ जानें गईं। एक एक कंठ से पूछा जाय, मैंने सरकारी, सरकारी' शब्द मैं जानबूझ कर कह रहा हूं, अर्द्ध सरकारी और गैर सरकारी साधनों से जो जानकारी प्राप्त की है, उसके आधार पर मैं साधिकार रूप से कह सकता हूं कि एक हजार के ऊपर जानें गई हैं।

श्रीमन्, यह सब बातें हुईं। कल इस सदन में माननीय राज्यपाल के आगमन पर हम लोग जो बाहर गये, उस पर भी कुछ कटाक्ष और टीका सरकारी पक्ष के सदस्यों ने की। मैं उस पर विशेष जाना नहीं चाहता। मगर श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान आता है और कहते हैं कि आठ घंटे के बाद सूचना मिली। उसके लिये मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से इतना ही निवेदन करता चाहता हूं कि ६ तारीख के "पायनियर' में श्री चन्द्रभानु गुप्त का जो बयान निकला है उसको कृपया पढ़ और अगर आप इजाजत दें, तो अखबार मेरे पास है, मैं उसको पढ़ भी दूं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सबने पढ़ लिया है। आप उसको समझा दीजिये।

श्री राजनारायण--"घटना होने के बाद १ घंटे के अन्दर मैं वहां पर पहुंच गया" श्रीमन्, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि न्याय के लिये आप पढ़ने की इजाजत दें।

"U.P.'s Food Minister, Mr. Chandra Bhanu Gupta, told 'PTI' today that he had been on the Jhusi side when the gruesome tragedy occurred on Wednesday at Kumbhnagar and within an hour he reached the scene of the incident."

[यू० पी० के अन्न मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त ने आज 'पी० टी० आई०' से कहा कि जब कुम्भ नगर में बुधवार को भयंकर दुर्घटना हुई तब वे झूंसी की ओर थे और एक घंटे के भीतर वे दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये।]

साधारण अक्ल रखने वाला व्यक्ति भी इसका यही नतीजा निकाल सकता है कि जो मैं कह रहा हूं। इसके बाद माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने आगे जो कहा है उसको भी पढ़कर के नतीजा निकाला जा सकता है। मैं आधारिक रूप से कह सकता हूं कि हमारे और सम्मानित मंत्रीगण भी हैं, श्री चन्द्रभानु गुप्त के अलावा, जिन्होंने अपने साथियों से कहा है कि राज्यपाल की दावत की जब उन्हें सूचना मिली तब उनका दिल मसोसकर रह गया और उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। वह माननीय मंत्री यहां नहीं हैं। मैं उस कंट्रोवर्सी को नहीं उठाना चाहता हूं। मगर श्रीमन्, आठ घंटे पर खबर लगी, वह केवल इसलिये कहा जाता है कि अगर माननीय मुख्य मंत्री को खबर लग गयी होती तो माननीय राज्यपाल द्वारा दी गयी दावत न होती या माननीय मुख्य मंत्री उसमें न जाते। माननीय मुख्य मंत्री के नहाने का प्रबन्ध दस बजे था मगर वह इस घटना के कारण दस बजे के बजाय साढ़े बारह बजे नहा सके। माननीय मुख्य मंत्री को इतनी महान् घटना की खबर न हो क्या यह प्रबन्ध समुचित होने का द्योतक है या उस प्रबन्ध के खोखलेपन को प्रगट करता है। राज्यपाल जी की जो बुलेटिन निकलती है, पायनियर में ८ तारीख को, तीन तारीख, चार तारीख, पांच तारीख और छः तारीख का पूरा पूरा ब्योरा निकला है। मैं ३ तारीख का ब्यौरा पढ़ देना चाहता हूं।

"Sri Rajyapal and Srimati Lilavati Munshi gave an "At Home" in honour of the President of India.

"Sri Rajyapal and Srimati Lilavati Munshi attended a programme of vocal and instrumental music along with the President of India at Raj Bhavan."

[श्री राज्यपाल और श्रीमती लीलावती मुंशी ने भारतीय राष्ट्रपति के सम्मान में एक चाय पार्टी की।

श्री राज्यपाल और श्रीमती लीलावती मुंशी ने राज्य भवन में भारतीय राष्ट्रपति के साथ गान वादन के कार्य क्रम में भाग लिया।]

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप राज्यपाल के कंडक्ट के ऊपर कोई आक्षेप न करें। किसी मिनिस्टर के संबंध में आप जिक्र कर सकते हैं। इसीलिये मैंने इजाजत भी दे दी चूंकि आपके संशोधन में मिनिस्टर दावत में सम्मिलित हुये, इसका जिक्र था। लेकिन श्री राज्यपाल के बारे में आप नहीं कह सकते हैं।

श्री राजनारायण--जब खबर लग गयी तो फिर वाद्य व संगीत क्यों हुये? तो मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि वे जरा देखें कि इस महान् दुर्घटना का जो कारण दिया जा रहा है, वह सही है या नहीं। चौथी तारीख को जब मैं वी० आई० पी० कैम्प की तरफ एक साधारण नागरिक की हैसियत से घूम रहा था तो माननीय मुख्य मंत्री की कार वहीं से गुजर रही थी। वह मुझे देखे नहीं होंगे यह मेरा विश्वास है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वी० आई० पी० कैम्प के लोगों के लिये सुख सुविधा की सामग्री जो अधिक से अधिक आवश्यक थी वहां पर नहीं थी? क्या उनके सुख सुविधा के साधनों को जुटाने के लिये सरकारी कर्मचारियों का दल लगा हुआ नहीं था? क्या बड़े बड़े अफसरों के कैम्प गंगा के दोनों किनारों पर नहीं लगाये गये थे? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कैम्प झूसी साइड और

शहर की साइड दोनों तरफ क्यों लगा हुआ था ? सरकार के जितने अफसर थे उन सबके कैम्प लगे थे। इसके पहले भी माननीय महावीर प्रसाद जी ने वहां देखा है कि वहां कैम्प कितने लगते थे। जिस जमीन पर यात्री ठहर सकते थे वह सारी की सारी जमीन बड़े बड़े अफसरों के कैम्पों ने घेर रखी थी। जितनी नल की टोंटियां लगी थीं, अगर उनको गिना जाय तो जितनी टोंटियां लगी उनकी दो तिहाई टोंटियां बड़े बड़े अफसरों और वी० आई० पी० कैम्प में लगी थीं। श्रीमन्, जिस जमीन के लिये जनता से एक हजार रुपया लिया गया उसी जमीन पर हमारे इन अफसरों के कैम्प मुफ्त में लगे हुये थे। क्या उसका नुकसान गवर्नमेंट को नहीं हुआ। क्या यह सही नहीं है कि ९५ रुपये में सरकारी विभाग ने जो टेंट लिया वह ४८ रुपये में वहां के म्युनिसिपल विभाग ने नहीं लिया ? क्या सरकारी विभाग और म्युनिसिपल विभाग में इसके लिये द्वन्द्व नहीं हुआ है ? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर वह बांध जिसके ऊपर जन-समुदाय चल रहा था और वहां पर जो गड्ढा था अगर वह पाट दिया गया होता और माननीय मंत्री अपनी कार से जिस समय निरीक्षणार्थ उस गड्ढे की ओर निकले होते उस समय उसको बन्द करवा दिया होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना न हुई होती जिसके लिये उत्तर प्रदेश का समाज नत मस्तक शोकमस्तक है। जब हम इस सत्य का उद्घाटन करते हैं तो हमारे ऊपर दोष लगाया जाता है कि हम राजनैतिक फायदा लेना चाहते हैं। श्रीमन्, इससे एक भाव प्रगट होता है वह भाव यह है कि राजनीतिक भावना लेने के दृष्टिकोण से सारा प्रबन्ध हुआ था, मगर जब सारे प्रबन्ध में त्रुटि रह गई और उसके फलस्वरूप इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई तो वह लोग समझते हैं कि जो मैं सत्य का उद्घाटन करता हूं वह राजनीतिक फायदा ले रहा हूं। परन्तु हम राजनीतिक फायदा लेना नहीं चाहते बल्कि जो राजनीतिक फायदा लेने के लिये वहां पर यह सारा आडम्बर रचा गया था, बड़े बड़े लोगों के लिये वी० आई० पी० कैम्प्स लगाये गये थे और साधारण यात्रियों के लिये जो गरीब अकिंचन और भिखारी थे, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं उनको प्रकाश में लाना चाहता हूं। श्रीमन्, मैंने देखा, इसके बाद वहां बड़े बड़े पुराने बुजुर्गों से, बार एसोसियेशन के अनुभवी व्यक्तियों से जिन्होंने मेलों का प्रबन्ध किया है पहले, महावीर प्रसाद जी ने किया हो, या न किया हो उनसे मैंने जानकारी हासिल की है और उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भर कर इस घटना के लिये इस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। रायल होटल में वी० आई० पी० केन्द्र के लिये क्या आर्डर था उसकी कापी पेश की जाय। रायल होटल झूंसी साइड में था और दो तारीख को इलाहाबाद में शराब की कितनी बोतलें बिकीं इसकी इत्तिला भी सरकार को होगी। ये सब बातें राजनीतिक फायदे के लिये नहीं कह रहा हूं। अभी लखनऊ कांड भूला नहीं था, उसका घाव भरा नहीं था कि यह महान् दुर्घटना, यह लाशों का ढेर हमारे ऊपर हमारी छाती पर लाद दिया गया। हमारे जो साथी यह चाहते हैं कि हम राजनीतिक फायदे को न उठायें। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि हम राजनीतिक फायदा नहीं उठा रहे हैं या वह खुद उठा रहे हैं। मैं तो दिल के अरमान निकालना चाहता हूं। देश में जो पीड़ित लोग हैं, जिनके परिवार खोये हुये हैं उनकी मुसीबत और मुसीबत का वातावरण का कारण बताना चाहता हूं और श्रीमन् वहां लाशें पड़ी हुई थीं और जब गरीब लोग उन लाशों के बीच में गये तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। हमारे बहुत से साथी, आजमगढ़ जिले के रहने वाले जिनके घर की औरतें और बच्चे खो गये थे, वे बिलबिला रहे थे, रो रहे थे। २४ घंटे तक तीन और चार तारीख की रात तक लगातार कोशिश की कि कोई आफिसर ड्यूटी पर मिले, लेकिन फोन पर कोई नहीं मिला। आप स्वयं उस घटना को समझ सकते हैं। ४००, ५०० या ६०० लाशें पड़ी हुई हैं और उनके प्रिय कुटुम्ब जनों को उन लाशों में जाना पड़ता था, ऐसी स्थिति में उनके दिल पर क्या बीती होगी। सदन में बैठकर फिर कहा जाता है कि राजनीतिक फायदा न उठाया जाय, अपनी आंखों से सबको देखा जाता है।

मेरे ऊपर भी बीती है। हमारे बहुत से साथी उसमें आहत हुये हैं। मैं इस समय उनके नाम नहीं बतलाऊंगा। मौका आने दीजिये उस वक्त बतलाऊंगा। आप हमारी वाणी को रोक नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां भले ही रोक दें, लेकिन बाहर कोई नहीं रोक सकता। यह दिल भरा हुआ है, अरमानों पर पत्थर पड़े हुये हैं।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि ७ प्लेटफार्म बनाये गये थे, किसलिये वे बनाये गये थे ? क्या एक भी ट्रेन चली ? क्या उनसे मुसाफिर संगम पर लाये गये ? नहीं लाये गये तो फिर क्यों बनाये गये थे ? ये बड़े गुम्बद क्यों बनाये गये थे ? क्या उनकी आंखों से यह महान् दुर्घटना दिखाई नहीं पड़ी ? उसे वही देख सकता था जिसके पास दिल हो। दिल वह शीशा है जिसके टूटने में सदा न हो। आप यह न समझें कि आप उन दिलों को जोड़ देंगे। उनके दिल तब तक टूटे रहेंगे जब तक कि वे उनको बर्बाद नहीं कर देते जो इस दुर्घटना के महान कारण बने हैं।

क्या कोई भी माननीय मंत्री महोदय बतला सकते हैं कि उनके किसी भी कुटुम्ब को रेड पास (लाल टिकट) नहीं मिले, मनमाने तरीके से मोटरों को आने जाने के लिये पासेज नहीं मिले ? चार तारीख को श्रीमन्, हम लोग वहां पर उपस्थित थे। हमने देखा कि इसी सदन में एक माननीय मंत्री के बहुत ही प्रिय पात्र एक हाथी पर घूम रहे थे। इलाहाबाद के नागरिकों ने उस हाथी को घेर कर उनको नीचे गिराने तक की बात सोची। हमने ऐसा करने से उनको रोका। दूसरी तरफ जनता को जाने से रोका जाता था। जिस ऐंग्लो इंडियन पुलिस के घुड़सवार ने लाठी चार्ज किया था उसको इलाहाबाद के नागरिकों ने घेर लिया और राधेश्याम पाठक जी जो कमंडल लिये हुये थे और एक दूसरे ठाकुर साहब, श्री बृजपाल सिंह, उन्होंने आंसू गिरा कर पूछा कि तुमने लाठी चार्ज क्यों किया ? लोगों ने चारों ओर से उसे घेर लिया था। उसने क्या जवाब दिया ? 'हमसे कुछ न बोलो जो कहना हो सरकार से कहो और सरकार हमसे पूछेगी'। मैंने लोगों को समझाया कि इससे कुछ न कहो और इस वक्त चुप रहो।

इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? अगर सरकार इसके लिये जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन जिम्मेदार है ? क्या खुदा इसके लिये जिम्मेदार है ? क्या यह मानवकृत घटना नहीं थी ? सरकार की उदासीनता का प्रमाण इससे बड़ा और क्या हो सकता है, सरकार की नालायकी का प्रमाण इससे अधिक और क्या हो सकता है ? हमारे मुख्य मंत्री दो दिन पहले वहां पर २ तारीख को गये थे मगर उनको वह गड्ढा नहीं दिखाई दिया। शक्ति मद से मदान्ध व्यक्ति उस गड्ढे को नहीं देख सकता है। उस गड्ढे को तो वही देख सकता है जो दुखी है, पीड़ित है और दूसरों की पीड़ा समझने का दिल रखता है और मुसीबत से झुलस कर चलता है या अपने पापों को काटने के लिये संगम पर स्नान करने के लिये जाता है वही देख सकता है।

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय गृह मंत्री जरा इसका पता लगावें कि लाठी चार्ज क्यों हुआ और कैसे हुआ ? जो यह तीन आदमियों की एक संकुचित सरकारी कमेटी बनायी गयी है जिसकी बड़ी चर्चा इस सदन में है और बाहर भी है उस कमेटी की क्या पावर है। वह जन-प्रतिनिधित्व हीन कमेटी क्या जांच करेगी ? यही न कि वह कारणों को बतायेगी और उनका उपाय बतायेगी ताकि इस प्रकार की घटना फिर भविष्य में न हो। श्रीमन्, वह कमेटी जो कुछ भी अपना निर्णय दे और जो कुछ भी अपनी जांच करे और जो कुछ भी सिफारिश करे, लेकिन वह भविष्य में सरकार को काम करने के लिये कारण ही सिर्फ बतायेगी। अब भी यह मंत्रिमंडल जाकर देखे वह कारण आज भी उनको मिल सकता है। वह गड्ढा आज भी उनको मिल सकता है। यह कोई ऐसी रहस्यमयी बात नहीं है जिसको यह हमारा सारा मंत्रिमंडल भी नहीं समझ सकता है या उधर के सदस्य इसको नहीं समझ सकते हैं। हर एक आदमी उस कारण को समझ सकता है कि जो घटना घटी वह बी० आई० पी० कैम्प है और अफसरों की अकर्मण्यता है और उनका निकम्मापन है। वहां की पुलिस के हेड बनाये गये श्री जमुना प्रसाद त्रिपाठी जो कि बनारस में ७ आदमियों की लाश के लिये जिम्मेदार हैं। एक मेला अफसर बनाये गये, जो कि अस्पताल में ही कई दिन तक पड़े रहे। जब भी मैंने फोन किया तो मालूम हुआ कि बीमार हैं। जब जब मैंने उनको फोन किया तो उनको नहीं पाया। आप इस प्रकार के अफसरों को रखकर मेले का प्रबन्ध कैसा करा सकते हैं ? ऐसे अफसर जो सचमुच वस्तुस्थिति पर परदा डालने में पटु हों और उचित प्रबन्ध नहीं कर सकते हों वे इस प्रकार के मेले का प्रबन्ध

कैसे कर सकते हैं ? वह तो छोटे छोटे मेलों का ही प्रबन्ध कर सकते हैं। जो अफसर मंत्रिमंडल की सुविधाओं का ही ध्यान रख सकता है और उनके लिये शामियाने सजा सकता है वह इतने बड़े जनसमूह का जहां पर ५०, ६० लाख मनुष्यों का भारी सम्मेलन हो उसका प्रबन्ध हरगिज नहीं कर सकता।

श्रीमन्, मैं क्या कहूं इस महान दुर्घटना से मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है और बड़ा भारी धक्का लगा है। मैं आपको बताऊंगा कि जिस दिन से यह महान् दुर्घटना हुई है उस दिन से अगर मैं किसी काम को करता हूं तो मेरा दिल काम करने में नहीं लगता है। माननीय मुख्य मंत्री ने बतलाया कि वहां पर अच्छा प्रबन्ध था और उसके लिये विदेशों में भी उसकी प्रशंसा हुई है और उनके पास धन्यवाद के पत्र आये हैं। मैं भी कहता हूं कि ३ तारीख के पहले तक अच्छा प्रबन्ध हो सकता है या उनके लिये अच्छा प्रबन्ध हो सकता है जिनके लिये विशेष प्रबन्ध किया गया हो लेकिन मैं यह कहता हूं कि आपके अफसर उस विशाल जनसमूह का नियंत्रण करने में बिलकुल निकम्मे साबित हुये। यहां पर इस समय माननीय विचित्र नारायण जी नहीं हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर पुल को मंत्रियों की मोटर पास करने के लिये खाली नहीं कराया गया था और उस संबंध में विद्यार्थियों से झगड़ा नहीं हुआ था ? क्या आप यह नहीं समझते हैं कि जब पुल को खाली कराया जायेगा तो एक स्थान पर जनसमूह और अधिक एकत्रित हो जायगा ? मैं पूछना चाहता हूं कि जिन मंत्रियों की मोटर आती थी तो पुल खाली नहीं कराया जाता था और कौन इसको खाली करते थे ? क्या इसको राजनारायण ने किया या किसी और विरोधीदल के आदमी ने खाली कराया ? इसकी जिम्मेदारी किस पर पड़ती है और कौन इसके लिये जिम्मेदार है ? इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को कहना चाहिये कि जो कुछ भी प्रबन्ध में ढिलाई थी उसके लिये वह जिम्मेदार थी। व्यर्थ का वादविवाद का वातावरण यहां पर करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, हालांकि हमारा समय हो रहा है कि अगर वहां के कारणों को सही रूप में देखा जाय तो इस दुर्घटना का एक ही कारण हो सकता है कि सरकारी अफसरान मंत्रियों की कृपादृष्टि में अच्छा बनने के लिये उनके लिये सारा सुखसुविधा का सामान जुटाने में तत्पर रहे और उन्होंने मेले को यों ही छोड़ दिया। जिस समय यह दुर्घटना हुई, कितनी पुलिस फोर्स वहां थी ? नगण्य थी। लाउडस्पीकर चारों तरफ से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे थे कि मत जाओ। जो सवेरे स्नान कर चुके थे उन्होंने हमसे कहा कि बाबा हमारा पुण्य लेलो और वहां मत जाओ। ये उनके जजबात थे। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को तो ४ बजे पता चला। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो बातें हमने उनकी खिदमत में पेश की हैं उन बातों को जाकर देखें और मनन करें तो वह भी उसी नतीजे पर पहुंचेंगे जिस पर मैं पहुंचा हूं।

इन शब्दों के साथ मैं तमाम आहत आत्माओं के प्रति अपनी समवेदना प्रकट करता हूं। मैं इस समय केवल एक ही विषय पर बात कहना चाहता था परन्तु जितनी बातें माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के संबंध में माननीय रामनरेश जी शुक्ल ने कहीं उस पर हमारे संशोधन बाद में आवेंगे और उन पर हम अपना मत तब प्रकाशित करेंगे।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय रामनरेश जी द्वारा प्रस्तुत किये हुये प्रस्ताव पर यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कुम्भ मेले के अवसर पर हुयी दुःखद दुर्घटना को उचित महत्व नहीं दिया।"

श्रीमन्, पहले इसके कि मैं अपने कर्त्तव्य का पालन करूं और वह कर्तव्य पालन करूं जिसका संकेत श्री राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में दिया है, मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा है कि सरकार यह आशा करती है कि आप, यानी हमलोग, सब

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

उत्तरदायित्वपूर्ण आलोचना तथा रचनात्मक सहायता द्वारा सहयोग देंगे। श्रीमन्, मुझे दुःख हुआ जबकि मैंने एक या दो ऐसे भाषण सुने। माननीय राजनारायण जी के भाषण के पहले, जिनमें यह कहा गया कि केवल राजनीतिक लाभ के लिये यह सब किया गया है और एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक पूछ डाला कि माननीय राजनारायण जी वहां पर उपस्थित भी थे या नहीं। श्रीमन्, क्या इस सम्मानित सदन के सब सदस्य वहां उपस्थित थे? क्या जो दुर्घटना हुयी उससे किसी के दिल पर जो वहां न हो चोट नहीं लगनी चाहिये? क्या माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर हम लोगों ने कल अपनी समवेदना मरे हुओं के परिवार वालों के पास नहीं भेजी और क्या ऐसी दुर्घटना के बारे में अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिये यह आवश्यक है कि हर आदमी वहां पर उपस्थित हो? यदि ऐसा है तो इस भारतवर्ष का हर आदमी इलाहाबाद में उपस्थित होता और तभी उसे यह हक मिल सकता था कि वह सहानुभूति प्रकट कर सकता था। मैं मुख्य मंत्री के प्रति अपनी सहानुभूति भी प्रकट करना चाहता हूं इस दुखःद घटना पर। परन्तु यह भी साफ कर दूं कि मैं ऐसा इसलिये नहीं कर रहा हूं कि यह कोई दैवी दुर्घटना थी या बचाई नहीं जा सकती थी। मैं उनके प्रति अपनी सहानुभूति इसलिये प्रकट कर रहा हूं कि मैं वहां ३ को तो नहीं लेकिन बाद में पहुंचा। जो प्रबंध वहां किया गया था सुचारुरूप से किया गया था। बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। परन्तु तीन तारीख को कुछ कर्मचारियों की गलती की वजह से जो इतनी बड़ी विपत्ति आयी उसके लिये मुझे माननीय मुख्य मंत्री से हार्दिक सहानुभूति है। श्रीमन्, अखबारों में और उन लोगों से जो उस समय वहां थे, जो कारण उस दिन की दुर्घटना के सुनाई देते हैं, उनमें कम से कम एक कारण तो चारों ओर से ही मालूम होता है। केवल उन्हीं अखबारों में नहीं जो कि सरकार के विरुद्ध के अखबार कहे जा सकते हैं, बल्कि सरकार के पक्ष के अखबारों में यानी नेशनल हैरल्ड और नवजीवन में भी जो लखनऊ से निकलते हैं, उनमें भी वह चीज मिलती है कि कम से कम तीन तारीख को पुलिस के प्रबंध में कुछ कमी थी। लोगों ने बतलाया कि वहां पर, जहां कि दुर्घटना हुयी, सिर्फ १०–१२ पुलिसमैन नागाओं के जलूस के साथ थे और बांध पर जहां कि भीड़ नीचे की ओर उतर रही थी, केवल दो पुलिस वाले थे। कहा जाता है कि वहां आने जाने के अलग अलग रास्ते थे, लेकिन जिन लोगों ने उस दिन उस स्थान को देखा तथा पुलिस मंत्री तथा माननीय मुख्य मंत्री को भी यह बात मालूम है कि बांध से नीचे उतरने के स्थान पर दो तीन रास्ते बने थे परन्तु उसके बाद जहां जन-समूह इकट्ठा होता था वहां पर कोई अलग अलग रास्ते नहीं थे। इसके बारे में माननीय राज नारायण जी ने जो कहा कि स्लोप से १०–१५ कदम तक ही रास्ते अलग अलग थे, यही सही है।

श्रीमन्, मैं जिम्मेदारी के साथ तो नहीं कह सकता कि उस दुर्घटना के कारण क्या हैं, क्योंकि मैं वहां पर उस समय नहीं था, लेकिन जहां तक मैं उसके बारे में जान सका हूं और समझ सका हूं, या उन लोगों से पूछ कर मालूम कर सका हूं जो कि वहां थे, उन सबसे तो यही मालूम होता है कि उस दिन वहां सरकारी इन्तजाम में, सरकारी कर्मचारियों के इन्तजाम में कमी अवश्य थी। हां, इस बात में मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूर्णतया सहमत हूं कि मेले का इन्तजाम तारीख ३ के पूर्व इतना अच्छा था, व्यवस्था इतनी अच्छी थी, इतने आराम की व्यवस्था की गयी थी, ४०–५० लाख आदमियों के लिये जो प्रबंध किया गया था वह सराहनीय अवश्य था। लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था होते हुये भी कुछ कर्मचारियों की गलती से उस दिन वहां दुर्घटना हो गयी। इस संशोधन को रखने की मेरी केवल यही मंशा है कि आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूं कि उसका यह कर्तव्य है कि वह यह पता लगाये कि यह दुर्घटना किस कारण से हुयी और किसकी गलती से हुयी और जिसकी भी गलती पायी जाय उसको सजा देने में कोई कोताही न की

जाय। कहा यह जाता है कि वहां पर वी० आई० पी० कैम्प्स में, जहां पर बड़े बड़े नेता लोग ठहरे हुए थे, पुलिस वहां का प्रबंध करने के लिये चली गयी, और इसी कारण से बांध पर तथा मेले में और स्थानों पर पुलिस की कमी हो गयी। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सच है लेकिन यह अवश्य है कि वी० आई० पी० कैम्प्स में माननीय नेता लोग ठहरे हुये थे। हमने यह भी देखा है, श्रीमन्, कि जब कभी किसी मेले में अथवा इलेक्शन्स के मौके पर मंत्रीगण निकलते हैं तो उनके लिये क्या इन्तजाम होता है। मैं यह नहीं कहता कि मंत्रीगण यह चाहते हैं कि पुलिस हमारे पीछे पीछे चले। मैं यह नहीं कहता हूं कि मंत्रीगण यह चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेकर एस० डी० ओ० सब-डिवीजनल आफिसर आदि सब उनके पीछे पीछे चलें। परन्तु श्रीमन्, मालूम यह अवश्य होता है कि ये आफिसर यह समझते हैं कि अगर हम नहीं गये या हमने खातिरदारी नहीं की या काफी पुलिस का प्रबंध नहीं किया तो शायद मंत्री महोदय हमसे नाराज हो जाँय। मैं आपके द्वारा अपनी सरकार से और मंत्रीगण से यह निवेदन करूंगा कि इस दुर्घटना के बाद वे इससे सबक लें और अपने आफिसरों के दिमाग से यह चीज निकाल दें कि वे यह चाहते हैं कि जहां हम जायं वहां पर जुलूस निकले, जहां पर हम जायं वहां पर लाल साफे की कतार लगी रहे। जहां हम जायं वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिवीजनल आफिसर या फलाना ढेमाका उनकी खिदमत के लिये वहाँ तैयार रहें। अगर अफसरों के दिमाग से यह चीज निकल जायगी तो मैं समझता हूं कि मंत्रीगण भी यह पसन्द करेंगे कि जहां पर वे जायं अपना काम करें, अपना काम देखें। और ऐसी दुर्घटना की तथा मेलों की बात तो जाने दीजिये, ऐसा देखने में आया है कि जिस समय कोई मंत्री किसी जिले में आता है, किसी टाउन में पहुंच जाता है तो जितने दिन वह वहां रहता है उतने दिन के लिये वहां का सब काम ठप हो जाता है। पुलिस के दारोगा साहब, पुलिस के अन्य कर्मचारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और उसके नीचे के अन्य कर्मचारी मिनिस्टर साहब की खिदमत में ही रहते हैं और सब काम बन्द हो जाता है। क्या आवश्यकता है इन सब बातों की? मंत्री महोदय जिस काम को देखने के लिये जाते हैं उस काम को करके चले आ सकते हैं।

श्रीमन्, जो दुखद दुर्घटना हुयी वह तो हुयी ही परन्तु उस दुखद दुर्घटना के हो जाने के बाद जो दुखद बात हुयी उसे मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं। मैं खुद वहां नहीं गया, मैं कह नहीं सकता कि यह बिलकुल सच होगा परन्तु जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया तो अवश्य सच होगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री को साढ़े तीन बजे तक या चार साढ़े चार बजे तक इस दुर्घटना का पता नहीं चला। ऐसी बड़ी दुर्घटना हुयी, परन्तु उनको इसका पता नहीं चला। दूसरी तरफ हमारे माननीय मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त जी यह कहते हैं कि इस दुर्घटना के एक घंटा बाद ही वे वहां पहुंच गये तो यह भी अवश्य सच होगा। अभी माननीय नेता विरोधी दल ने संकेत किया है कि वे शायद इसी कारण से पार्टी में शामिल भी नहीं हुए। श्रीमन्, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिये कि यह दुर्घटना उस पार्टी के बहुत घंटे पहले हो चुकी थी और जब कि वहां पर हमारे प्रेसीडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर और इस प्रांत के सभी मंत्रीगण वहां मौजूद थे, तो फिर श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे मंत्रीगण ने, हमारी सरकार ने श्री राज्यपाल महोदय को यह ऐडवाइस क्यों नहीं की कि कोई पार्टी न दी जावे। फिर श्रीमन्, मुझे यह नहीं मालूम होता कि जब इतने पहले यह दुर्घटना हो गयी थी तो फिर कैसे यह पार्टी हुयी। मुझे तो यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि यह बहुत ही गलत, दुख और शर्म की बात हुयी। मुझे मालूम नहीं कि हमारे मंत्रीगण में कौन कौन वहां मौजूद थे और कौन कौन वहां नहीं थे। मुझे तो यह पता चला है कि जिस समय पार्टी हो रही थी उस समय तक शायद बहुत सी लाशें निकल चुकी होंगी। इतना ही नहीं बल्कि हमारे मंत्री महोदय बहुत सी लाशें गिन भी चुके होंगे। उसके बाद भी जो सबसे दुखद बात यह हुयी कि कोई म्यूजिक पार्टी भी वहां हुयी जिसमें मंत्रिगण भी शरीक हुए थे। मैं कह नहीं सकता कि

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

कौन-कौन लोग उस नाच में शामिल हुये थे । लेकिन श्रीमन्, यह बड़े दुख और शर्म की बात है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के बाद ७,८ घंटे तक भी माननीय मुख्य मंत्री जी को इसका पता नहीं लगा है । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का पता लगावें कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से माननीय मुख्य मंत्री के वहां होते हुए भी उनको इस दुर्घटना का ७, ८ घंटे तक पता नहीं चला । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं अगर उन्हें इसका पता नहीं चलता कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाय और माननीय मुख्य मंत्री के वहां रहते हुए भी उनको ८ घंटे तक पता न चले । अब माननीय मुख्य मंत्री जी भी आ गये हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि वे इस बात को अवश्य ध्यान में रखेंगे । अन्त में मैं श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार से फिर यह दोहरा ऊंगा कि जो कारण हैं उन पर तो जो कमेटी बैठायी गयी है वह विचार करेगी ही, लेकिन उस कमेटी के लिये भी जो कुछ मैं सुन रहा हूं या अखबारों में देख रहा हूं उससे यह अवश्य प्रतीत होता है कि जनता को कुछ कान्फीडेंस इस कमेटी में नहीं दिखलाई देता है । मैं कमेटी के मेम्बरों के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता और कुछ कह भी नहीं सकता । बड़े विद्वान् लोग उसमें हैं, बड़े तजुर्बेकार लोग हैं । एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और एक रिटायर्ड आई० सी० एस० आफिसर हैं । इनके खिलाफ कहा ही क्या जा सकता है परन्तु इतना अवश्य प्रतीत होता है कि जनता का यह ख्याल है कि जनता का वहां पर कोई नहीं है हांलाकि यह भी जनता के ही समझे जाने चाहिये, परन्तु फिर भी मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा जनता को कांफीडेंस में लेने के लिये और जनता को यह बतलाने के लिये सरकार जो कुछ हुआ सो हुआ इसका कारण ढूंढ निकालने के लिये कोई कोताही नहीं करेगी । अच्छा होगा सरकार एक ऐसे व्यक्ति को उसमें रख दे, जिससे जनता को यह पता चले कि हां अब उसके साथ न्याय होगा और हर तरह से अब कारण ढूंढ निकाला जायगा कि इसका कारण क्या था और इसकी सजा किसको मिलनी चाहिये ।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी कि मेरी आदत है मैं सदन का बहुमूल्य समय अधिक नहीं लेता और जो बातें पहले कही जा चुकी हैं उन्हें दोहराता नहीं, लेकिन आज मैं इतना अवश्य कहता हूं कि मेरे हृदय में आज विरोधी दल के नेता के प्रति बहुत बड़ा सम्मान है और मैं उनकी दो बात को छोड़कर प्रत्येक बात से सहमत हूं, जो उन्होंने बतायीं । एक बात तो वह जो उन्होंने यमुनाप्रसाद त्रिपाठी के बारे में कही और दूसरी जो मेला अधिकारियों के बारे में कही उन दोनों बातों को छोड़कर मैं उनकी हर एक बात से सहमत हूं और यदि उनकी स्पीच पर कोई कार्यवाही हो तो मैं उनके साथ चलने के लिये तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष--यहां निर्भय हो कर ही सारा काम होता है ।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा--मैंने तो २० मई, सन् १९५२ को ही आप को बधाई देते हुये इस पद को ग्रहण करते समय कहा था कि हम लोग कुछ कर सकने में असमर्थ हैं यहां जो सरकारी लोग हैं और जिन पर कांग्रेस का लेबिल लगा हुआ है वह कुछ करने नहीं देंगे तो भी हमें पूर्ण रूप से आशा है कि आप हमें कहने देंगे । ऐसा होता है कि यदि कुछ कर नहीं सकते तो कुछ कहा करो तो कहने के लिये आपकी बदौलत हमें यह स्वतंत्रता है । "सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्" के अनुसार जो बात सच हो तो कहने में कोई डर नहीं है । लोग हंस कर मेरी बात की तरफ आकर्षित हो जाते हैं तथा गैलरी में जो लोग बैठे हैं उनका भी ध्यान आकर्षित कर देते हैं । श्री तुलसीदास जी रामायण में सब लोगों को धन्यवाद देते हैं । इसी प्रकार मैं सबको धन्यवाद देते हुये आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमें बोलने की स्वतंत्रता देते हैं । मैंने पहले ही दिन कहा था कि राज्यपाल के सम्बोधन में हमको खेद

है कि राज्यपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में चरित्र निर्माण का कोई उपाय नहीं बताया। उस वक्त लोगों ने हंसी में उड़ा दिया लेकिन आज क्या है रोज यही बात है। दिल्ली में भी एक कमेटी बैठी हुयी है इसलिये कि स्टूडेन्ट्स का मारेल रेस्टोर किया जाय। परन्तु उस दिन जब मैंने कहा था तो हमारे सदन के नेतागण ने हंसी में उड़ा दिया था। तो मैं आज इसी तरह नम्रतापूर्वक कहता हूं कि हमारे सरकारी कर्मचारी लोग जो हैं उनका अधिकांश का तो यह है कि जब कोई बात हो जाती है तब उसके बाद उसका समुचित प्रबंध करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है जैसा कि राजनारायण जी ने कहा है कि वहां का प्रबंध निहायत अच्छा था परन्तु दुख है कि वह प्रबंध किसके लिये अच्छा था। हमारी सरकार तो सेकुलर है, धर्मनिर्पेक्ष है। उस दृष्टि से किसी धर्म के कार्यों पर कोई उचित प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं थी परन्तु वह तो कुछ बनियागीरी करना चाहती थी कि कुछ रुपया अधिक वसूल हो और उसने यहां तक किया कि जजिया लगा दिया था जो कि औरंगजेब के जमाने में भी नहीं लगाया गया था, वह भी कुम्भ के मेले के अवसर पर लगाया गया। यह तो बनियाटाइप मैन्टेल्टी है और वह भी इस लिये कि जरा बोलबाला बढ़ जाय जेनरल एलेक्शन के वक्त जनता से यह कहा जाय कि भाई देखो हमारी सरकार यह कहते हुये भी कि हमारी धर्मनिर्पेक्ष गवर्नमेंट है, सेकुलर गवर्नमेंट है, कुम्भ के अवसर पर कितना सुन्दर प्रबंध किया गया। परन्तु दैवी इच्छा तो होकर ही रहती है पुलिस के कुप्रबंध के कारण यह सब हुआ। जैसा राजनारायण जी ने कहा कि प्रबंध सब बिलकुल ठीक था, लेकिन दुर्घटना के दिन के लिये नहीं। मैं तो दुर्घटना स्थल में मौजूद नहीं था।..... (हंसी)

(एक क्षण ठहर कर) श्रीमन्, यह निवेदन करूंगा कि यह समय जो हंसी में ले लिया जाता है उसको मेरे समय में से न काटा जाय। लोगों ने कहा कि आप वहां नहीं थे। यदि मैं वहां होता तो शायद यहां खड़ा न होता, क्योंकि मैं तो वी० आई० पी० कैम्प में न होता। मैं तो साधारण नेता हिन्दू महासभा का बिल्ला लगाकर यहां ४३० में पहुंच गया होता। मुझे कौन पूछता कि तुम कौन हो।

"कस नमी पुर्सद कि भइया कौन हो।"

मैं तो उन सेन्ट्रल के मिनिस्टर साहब की सराहना करता हूं जिनके बारे में मैंने सुना कि वह कुम्भ में स्नान करने के लिये दिल्ली से आये और इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं, वे अकेले अपने एक अर्दली के साथ कुम्भ स्नान करने चले गये। परन्तु मंत्रियों को जोकि अपने को पब्लिक सर्वेन्ट कहते हैं, यदि आज कोई राजा होता तो उसके दिल में हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता के आधार पर यह खयाल पैदा होता कि वह जनता का पति है, परन्तु आजके जो नेतागण हैं, आज के जो सरकारी अधिकारी वर्ग के लोग हैं, वे यह समझते हैं कि हम लोग मुंह से चाहे जो कुछ कहें परन्तु करते कुछ भी रहें। मेरी एक बहुत बड़े मुसलमान आफिसर से बातचीत हुयी। उन्होंने कहा कि बाबू जी इसका क्या जवाब है कि उसके बाद पार्टी होती है और म्यूजिक होती है। हमारे यहां पाकिस्तान में भी, उनके मुंह से इत्तिफाक से हमारे यहां भी लफ्ज निकल गया, किसी रेल एक्सीडेन्ट में ३०० मर गये थे। तो उस दिन देश में जितने फंक्शन थे सब रोक दिये गये। परन्तु इलाहाबाद में बैठे हुये लोग पार्टी उड़ावें। कोई खाना नहीं मना करता था परन्तु यह कि अखबारों में निकले की पार्टी हुयी और म्युजिक हुआ, बड़े शर्म की बात है। यहां भी बैठकर वे लोग ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। जिस वक्त राजनारायण जी का भाषण हो रहा था लोग हंस रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि इस देश की कितनी दुर्दशा होने वाली है। क्या यह स्वतंत्रता जो हमको इतने कष्ट से मिली है कायम रह सकेगी? यह लोग जो महात्मा जी के नाम पर कमाते खाते हैं क्या वे महात्मा जी की एक बात भी मानने के लिये तैयार हैं? कल यहां सदन में बातचीत करते हुये मैंने एक साहब से कहा कि महात्मा जी ने यह कहा था कि धर्म की वृद्धि करो ताकि जो स्वराज्य हम चाहते हैं वह हमको जल्द मिल जाय। एक बहुत बड़े बुजुर्ग

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

साहब यहां के हमारे माननीय सदस्य जो कि कांग्रेसी हैं वे बोले कि धर्म के माने क्या हैं? मैंने कहा कि माने तो सरकार मैं जानता हूं परन्तु तुम शुद्ध चेले हो महात्मा जी के, इसलिये आप के सामने मैं माने क्या बता सकता हूं? इस तरह से मैंने यह कह कर अपनी जान छुड़ायी। तो अब यह हालत हो रही है।

श्री अध्यक्ष--आप जरा अपने संशोधन पर आ जायं तो अच्छा होगा।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा--श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं वहां की दुर्घटना के बारे में ही वहाँ की कुछ बातें कह रहा हूं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, बल्कि उन पर जोर दे रहा हूं कि यह दुर्घटना क्यों हुयी। इसका कारण यह है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल गये। अगर हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को जानते और मानते तो ऐसा कार्य न करते क्योंकि वहां पर प्रबंध करने के साथ साथ बिजनेस भी हुआ और जजिया भी लगाया गया कि किसी तरह से रुपया वसूल हो और इसके अलावा यह भी कि हमारी वाहवाह हो। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि उसमें कोई सेवा का भाव भी नहीं था। मुझे तो यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि हमारे जो रेलवे के मुलाजिम थे या मिलिट्री वाले थे या पुलिस वाले थे उनका तरीका इस मेले में इतना अच्छा था कि जिसे आदमी कभी पहले सोच भी नहीं सकता था। उन लोगों के अन्दर यह भावना कदापि नहीं थी कि वह किसी से पैसा पैदा करें या किसी से इस तरह का व्यवहार करें जिससे यह पता चले कि वह हाकिम है और जनता महकूम। परन्तु हमारे मंत्रीगण, हमारा वी०आई०पी० जो सब के कैम्प में लगा हुआ था, जिसका हमारे राज नारायण जी ने अच्छी तरह से वर्णन किया, उन लोगों के दिलों में यह खयाल होता तो ऐसी दुर्घटना कदापि न होती और सब इन्तजाम भी अच्छी तरह से हो जाता। अब इस कमेटी के बिठलाने से क्या लाभ है?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या इन्तजाम होना चाहिये ?

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा--मेरे एक दोस्त पूछते हैं कि क्या इन्तजाम होना चाहिये? मुझ से ज्यादा अच्छा इन्तजाम करने वाले लोग वहाँ मौजूद थे और मैंने भी सराहना की है कि बहुत अच्छा इन्तजाम किया। यह वह मेरे मुंह से भी कहलाना चाहते हैं कि क्या इन्तजाम होना चाहिये। इन्तजाम तो यह होना चाहिये कि मिनिस्टर लोग भी आ करके उस मौके पर इन्तजाम करते और जनता की भीड़ को अलग करते। यह न होता कि पुलिस उन मिनिस्टरों के इन्तजाम में लग जाती, बल्कि मिनिस्टर पुलिस के साथ, मेला के प्रबंधक के साथ मौके पर आ करके खड़े होते। जो बूढ़े लोग थे हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जैसे, वे न आते मौके पर। मगर जो ऐसे लोग हैं जैसे कमलापति त्रिपाठी जी हैं या हमारे हरगोविंद सिंह जी हैं या ठाकुर हुकुम सिंह जी हैं, ये लोग मौके पर आ करके खड़े होते और इन्तजाम करते। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं दशहरे में प्रेसीडेन्ट या वायस प्रेसीडेन्ट की हैसियत से इन्तजाम करता हूं और भीड़ में खुद खड़े होकर करके इन्तजाम करता हूं पुलिस पर नहीं छोड़ता हूं, स्काउट्स पर नहीं छोड़ता हूं और कम से कम एक लाख आदमी दशहरे के रोज गोंडा में जमा होते हैं। जो करे सेवा वह खाये मेवा। महात्मा जी ने इसीलिये अपना नाम पैदा किया, परन्तु उनके नाम पर आज खाने कमाने वाले वह त्याग और तपस्या भूल गये हैं।

चराकारे कुनद आकिल कि बाज आयद पशेमानी,
आंचे दानां कुनद, कुनद नादां लेक बादस्त अज पशेमानिये बिसियार।

जब बहुत परेशानी हो गयी तब कमेटी बिठला दी गयी। जो बेचारे मर गये उनके लिये कमेटी क्या देख लेगी। जब मैंने वहां आदमी भेजा तो मालूम हुआ कि इलाहाबाद में जितने टेलीफोन आफिसेज हैं, टेलिग्राम आफिसेज हैं, उन सबके सामने पांच पांच छे छे सौ आदमी टेलीग्राम लिये हुए खड़े हैं। जिसका नम्बर आ गया किसी क्लर्क से कह करके कि भैया हमारा बहुत अर्जेंट है, भेज दो, तो उसने भेज दिया, बाकी सब खड़े रहते थे। इस प्रकार सारे देश में हाहाकार मच गया। (हंसी) हंसिये, यहाँ भी हंसिये, वहाँ भी हंसिये, पार्टी उड़ाइये, म्यूजिक सुनिये, शर्म नहीं आती है। मैं कभी इस किस्म के शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं। परन्तु "सत्यं ब्रूयात, प्रियं ब्रूयात" के आधार पर आज यह मुझे कहना पड़ा कि आज राजनारायण जी के साथ मेरी जोड़ लगा दी जाय। मैं इतना कहकर क्षमा चाहता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि मेरा एक दूसरा संशोधन भी है और उस पर आप मुझे बोलने की अवश्य आज्ञा देंगे।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आज सदन के सामने माननीय राम नरेश शुक्ल जी ने पेश किया है, उसमें निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"कुम्भ मेले में जो दुर्घटना घटी है उस पर जो संवेदना श्री राज्यपाल ने प्रकट की है उसमें मरे हुये व्यक्तियों, जो असहाय हैं उनके परिवार की सहायता तथा मृत व्यक्तियों के जेवरात और जो सम्पत्ति वहां छूट गयी है उसके बारे में जिक्र नहीं किया है। सदन यह प्रस्ताव करता है कि निस्सहाय मृत व्यक्तियों के परिवारों की सहायता की जाय।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तो हमारे पूर्व वक्ता जो बतला गये हैं और आज कुम्भ मेले पर जो बहस चल रही है, कुम्भ मेले के बारे में करीब ६ महीने से देश के कोने कोने में यह शोहरत थी कि इस साल बहुत दिनों के बाद यह कुम्भ मेला लग रहा है। यही नहीं मेले के इन्तजाम के बारे में भी यह शोहरत थी कि मेले में बहुत इन्तजाम हो रहा है। सात प्लेटफार्म बने हैं, पुल बनाये गये हैं और गाड़ियों के आने का भी स्पेशल इन्तजाम हो रहा है। इतना ही नहीं। हर जगह से यह आवाज आने लगी कि उस मेले में इस देश का राजा आ रहा है, यानी इस देश के प्रेसीडेन्ट बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी आ रहे हैं और माननीय प्रधान मंत्री आ रहे हैं और प्रदेश के जितने मुख्य मंत्रीगण हैं वे सब वहाँ पहुंच रहे हैं। इस शोहरत से देश के लोगों के दिल में यह भावना हो गयी कि हमको भी वहाँ पहुंचना चाहिये। और जैसे देहात में लोग एक गीत गाते हैं कि आल्हा ऊदल जब कहीं तीर्थ स्नान में जाया करते थे तो यह कहावत थी कि "पहिले डुबकिया लगी ऊदल की तब पीछे से कोई नहाय" अर्थात् पहले राजा नहायेगा उसके बाद में और लोग नहायेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री अध्यक्ष---श्री रामसुभग वर्मा अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री राम सुभग वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मेले की बहुत बड़ी शोहरत कोने-कोने में थी कि बहुत सुन्दर इन्तजाम है। कुछ दिन पहले मुझे भी मौक़ा मिला, मैं मेले में गया और देखा भी वहां पर कुछ पुल बन रहे थे, ७ प्लेटफार्म थे और मेले के इन्तजाम के लिये हर जगह पर कैम्प गड़े हुये थे। जगह जगह पर सड़कों की मरम्मत हो रही थी और देश के कोने कोने में यह शोहरत हो रही थी कि मेले में बहुत अच्छा इंतजाम है, गाड़ियों की सुव्यवस्था की गयी है, ट्रेनें बढ़ा दी गयी हैं, लोगों में इससे बहुत बड़ा उत्साह हुआ, और देहातों में शोहरत हुई कि देश के राजा इस कुम्भ मेले में स्नान के लिये आ रहे हैं, इससे मेले का बहुत महत्व बढ़ गया। जैसा कि मैंने बतलाया कि पहले लोग कहा करते थे, देहाती एक मसल है कि इस देश का नौजवान जो ऊदल था जब कहीं स्नान करने जाया करता था तो

[श्री राम सुभग वर्मा]

"पहलि डुबकिया लगि ऊदल कीं तो पीछे से कोई नहाय", ऐसी भावना लोगों के दिल में काम कर रही थी, कि जिस मेले का इतना बड़ा महत्व है कि पहले देश का प्रेसीडेंट स्नान करेगा, उसके बाद और लोग नहायेंगे। देश का राजा वहां नहाने के लिये आ रहा है, उसके दर्शन के लिये और उस मेले के महत्व को समझ कर के कोने कोने से लोग चल पड़े।

बहुत से लोगों को वहां जाने में, जो देहातों से गये, बहुत सी कठिनाइयां उठानी पड़ीं। बहुत से लोग तो टिकट कटा कर तीन-तीन दिन, चार-चार दिन तक स्टेशनों पर बैठे रहे। बहुत लोग वापस लौट आये, बहुत से लोग ट्रेनों की छतों पर बैठ कर गये और ऊपर से गिर कर मरे। यह तमाम घटनायें सुनने में आयीं। सारी बातें होते हुये भी जब मेले में लोग पहुंचे तो वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गयी थी जैसी भीड़ संसार में कभी नहीं हुई थी। वहां जो दृश्य उपस्थित था उसे मैंने तो देखा नहीं, मैं तो वहां गया नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा है उनका कहना है कि वह सम्भालने योग्य नहीं थी। लेकिन उस मेले में इस देश के जितने माननीय मंत्री थे और जितने जिम्मेदार व्यक्ति थे सब पहुंच गए थे। उस मेले की दर्दनाक घटना सुन कर के कोई ऐसा माननीय सदस्य नहीं होगा और जो लोग सदन में बैठे हुये हैं, किसी का हृदय यह गवाही नहीं दे सकता कि वह भयानक घटना नहीं थी और उनके हृदय में दुःख न हुआ हो।

वह घटना इस तरह से बतलाई जाती है कि कुछ सड़कें माननीय मंत्री और आदरणीय लोगों के लिये रिजर्व कर ली गयी थीं कि उस रास्ते से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आने पावेगा। इस तरह से और आम रास्तों पर बहुत बड़ी भीड़ हो गई। यही नहीं, उस मेले के लिये लोग बतलाते हैं कि ९० वर्ष पर यह कुम्भ का मेला लगा था। फिर ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा यह सोच कर कोने कोने से लोग पहुंचे थे। घटना का मुख्य कारण यह था कि उस समय साधु और नागा लोगों का जलूस निकला उस बहुत बड़े जलूस को देखने और उनके चरणों को छूने के लिये लोग आगे बढ़े। नागाओं ने रोका, हथियारों का भय दिखाया। ऐसा बताया जाता है कि जो पुलिस अधिकारी थे, जो इन्तजामकर्ता थे, वह सब लोग मन्त्रियों के और उच्च अधिकारियों की सेवा में लगे हुये थे और वहां पर इस भीड़ का, इस नागाओं के जुलूस का इन्तजाम नहीं कर पाये। जब लोग दर्शन के लिये वहां टूट पड़े, तो नागा लोगों ने उन पर कुछ थोड़ा सा आक्षेप किया, डरवाया अपने हथियारों से, पुलिस ने उन पर डंडे बरसाये। वह भीड़ जब नागाओं के इस दृश्य को, ऐसी हरकतों को और पुलिस की हरकतों को देख कर भागी तो भगदड़ मच गयी। लोग कहते हैं और एक देहाती क़िस्सा है कि एक गांव था। नदी के किनारे बसा हुआ था। कुछ छोटी छोटी बच्चियां नदी से पानी भरने के लिये आयीं। उन्होंने जब अपनी मटुकी डुबकायी तो सेवार उनकी मटुकी में आने लगी। तब एक लड़की ने कहा कि देखना सेवार आ रही है। वह ऐसा कह कर अपनी मटुकी लेकर भागी। बाद में और लड़कियां भी भागीं। देखने वालों ने पूछा कि क्यों भग रही हो, तो उन लोगों ने कहा कि सेवार आ रहे हैं। यह सुनकर वह लोग भी भगे और एक भगदड़ मच गई। ठीक यही हालत वहां हुई। जब लोग वहां से भगे तो वहां के कार्यकर्ता उस भीड़ को सम्भाल नहीं पाये। जो लोग नीचे गिर गये वह फिर उठ नहीं पाये। वह कुचले और रौंदे गये। उस दुर्घटना को कैसे बयान किया जा सकता है। जो नीचे पड़ गये वह लातों से रौंद कर मर गये। हजारों की तादाद में लोग मर गये और हजारों की तादाद में लोग घायल हुये। वह घटना ऐसी दर्दनाक थी, ऐसी घटना घटी और ऐसी दुखद कहानी ले कर जहां जहां देहातों में लोग गये वह रोते हुये गये और यह सनसनी पूर्ण घटना २४ घंटे के अन्दर इस देश के अन्दर फैल गई। जिनके घर के लोग स्नान करने गये थे वह अपनी छाती पर हाथ रख कर सोचते थे कि हमारे घर की क्या हालत हुई, हमारे माता, पिता क्या हुये। चारों तरफ देश में हाहाकार मच गया। २४ घंटे के अन्दर देश में चारों तरफ तार टेलीफोन से खबर हो गयी और देश में हाहाकार मच गया। वहीं हमारे माननीय मंत्रीगण बैठकर रंग और नाच औरदावत उड़ाते थे। माननीय प्रधान मंत्री को आठ घंटे तक पता ही नहीं चला कि ऐसी घटना घटी है।

श्री अध्यक्ष---दावत का जिक्र तो इसमें है, लेकिन नाच वाच का कोई जिक्र है नहीं।

श्री रामसुभग वर्मा---सर, विरोधी दल के नेता माननीय राजनारायण जी ने अपने भाषण में कहा कि मुर्दों के बीच में जिन्दों की कव्वाली हो रही थी। यह बिल्कुल सही है कि एक तरफ से तो ऐसी दर्दनाक दुर्घटना घटती है, लोग रोदें जा रहे हैं, उनके शरीर की पसलियां निकल रही हैं और उनकी कोई पर्वाह नहीं है। एक तरफ पार्टी का रंग नाच हो रहा है। मुझे बहुत से लोगों से पूछने पर पता चला कि, मासूम बच्चे मरे, मातायें मरीं जिन बच्चों की मां मरीं, उनकी छातियों पर बच्चे रो रहे थे। बिल्कुल निःसहाय औरतें मरीं, निरीह जनता जो कि भीख मांगने के लिये उन सड़कों पर बैठी हुई थी उन की हत्यायें हुईं। बहुत से लोग जो देहात के होते हैं, जेवरात पहन कर गये, उनकी जानें गयीं, पुरुष और औरतें जो साथ गये, औरत मर गयी पुरुष का साथ छूट गया, मुलाकात नहीं हुई। उन औरतों के जेवरात का पता नहीं, उनकी लाश का पता नहीं सारी चीजें गायब हुईं। इस सारी घटना के घटने के साथ साथ आप के सामने यह प्रस्ताव हमने रखा कि उन निःसहायों के जो बच्चे मरे, जो बुड्ढे मरे उनके क्रिया कर्म के वास्ते उनकी सहायताकी जाय, और जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई परवरिश करने वाला नहीं है उनके लिये सरकार अपनी तरफ से पेनशनें दे। जिन लोगों के वहां जेवरात छूट गये और कुछ लोगों के रुपये पैसे छूट गये उसको सरकार पता लगा करके अगर सुरक्षित रूप से उनके यहां पहुंचाये तो बहुत बड़ा काम होगा।

इन सब बातों के कहते हुये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि फिर वह इस बात पर ध्यान दें कि जो ऐसे लोग मरे हैं उनको सहायता देने के लिये वह व्यवस्था करे।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---मोहतरिम स्पीकर साहब, मैं इस तजवीज की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो मेरे भाई ने गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर शुक्रिये की पेश की है।

जाहिर है कि आज जब हम शुक्रिये के लिये कोई तजवीज पेश कर रहे हैं और उसकी ताईद कर रहे हैं तो एक तरफ हम उस पर गौर करते हैं, उन वाक़यात पर, गवर्नमेन्ट के उन कामों पर जो साल भर के अर्से तक उसने अन्जाम दिये हैं और जिसका तज़किरा खुतबे के अन्दर किया गया है, तो साथ ही साथ इसके हमें उस अलमनाक वाकये को रखना पड़ता है जो इत्तफाक से इलाहाबाद में रूनुमा हुआ। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि जहां तक यह वाक़या हुआ, अफसोसनाक हुआ, दर्दनाक हुआ, अलमनाक हुआ और कोई शरीफ आदमी ऐसा इस मुल्क के अन्दर न होगा जो इस वाकये से मुतास्सिर न हो जिसका दिल इस वाकये से जख्मी न हो ? जो गंगा जी के किनारे ३ तारीख को हमारी बदक़िस्मती से हमारे सामने आया।

हम समझते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यू० पी० की गवर्नमेंट ने जो बेपनाह रुपया पानी की तरह बहाया, इस कुम्भ के मेले का इन्तजाम करने के सिलसिले में, शायद इस कुम्भ के खत्म हो जाने के बाद मुखालिफ जो एतराज करने के ही आदी होते हैं ? कहेंगे कि रुपया पानी की तरह बहाया गया लेकिन शायद इसका मौका न आयेगा कि हमने कुम्भ में आने वाले लोगों को आराम पहुंचाने में कोई दक़ीक़ा बाक़ी रखा लेकिन हमारी बदक़िस्मती से और हिज्ब मुखालिफ की खुशक़िस्मती से कोई न कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि जिसको लेकर गवर्नमेंट पर तनकीद करने का काफी मौक़ा हासिल हो जाता है। वह हासिल हो गया। जब दयानतदारी के साथ उस पोलिटिकल दयानतदारी के साथ जो अखलाकी दुनिया में फरायज के तौर पर अदा की जाती है और उसका जब लिहाज होता है तो हमको यही कहना पड़ता है कि एक तरफ हमारे इन्तजाम की यह खराबी हुई तो दूसरी तरफ हमारे मुलाजिमों की जांफिशानी थी। मैं भी इलाहाबाद का रहने वाला हूं। तकरीबन महीने डेढ़ महीने से बराबर इलाहाबाद में रह हूं। इलाहाबाद में सरकारी काम करीब करीब सिफर के बराबर हो गया था, सारा अमला का अमला इसी दरिया के किनारे इन्तजाम में लगा हुआ था। इस मौके पर नाशुक्रगुजारी होगी अगर बिल्कुल दयानतदारी के साथ देखा जाय तो जो काम वहां के सरकारी

[श्री मुहम्मद शाहिद क़ाबरी]

मुलाजिमान ने अन्जाम दिया और जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं इलाहाबाद के, मैं नहीं समझता था कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसा होगा जो फरायज को अंजामदेही में सुबह से शाम और शाम से सुबह कर देगा। दो दो तीन तीन बजे रात तक सरकारी मुलाजिमों ने गैरमामूली तौर पर अपने फरायज को अंजाम दिया। मैं हमेशा तनकीद की तरफ ज्यादा मायल रहता हूं लेकिन दयानतदारी क फर्ज है कि मैं उस चीज को कहूं जो वहां की गई। वहां ३ तारीख जब क़रीब आयी तो उससे पहले जो खिचड़ी का मेला हो चुका था उसमें उम्मीद से बहुत कम मजमा हुआ और एक हद तक लोगों को यह खयाल हो गया था कि मजमें का जितना अन्दाजा था उतना न हो सकेगा। उसकी वजह गवर्नमेंट का वह फैसला था जिसके मातहत लाजमी तौर पर इनआकुलेशन दिया जा रहा था और उसी की वजह से बहुत बड़ा मजमा रुक गया था लेकिन मौके पर एतबार से केबिनेट ने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि लाजिमी तौर पर इनआकुलेशन बन्द कर दिया जाय और फिर एक दरिया था आदमियों का जो इलाहाबाद की तरफ मायल हो गया। इसमें शक नहीं उसके पहले जितना इन्तजामात किये गये थे वे काफी समझे जाते थे लेकिन बाद में जैसा लीडर आफ अपोजीशन ने कहा कि जो ६ पुल बने थे यकीनन मजमे को देखते हुये कम थे। पिछली १०० वर्ष की तारीख में शायद ही इतना बड़ा मजमा हुआ हो। इस एतबार से ६ पुल कम थे। कई मील लम्बे बांध के ऊपर मजमा खड़ा हुआ था और आगे का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरिया के किनारे पहुंच चुका था, हालांकि उस वक्त मैं वहां मौजूद नहीं था, वह नागों और साधुओं के जलूस को देखने के लिये मायल हो गया। मुझे एतराज था कि मजहबी एतबार से जब इतना बड़ा मजमा था तो ऐसे जुलूस को निकालने के लिये इजाजत क्यों दी गई, लेकिन मुमकिन है कि इस खयाल से न रोका गया हो कि लोग कहेंगे, और शायद बाद में आप भी एतराज करते कि साहब मजहबी फंक्शन रोक दिया गया, इसके रोक देने से सेनसेशन फैलने का डर है। जब वह जुलूस आया तो जो मजमा दरिया के किनारे खड़ा था वह उसको देखने के लिये और क़रीब आया और जो लोग बांध पर खड़े थे वे भी नीचे उतरने लगे। पुलिस ने उनको रोका इस खयाल से कि कहीं धक्के मुक्की की नौबत न आ जाय, क्यों कि जगह कम थी। लिहाजा पुलिस ने उसे रोका ताकि मजमा आगे न बढ़ने पाये। उधर कुछ साधू बिगड़ गये क्योंकि उनको काफी जगह बढ़ने के लिये नहीं मिल रही थी। थोड़ी हाथापाई हो गई। पूरे वाक़यें पर पूरे तौर से इजहार नहीं हो पाया है लेकिन यक़ीनन कुछ ग़लतियां वहां पुलिस वालों से हुई। बजाय इसके कि जो मजमा पीछे खड़ा था उसको हटाया जाता वह आगे वाले मजमे से उलझ पड़े और पीछे वाले मजमे को हटाने के लिये अक्ल से काम नहीं लिया। यह नहीं सोचा कि मजमा जब तक पीछे से नहीं हटाया जाता तब तक आगे वाले मजमें को ढकेलने से क्या नतायज होंगे। फर्ज की अदायगी में उनसे कुछ कोताही हुई लेकिन बददयानती नहीं हुई। कोताही और बददयानती में फर्क करना ही होगा। जब पुलिस ने आगे वाले मजमे को हटाना शुरू किया तो पीछे के मजमे ने आगेको जोर दिया और कहा यह जाता है हालांकि मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने बतलाया है कि पुलिस ने उस वक्त बेंत भी चलाये जिस तरह बेंत चला कर मजमे को हटाया जाता है। उसी वक्त कुछ साधुओं ने भी मारा जिससे कुछ लोगों के सर फट गये। इसके लिये निहायत अफसोस है और उतना ही रंज आप को होगा जितना कि हमारी तरफ बैठने वालों को है या जितना रंज हमको है उतना ही आप को होगा। मैं अर्ज करूंगा जनाबवाला की खिदमत में कि कोई भी शख्श ऐसा न होगा जिसकी हालत उस मंजर को देखने के बाद खराब न हुई हो। मेरे दोस्त हाफ़िज़ गजनफरुल्ला साहब मेरे पास ठहरे थे। कुल मिला कर ८० साहब थे। बाज बाज बड़े बड़े घरों के लोग थे। उनमें एक बूढी और बुजुर्ग मां थीं जो गायब भी हो गयीं और कोई परिवार ऐसा नहीं था, जिसका एक हिस्सा गायब न हो गया हो। खुदा का शुक्र है कि नौ, दस या ग्यारह बजे रात को सब मिल सके। इस वाक़यें के पहले भी एक वाक़या हो चुका था। लोग साथ साथ चलने में पिछड़ गये और बहुत से गिर गये। मुझसे एक आदमी कह रहे थे कि अगर मैं अपने पीछे आने वाले आदमी को बचाने के लिये झुकता तो मैं भी गिरता और बचा नहीं सकता था और खुद भी मरता लिहाजा उसको कुचलने दिया गया।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)---क्या आप वहां पर गये थे ?

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री--मैं खिचड़ी के दिन गया था और ३,४ मर्तबा बाद में भी गया। ३ तारीख को भी गया था और कई मर्तबा वहां पर हाज़िर हुआ और कंट्रोलरूम तक भी पहुंचा था और उस हिस्से तक भी गया जहां पर लोग नहीं जमा थे।

वी० आई० पी० के मुताल्लिक़ एतराज़ किया गया यह बात सही है कि मज़हबी निगाह से स्नान के मौक़े पर सब एक हैं और कोई तफ़रका नहीं होना चाहिये। वहां पर सब की वही हैसियत है चाहे कोई भी हस्ती हो, लेकिन ऐसे मौक़े पर बाहर से भी कुछ मेहमान आये थे और दूसरी जगह से भी अफ़सर लोग आये थे जिनके लिये कुछ इन्तजाम करना ज़रूरी था और उनके लिये वह इन्तजाम किया गया था, जिसके लिये कोई एतराज की गुंजायश नहीं हो सकती है। वी० आई० पी० कैम्प वहां पर इसलिये नहीं लगाया गया था कि वहां पर जा कर लोग गुलछर्रे उड़ायें। वहां पर जो मिनिस्टर गये थे उन्होंने वहां पर घूम कर देखा कि किस जगह पर क्या ज़रूरत है। जहां तक मुझे याद पड़ता है मौतम जी वहां पर गये थे और उन्होंने वहां के इन्तजाम का मुआयना किया था और भी मिनिस्टर वहां पर गये और उन्होंने जा कर देखा और इन्तजाम को देखने के बाद कुछ हिदायतें भी दीं कि ऐसा होना चाहिए। आज मुझे यह सुन कर हैरत हुई कि आने जाने का कोई इन्तजाम नहीं था। इस बात का पूरा इन्तजाम था कि एक तरफ से लोग आयें और दूसरी तरफ से जायें लेकिन इसके ऊपर भी एतराज किया जाता है। मैंने भी देखा और लोगों ने मुझसे कहा है कि नाहक़ में यह तीन मील का चक्कर कटवाया जाता है। लेकिन इन्तजाम करना ज़रूरी था उसके लिये ऐसा करना पड़ा। मैं भी जिम्मेदारी से भागता नहीं हूं कि मुलाज़िमों के ऊपर जो ज़िम्मेदारी पड़ी है उसकी रू से उनसे ग़लती हुई और उनसे कोताही उस वक्त हुई। अगर वह कुछ अक्ल के साथ उसकी सम्हाल लेते तो शायद कुछ बचत हो सकती थी लेकिन मेरी राय में यह बहुत मुश्किल बात थी और उस रेले को रोकना आदमी की ताक़त के बाहर था। जिस वक्त यह वाक़या हुआ उसको उस वक्त कोई रोक नहीं सकता था अगर पचास हजार आदमी भी उसको रोकते तो वह भी ढकेल दिये जाते, क्योंकि इतने बड़े मजमुये को रोकना किसी भी ताक़त के बाहर था।

उन अखराजात के मुताल्लिक़ एतराज किया गया जो कि पिलग्रिम के लिये वहां पर इन्तजाम करने के लिये किये गये थे। गवर्नमेंट ने वहां पर इन्तजाम किया, उसमें सबके आराम का सवाल था। हज़ारों सरकारी मुलाज़िम वहां पर गये थे और उनके लिये भी इन्तजाम करने का सवाल था। और उनको भी ठहरने के लिये वहां पर जगह दी गयी। लेकिन ऐसा भी हुआ कि जिन दुकानदारों को जगह दी गयी उसके काफी दाम लग गये थे। और १६, १७ हज़ार रु० तक एक दुकान के दिये गये। जब वहां पर दुकानों के लिये ज़मीन दी गयी तो लोगों ने यह समझ कर वहां पर काफी आमदनी हो जायगी १६,१७ हज़ार तक रुपये दिये, क्योंकि वे यह समझते थे कि हम यहां से ५० हजार रुपये कमा लेंगे तो उसमें से यह रक़म मामूली बात है। इस वजह से क़ीमत बढ़ गयी। वक्त की कमी है वर्ना मैं कुछ और मज़ीद इसके मुताल्लिक़ अर्ज़ करता।

पार्टी के मुताल्लिक़ कुछ एतराज़ किया गया। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, इस बात की ख़बर बराबर पार्टीमें मिलती रही कि हादसा हो गया और कुछ आदमी की जान उसमें चली गयी। वहां पर हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारे बड़े लोग जिनकी हम सब इज्ज़त करते हैं वहां पर मौजूद थे। वह इन्तजाम वहां पर हो चुका था और बहुत से लोग वहां पर बुलाए गए थे इस वजह से उसको करना पड़ा। वैसे सबको इस बात का अफ़सोस था कि ऐसा हुआ। लेकिन सही तरीके पर कोई पूरी ख़बर नहीं मिली कुछ खबर मिली कुछ खबर नहीं मिली। ऐसे कोई जानबूझ कर वह पार्टी का इन्तजाम नहीं किया गया था कि वहां पर लोग दावत खाते रहें और यह वाक़यात होता रहे। इस वजह से मैं यह समझता हूं कि इस तरह का इल्ज़ाम लगाने में जरा एहतियात बरतनी चाहिये। वहां पर ऐसी शख्सियत मौजूद थीं कि जिनका हम सब एहतराम करते हैं। जहां तक मुझे याद है, गवर्नर साहब ने अपने खुतबा में इस दुर्घटना

[श्री मुहम्मद शाहिद फ़ारूक़ी]

और इस हादसे का तज़किरा किया है और इसकी अहमियत को कम नहीं किया है और कम करने से कोई फायदा भी नहीं है। इसलिये कुदरत की तरफ से यह चीज हुई जो किसी ताक़त से भी नहीं रुक सकती थी। लिहाजा हमें ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिये जिससे आगे इस तरह के वाक़ये न हो।

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)--अध्यक्ष महोदय, वास्तव में राष्ट्र का और हमारा यह दुर्भाग्य है और आलोचकों का तथा विरोधी दल का यह सौभाग्य है, कि यह दुर्घटना हुई जिसमें इतने सारे लोगों की जानें गयीं। कल जिस समय सदन के माननीय नेता ने समवेदना का प्रस्ताव पेश किया तो उस समय मुझे यह देख कर दुःख हो रहा था कि विरोधी दल के नेता उस समवेदना के प्रस्ताव पर भी वह केवल एक श्रेय की भावना से काम कर रहे थे वर्ना परम्परा के अनुसार वह उसमें इस बात के लिये प्रयत्न करते कि हमारी तरफ से इस प्रकार का प्रस्ताव हो, मैं नहीं समझता हूं कि इसके पीछे कोई और भावना काम कर रही थी, तो विरोधी दल के नेता (श्री राजनारायण) कहते हैं कि वह प्रस्ताव पहले से था लेकिन यह परम्परा है कि इस प्रकार की समवेदना का प्रस्ताव नेता सदन की तरफ से पेश होता है। इससे ज्यादा दुःख की बात और नहीं हो सकती। यहां पर वही कहावत चरितार्थ होती है कि किसी के मकान के अन्दर आग लगती है और कोई उसके अन्दर तापने की कोशिश करता है। आज हमारे देश में तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दया, करुणा, बुद्धि और सहृदयता यह केवल एकाधिकार हो गयी हैं उन लोगों की, जिनके खिलाफ जनता का वरडिक्ट हो चुका है। सहृदयता, दया, करुणा और बुद्धि लोप हो जाती है जैसे ही जनता विश्वास करके शासन का भार सौंप देती है। आज मैं देखता हूं कि जनतंत्र के अन्दर, जैसा सर जदुनाथ सरकार ने लिखा था, लोकतंत्र का स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया लेकिन लोकतंत्र की भावना हमारे हृदयों के अन्दर नहीं है और वही एरिस्टोक्रेटिक फीलिंग्स काम करती हैं। जिन पर जनता अपना विश्वास प्रकट करती है उनके खिलाफ जनता में द्वेष पैदा करने की कोशिश की जाती है। मैं नहीं जानता हूं कि जब कि राजे भस्मसात् हो गये.....

श्री अध्यक्ष--यदि माननीय मंत्री बाक़यात के ऊपर आजावें तो अच्छा हो।

श्री बनारसी दास--मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि उस कुम्भ पर बड़े बड़े हाथियों के जलूस निकले और बड़ी बड़ी सवारियों पर जलूस निकले, लेकिन मैंने उनकी आलोचना कहीं नहीं देखी और इस प्रकार की काल्पनिक बातें कही जा रही हैं कि पुल रिजर्व हो गया था २ तारीख से पहले कोई प्रतिबन्ध नहीं था और कोई भी व्यक्ति पुलों पर और कहीं भी। कार में जा सकता था लेकिन कितनी बड़ी सतर्कता बरती गयी कि वहां सांस्कृतिक सम्मेलन २ तारीख को हुआ जिसमें राष्ट्रपति को ठीक समय से पहुंचना था और वह उस समय मेले में से होकर न पहुंच सके और झूंसी की ओर से जाना पड़ा। तो केवल यह कहना कि मंत्री और राष्ट्रपति आदि ही जा सकते थे और उनकी वजह से दुर्घटना हुई, यह कहां तक न्यायसंगत है? ३ तारीख को देखा गया कि हैल्थ मिनिस्टर गुप्ता जी स्वयं उस घटना के स्थान पर कार से नहीं बल्कि नाव के द्वारा जा पाये।

मैं तो देखता हूं कि हमारे मित्रों का चुनाव फ़ोबिया हो गया है। हमेशा इलेक्शन की चर्चा करते हैं कि सुन्दर प्रबन्ध इसलिये किया गया था कि लोग यह कहें कि देखिये हम लोग भी धर्म में आस्था रखते हैं। चुनाव में तो अभी ३ साल का समय बाक़ी है। कम से कम मैं यह कह सकता हूं, चाहे कुछ व्यक्तियों के अन्दर इतनी राजनीतिक बुद्धि न हो कि ३ साल के बाद चुनाव होंगे और जनता की स्मृति बहुत छोटी हुआ करती है। तो केवल इस भावना से वह कैसे प्रभावित रह सकती है? अब संस्कृति का ठेका तो केवल हिन्दू महा सभा और हमारे माननीय नेता ने ही ले लिया है जो कभी कभी यहां गीता से श्लोक सुना देते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि उनकी उस संस्कृति के क्या अर्थ हैं। क्या वह एक देवालय की प्रतिमा के तुल्य है जो उनकी

शब्दावली से जाहिर होती है । उनकी यह सांस्कृतिक शब्दावली सदन की प्रोसीडिंग्स में सुरक्षित रहेगी । एक माननीय सदस्य ने कहा कि उधर के पत्रों ने ही नहीं बल्कि इधर के पत्रों ने भी इस दुर्घटना की चर्चा की है । जहां तक पत्रों का सवाल है, हमारे हृदय में उनके लिये बड़ा आदर है । स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया और पत्रकारिता का मुख्य आदर्श होता है निर्भीकता और सत्य के लिये प्रेम और इज्जत । लेकिन आज हमारे देश के अन्दर कुछ पत्र हैं जो जानबूझ कर पत्र सम्पादन कला में व्यभिचार पैदा करना चाहते हैं और नवजीवन उन पत्रों का अगुवा है । किसी का यह कहना कि यह कांग्रेस का पत्र है, ठीक नहीं है । यह कोई जर्नलिज्म का उसूल नहीं है । इसकी नीति झूठ, असत्य, शरारत पैदा करना, अराजकता पैदा करना है और मैं कहना चाहता हूं कि यह पत्र सम्पादन कला के नाम पर एक कलंक लगाना है । जो लोग जर्नलिज्म की परम्पराओं में यक़ीन रखते हैं, यक़ीनन मैं कह सकता हूं कि नवजीवन पत्रकार-कला के नाम पर एक कलंक है ।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि अगर वह कुम्भ के वाक़यात पर ही आ जावें तो अच्छा है ।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि चूंकि पहले इसका जिक्र था और नवजीवन को उसमें आधार बनाया गया था इसलिये मैंने उसकी चर्चा की । मैं तो केवल यह कह रहा था कि जो व्यवस्था की गयी थी उसमें केवल यह देखना कि वह इस भावना से ही की गयी थी कि जनता के अन्दर इस प्रकार का प्रचार हो । यह कहना कि क्योंकि यह सिक्यूलर स्टेट है लोग यह समझ सकें कि हम लोग भी हिन्दू हैं, लेकिन उनको यह जानना चाहिये कि जहां पर लाखों और करोड़ों व्यक्ति जमा होते हैं, चाहे वह उत्सव हिन्दुओं का हो, मुसलमानों का हो या ईसाइयों का हो, जहां पर लाखों की संख्या में नर नारी जमा होते हैं वहां पर सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उनके स्वास्थ्य का और उनकी रक्षा का प्रबन्ध करे । इसलिये यह कहना कि वहां पर २ तारीख तक व्यवस्था थी, लेकिन वह यात्रियों के लिये नहीं थी, तो क्या २ तारीख से पहले जो इतना बड़ा स्नान हुआ वह केवल दर्शकों के लिये था ? मैं तो यह जानता हूं कि विरोधी मित्रों को कदाचित् इस बात से दुःख हुआ होगा कि पहले स्नान पर कोई विशेष दुर्घटना नहीं हुई । आखिर वह तो यही चाहते थे कि इतना बड़ा कुंभ का स्नान बिना किसी बाधा के खत्म न हो जाय । आप का बराबर उसमें यह प्रयत्न रहा कि उसमें एक हजार आदमी मरे या दो हजार आदमी मरे और सरकार केवल साढ़े तीन सौ कहती है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या साढ़े तीन सौ आदमी मरना नाकाफी है ? क्या साढ़े तीन सौ आदमियों के मरने से या केवल २०० आदमियों के मरने से जिम्मेदारी और अव्यवस्था का कलंक सरकार पर कम आता है ? कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर बांध के पास गड्ढा था जो भरा नहीं गया । तो क्या माननीय विरोधी दल के नेता ने, जिनकी निगाह बड़ी तीव्र है, उससे पहले कभी यह कहा था कि उस गड्ढे से दुर्घटना होने की संभावना है । गवर्नमेंट के अन्दर यह दूरदर्शिता न सही, लेकिन वे तो कम से कम गवर्नमेंट को या वहां की मेला कमेटी को यह सुझाव दे देते कि यह गड्ढा बन्द कर दिया जाय नहीं तो आगे चल कर यह क़ब्र बन सकती है । मैं नहीं जानता कि किसी भी पत्र की तरफ से भी किसी अधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया हो । हां, बाद को यह कहना आसान हो जाता है, किसी भी दुर्घटना के बाद सलाह देना बहुत आसान काम है । दूसरे के इस प्रकार विपत्ति के अन्दर फंसे होने पर इस प्रकार की बातें करना एक रस लेना होता है । मैं नहीं समझ सकता कि क्या माननीय मुख्य मंत्री के अन्दर इतनी समझ और सहृदयता नहीं जो उनको मालूम हो जाने के बाद भी वे पार्टी के अन्दर जाते या कि पार्टी के अन्दर कोई विशेष आकर्षण था या कि उन्होंने अथवा माननीय राज्यपाल ने कोई ऐसी पार्टियां नहीं देखी थीं । इसके अतिरिक्त यह कहना कि वहां रंगरेलियां हुईं, मैं यह कह सकता हूं कि ७ बजे राज्यभवन में कुछ व्यक्तियों ने गान किया जिसको आपने डांस और म्यूजिक बताया है, उसमें हमारे केबिनेट का कोई मिनिस्टर नहीं था । माननीय मुख्य मंत्री जी भी वहां मौजूद नहीं थे । जैसी कि आपने व्यवस्था दी, मैं समझता हूं वैसा सदन का कोई भी माननीय

[श्री बनारसी दास]

सदस्य महामान्य राज्यपाल के प्रति आक्षेप नहीं कर सकता है। यह तो हो सकता है कि उन्होंने भूल की हो, लेकिन यह मैं कहता हूं कि आज यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमारी उस त्रुटि से लाभ उठाना चाहते हैं लेकिन जिनकी आवाज भर्राई हुई है, जिनके हृदय में उन सब मुसीबतों के लिये सहानुभूति की धारा बह रही है, उनसे ज्यादा दुःख माननीय मुख्य मंत्री जी को है। पंडित जवाहर लाल नेहरू भी हृदय रखते हैं। कहा गया कि एक हजार आदमी मरे। तो हमारे विरोधी दल के नेता भी मौजूद थे तो जब उन्हें मालूम हुआ तो क्या उन्होंने वहां जा कर लाशें गिनीं? जब इतनी भीड़ थी तो कोई व्यक्ति लाशें तो नहीं ले जा सकता था, तो फिर आखिर वे लाशें गयीं कहां? वे लाशें तो वहां पुलिस के द्वारा और हेल्थ गाड़ियों के द्वारा पहुंचाई गयीं, उनको तो गिनना था। हमारे देश के पत्रकार भी मौजूद थे और विरोधी दल के नेता भी मौजूद थे और जो मेले के यात्रियों से ज्यादा हमदर्दी रखते हैं जिनकी सेवा करना उनका मुख्य धर्म था वे भी उस मौके पर मौजूद थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं न तो उनकी कोई गिनती ही कर पाया है और न उनको देख ही पाया है। जो यह कहा जाता है कि इतनी ज्यादा मृत्यु हुई तो मृत्यु दो हुई या चार हुई उसका दुःख सब लोगों को है और आज जरूरत तो इस बात की है कि हम लोग एक समवेदना उनके साथ प्रकट करते और आगे कोशिश करते कि ऐसी दुर्घटना न हो।

जांच कमेटी के ऊपर भी आक्षेप किये गये। तो जब तक कोई इनक्वायरी की रिपोर्ट विरोधियों की जनता को मान्य नहीं हो सकती जिसमें उनकी आंखों से उनके चश्मे से देखने वाला कोई व्यक्ति शामिल न हो। हाईकोर्ट के जज भी मान्य नहीं हो सकते, ऐडमिनिस्ट्रेटर भी मान्य नहीं हो सकते जब तक कि सरकार को दोषी न ठहराया जाय। जनता को उनके ऊपर तब तक विश्वास नहीं हो सकता। जनता के विश्वास का एक मात्र चश्मा यही है जो उनकी आंखों में हो। जनता के विश्वास का एक ही पैमाना है जो उन लोगों के हाथ के अन्दर हो। जो आये दिन हमेशा रात और दिन बराबर मिस मेयो की तरह से ट्रेन इंसपेक्टरी का काम करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि यह तरीका राष्ट्र के कल्याण का नहीं है। यह मनोवृत्ति देश को आगे ले जाने वाली नहीं है, यह मनोवृत्ति जनतंत्र की तरफ ले जाने वाली नहीं है। यह विपत्ति एक राष्ट्र की विपत्ति है और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इसको डिस्टोर्ट करने की कोशिश काल करता है। केवल दोषारोपण करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आये दिन इस तरह की कोशिश करने से मैं नहीं जानता कि इससे देश सेवा हो सकती है या जनतंत्र की सुन्दर परम्परा यहां रखी जा सकती है। इसलिये यह संशोधन जो यहां पर पेश किया गया है मैं नहीं समझता हूं कि यह समवेदना प्रकट करता है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल ने कुम्भ की दुर्घटना के सम्बन्ध में जो समवेदना का जिक्र किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये, और जिन भाइयों ने उसके विरोध में संशोधन पेश किया है उनका विरोध करने के लिये आया हूं। अब तक के माननीय विरोधी पक्ष के नेता के बयान तथा विरोधी पक्ष के सदस्यों के भाषण सुनने के बाद यह साफ जाहिर हो गया कि न तो वे कुम्भ के अवसर पर वहां गये थे और न अब तक वहां गये ही हैं। मैं २९ तारीख को कुम्भ मेले में पहुंचा था और ७ तारीख तक वहां रहा। जहां लाशें थीं उनमें मैं भी गिरा हुआ था और मैंने भी गिरे हुये लोगों को उठाया था और वहां से उठा कर कोतवाली कैम्प में, अपने सेवा समिति कैम्प में तथा और जो दूसरे वालेंटियर्स कैम्प थे वहां पर उनको पहुंचाया था। उस घटना के अन्तर्गत या उस मेले की प्रत्येक चप्पे चप्पे भूमि से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं।

माननीय राज नारायण जी ने जिस तरह से बयान देते हुए घोर गर्जना की है उससे यह मालूम होता था कि जो लोगों को कष्ट हुआ उससे उनको कोई मतलब नहीं है बल्कि सिर्फ अखबारों में स्थान प्राप्त करने के लिये ही उन्होंने असेम्बली में घोर गर्जना की है। इसके

अलावा और कोई समवेदना उनकी उनके साथ नहीं थी । इसलिये कि मैंने देखा कि भीड़ में जिन बेचारों की जानें निकलीं, या जो गिरे हुये थे या भूले भटके थे उनकी मदद के लिये उनकी पार्टी का कोई भी वालेंटियर वहां नहीं मौजूद था, जो उनके लिये समवेदना सूचक आंसू भी गिरा सकता । अखबारों ने जिस तरीके खिलवाड़ किया उससे तो यही समझ में आया कि अखबारों की प्रतियां काफी तरीके से बिक जायं सिर्फ यह भावना उनमें दिखायी देती थीं । उसी तरीके से आज जिस प्रकार समवेदना सूचक प्रस्ताव पेश करके मेरे विरोधी माननीय सदस्यों ने जाहिर किया है और थोथी समवेदना जाहिर की है उसी के कारण मैं आपके समक्ष कुछ कहने आया हूं । वाकया किस तरह से हुआ, क्या हुआ और कितना दुख हुआ वह प्रकट नहीं किया जा सकता और न किसी को आशा थी । जितने लोग वहां गये थे उनके लिये सरकार की ओर से जितना इंतजाम हुआ था उतना इंतजाम माननीय राजनारायण जी अथवा उनकी विरोधी पार्टी और उनकी सारी समवेदना सूचक शब्दावली था उस इन्तजाम का नक्शा भी नहीं बना सकती है । सरकार की ओर से रेलगाड़ी का, पानी का, सफाई का, वहां लोगों के आने जाने का जो प्रबंध किया गया था जिन लोगों ने उसे देखा है आसानी से वही जाहिर कर सकते हैं । ६० लाख आदमियों का या ४० लाख आदमियों का जितने वहां गये सब का एक लक्ष्य था संगम में स्नान करना और संगम कोई लाख दो लाख एकड़ जमीन रखने वाला तो है नहीं । मुश्किल से चार, पांच या ६ सौ एक जमीन है । इसमें सब लोग स्नान करने जा रहे थे । गंगा और यमुना की धारा में नहीं बल्कि जहां दोनों धारायें मिलती हैं उसी में स्नान करने जा रहे थे । उसमें किले के मैदान की ओर से तीन बड़े बड़े मार्ग बने हुये थे । माननीय राजनारायण जी ने कहा कि केवल एक ही मार्ग था । इसीलिये मैं कहता हूं कि वे वहां गये नहीं हैं । एक मार्ग किले की ओर से सटा हुआ था । एक ग्राम सेवादल की रैली से सटा हुआ था और तीसरा कोतवाली के किनारे किनारे सटा हुआ गया था और जहां ये तीनों मार्ग मिलते हैं वहां ९ पुल झूसी से आने जाने के लिये बने हुये थे । इसके बाद यह कहना कि एक ही मार्ग था आने जाने के लिये और उसमें से आने के लिये ६० लाख आदमियों को प्रचार करके बुलवाया गया और सरकार का मंशा था कि लोगों को कुचलवा डाला जाय यह बिलकुल ही थोथी दलील है ।

जनता को शांतिपूर्वक स्नान करने देने के लिये, जनता को अधिक से अधिक अपने धर्म के विचारों को व्यक्त करने के लिये अवसर देने के लिये ही सरकार ने यह सब कुछ कर रखा था । परन्तु जैसी कि परम्परा होती है, सब लोग एक ही ओर जाते हैं सब लोग एक ही ओर गये । वहां धक्का हुआ और नागाओं की ओर से धक्का हुआ लेकिन अब राज नारायण जी शायद नागाओं की ओर से कुछ वकालत फरमाने लगे हैं । मैं यह बात साफ साफ बतलाने के लिये तैयार हूं क्योंकि मैं अपने परिवार को तीन बजे संगम स्नान कराने के लिये ले गया था । उसके बाद ८ बजे मैं अकेले अपने डेरे से गया था । साधारण समय में मुझे अपने डेरे से संगम तक जाने में केवल पांच मिनट लगता लेकिन मुझे एक घंटा हनुमान जी के मंदिर तक पहुंचने में लगा था, इतनी भीड़ थी । वहां एक यमपुरी का सा गड्ढा था जिसमें स्वप्न में भी खयाल नहीं किया जा सकता है कि वहां भी आदमी जा सकता है, उसी से लगी एक सड़क थी हमारा खयाल था कि हम उस बांध के नीचे से होकर किले के पास चले जायं और वहां यमुना में डोंगी पर बैठकर संगम जावें और स्नान करके पैदल के रास्ते से चले आवेंगे । वहां पर खूब धक्का हुआ । सब उसी रास्ते से जाना चाहते थे । इसलिये सब जमुना पट्टी की ओर से चले । फिर इत्तिफाक से वहां बांध के करीब जोर का धक्का हुआ । दो बार धक्के हुये थे । पहला धक्का हुआ तो कुछ दो चार आदमी मरे क्योंकि जो नागाओं का दल आ रहा था उससे सड़क के किनारे बहुत ही बड़ी भीड़ हुयी और उनका चरण रज छूने के लिये और तमाशा देखने के लिये सब जुटे थे । जब नागा लोग पहुंचते हैं तो लोग दौड़ते हैं, झुकते हैं । उनके साथ ४ घुड़सवार और १० या २० सशस्त्र पुलिस उनके लिये रास्ते बना रही थी । परन्तु वह नागा लोग तलवार, गदका, गड़ांसी, गढ़ांसा, फरसा सब कुछ लिये हुये और कूदते कादते चले आ रहे थे और भीड़

[श्री केशव पाण्डेय]

पीछे हट रही थी। जो पीछे से भीड़ जा रही थी स्नान को देखने के लिये वह पीछे से धक्का दे रही थी पहला धक्का तो वहीं हुआ जिसमें कुछ आदमी मरे। वहां से मैं किस प्रकार अपने को बचा सका वह तो मैं स्वयं नहीं बता सकता और श्री राज नारायण जी का बताना तो बहुत दूर है। वहां पर बड़ी जोरों से रेला बढ़ रहा था। उस सड़क के किनारे जो गड्ढा था जिसकी ओर से कोई चल नहीं सकता था। उसमें जो गिर रहे थे वह उठ नहीं पा रहे थे। उसमें मैंने अपने को बचा लिया या यह कहिये कि भगवान ने बचा लिया। उसके बाद मैंने कई आदमियों को उसमें से निकाला। फिर और भी वालेंटीयर्स वहां पर पहुंचे और सबको उठा उठा कर रात के १० बजे तक पुलिस कोतवाली परेड में, सेवा दल कैम्प में, ग्राम सेवादल कैम्प तथा और जो वहां पर इस तरह के कैम्प लगे हुये थे ले गये। वह दारुण दृश्य वहां उस समय देखने से ही मालूम हो सकता था, उसका बयान करना तो बहुत मुकिश्ल है। फिर यह कहना कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी इसे सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर यह कि एक पुल मिनिस्टरों के लिये बन्द कर दिया गया था कतई और सरासर गलत बात है। किसी वक्त भी कोई पुल नहीं बन्द किया गया। पुल के बन्द होने का तरीका यह था कि एक तरफ से पुल पर जाने के लिये छोड़ते थे और दूसरी तरफ से आने के लिये छोड़ते थे। इसके बाद यह कहना कि वहां पर लाठी चार्ज हुआ यह भी बिल्कुल गलत है। वहां कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ था। लाठी चार्ज इसी तरीके से हुआ कि वे बेंत लिये हुये थे उसे हिलाकर कह रहे थे कि तुम पीछे हटो, लेकिन दो चार आदमियों को आगे की ओर से ऐसा कर देने से लाखों की भीड़ पीछे नहीं हटाई जा सकती है। उसके लिये ऐसा कह देना कि वहां लाठी चार्ज हुआ, बम्ब गिराये गये और गोली चली, यह बिलकुल सरासर गलत बात है। वहां साढे नौ बजे के करीब यह घटना हुई और साढ़े दस बजे के बाद वहां भगदड़ मच गयी। सारे लोग उचाट से हो गये। मैं भी उसी में से किसी तरीके से निकला और उसी पुल के जिसे कि माननीय राजनारायण जी कहते हैं कि बन्द कर दिया गया था, निकट से हटकर झूंसी की ओर से तैरकर बीच में गया और स्नान किया। लेकिन मैंने श्री राजनारायण जी को कहीं भी वहां नहीं देखा। न तो मैंने उन्हें ग्रामसेवा दल में ही देखा और न वहां पर जहां कि जमराज कुंड बना हुआ कहा गया है वहां पर ही देखा लेकिन फिर भी वह वहां पर इतनी जोरों से गर्जना कर रहे थे जैसे सारी तकलीफ उन्हीं को है और उसकी तकलीफ किसी और को नहीं है।

हमारे राज्यपाल महोदय को आज भी महान् कष्ट है कि वहां पर इतनी व्यवस्था की गयी और इतना इंतजाम किया गया फिर भी दुर्घटना हो गयी। हमारे माननीय राजनारायण जी ने कहा कि वहां पर जो लोग स्नान करने गये थे वे पापी थे और वे अपने पाप धोने गये थे। एक तरफ तो वे यह कहते हैं और खुद भी वहां पर गये तो फिर खुद वहां पर कौन सा कार्य करने के लिये गये थे ? फिर शिब्बन लाल सक्सेना जी का स्टेटमेंट निकलता है कि वह बांध के पास दिन भर खड़े रहे लेकिन वे वहां पर एक बच्चे को भी नहीं उठा सके। इसलिये विरोधी पक्ष में बैठ कर इस प्रकार से विरोध करने से देश का कल्याण नहीं हो सकता है। कुछ थोड़े से लोगों को ही सरकार के खिलाफ आवाज करने वाली बातें अच्छी लगती होंगी। शायद उस चस्के में आप आ गये होंगे और रोज सुनते होंगे इसलिये इन शब्दों के साथ मैं जो उसका प्रत्यक्ष दर्शी हूं, मनुष्य से लेकर ईश्वर तक शहादत देने को तैयार हूं कि जो घटना वहां पर घटी उससे जितना कष्ट हम सबको हुआ उससे अधिक कष्ट किसी को हो नहीं सकता है और जो इन्तजाम सरकार ने किया, अगर भाई राजनारायण जी को भी सरकार मिले तो वे भी वैसा इन्तजाम कर नहीं सकते। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त कारुणिक राष्ट्रीय दुर्घटना की काली छाया में हम लोग यहां इकट्ठा हुये हैं और मेरा मत है कि इस विषय

पर विवाद करते समय हमारा मूड भी ऐसा ही होना चाहिये। लेकिन अभी थोड़े समय पहले यहां सदन में जो हंसी के फौव्वारे छूट रहे थे, मैं समझता हूं कि यह उसी समझ का परिचायक है जो समझ उस दिन दावत में शामिल होने में दिखायी पड़ी थी, जो समझ पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री माननीय विधानचन्द्र राय की कारों में बैठी हुयी अमरीकन लेडियों द्वारा मेले का विशेषकर उस दुर्घटना के फोटो लेने में दिखायी पड़ी थी विशेषकर उस अवसर पर जब तड़पती हुई जनता एक एक करके दम तोड़ रही थी और वे लेडियां बैठी हुयी ऊंचे मचानों से फोटो ले रही थीं, जो समझ वहां दिखायी पड़ी थी वही यहां भी हमको कभी कभी दिखायी पड़ती है। मैं समझता हूं कि यह किसी के सौभाग्य का विषय नहीं है कि हमारे देश के इतिहास में यह एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय दुर्घटना हुई। मैं समझता हूं कि हर इन्सान को इससे दुख होना ही चाहिये और चट्टान और पत्थर का भी दिल रो दिया था जब लोगों ने उस दिन उस घटना को देखा या जिन्होंने बाद में जा कर लाशों को भी देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि केवल यह कह करके कि सारा प्रबंन्ध बड़ा सुन्दर हुआ था, सारी चीजें बड़ी अच्छी हुई थीं, लेकिन घटना का होना अनिवार्य था, ऐसी दुर्घटनायें ऐसे मेलों के मौकों पर, ऐसी भीड़ के अवसर पर हुआ ही करती हैं, जैसा कि देश के सर्वोच्च शासक ने भी अपना मत प्रकट किया था, या केवल यह कह देना कि भगवान ने लिख रखा था कि ऐसी घटना हो, मेरा यह मत है कि बहस की इन लाइनों पर जा करके हम ऐसी घटना को फिर होने से रोक नहीं सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से इस दुर्घटना के होने के अनेक कारण हैं जो मैंने वहां जा करके देखे और समझे। जहां तक अधिकारियों के सुप्रबन्ध का अस्तुतिगान यहां किया जा रहा है और खासकर माननीय केशव पांडेय जी ऐसे लोगों के जरिये जो वहां मेले में मौजूद थे, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अगर कामनसेंस भी वहां के अधिकारियों में मस्तिष्क में होती तो वह सोच सकते थे कि जहां लाखों आदमी इकट्ठा होंगे वहां बांध के ठीक नीचे इतना बड़ा गड्ढा क्यों छोड़ दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि श्री बघेल जी, जो मेला एरिया मैजिस्ट्रेट थे, जब उन्होंने यह सुझाव दिया था कि मेला की इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिये पूरे बांध को त्रिवेणी रोड की क्रासिंग की जगह पर काट दिया जाय और परेड ग्राउन्ड्स की सड़क और मेला एरिया की सड़क एक लेविल में कर दी जाय ताकि ऊंचे चढ़ने और नीचे उतरने का मामला ही खत्म हो जाय और जो दुर्घटनायें हुयीं उनको बचाया जाय, तो क्यों उसका विरोध किया गया। जो चीफ एग्जिक्यूटिव इंजीनियर थे उनकी ओर से या जो म्युनिसिपल अथारिटीज थीं उनकी ओर से क्यों नहीं ऐसा किया गया? क्या इस कामनसेंस की वहां कमी थी कि इतनी बड़ी भीड़ में यह गड्ढा मौत का गड्ढा बन जायगा? केवल भगवान का नाम ले करके यह कह देना कि कुछ ऐसे कारण हो गये जिनसे घटना घटी, इससे हम बच नहीं सकते। यह कामनसेंस की बात थी कि गड्ढे को पाटा जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निश्चित मत है कि केवल अगर गड्ढा न रहा होता और सारी घटना ऐसी ही घटी होती तो भी कम से कम मौत की संख्या दो तिहाई कम हो जाती। चाहे मौत एक हजार की हुई हो चाहे तीन हजार की हुई हो, यह अलग बहस का विषय है। दूसरा कारण मेरी समझ में नागाओं के जुलूस के समय नागाओं के द्वारा जो हथियारों का इस्तेमाल और प्रदर्शन किया गया यह है, हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, बछड़े, लिये हुये और पूरी तेजी के साथ नागाओं के जुलूस को उस लाखों की भीड़ में निकालने को एलाऊ करना भी अधिकारियों की अदूरदर्शिता का परिचायक है। तीसरी बात इन नागाओं ने भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिये अपने लिये काफी जगह लेने के लिये अपने त्रिशूल या दूसरे हथियारों का जो इस्तेमाल किया वह थी। मैंने देखा नहीं कि उन्होंने सचमुच मारा या नहीं, लेकिन उन हथियारों के डर से जनता को हटाने की कोशिश उन्होंने जरूर की और चौथा कारण मेरी समझ में पुलिस का हंटर और लाठी चलाना था। मैं केशव पांडे जी के मत से बिलकुल सहमत नहीं हूं कि पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं किया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया,

[श्री झारखंडे राय]

बदले कि भावना से किया, यह मैं नहीं कहता। लेकिन जैसा कि अभी श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी साहब ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि जब लाखों की भीड़ चली आ रही है और जनता को बांध के उस पार रोकने की कोशिश कतई नहीं की जा रही है, लाखों जनता नहा कर अपने-अपने स्थान पर वापस आ रही है, वहां पर रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है और जब कोशिश की गयी तो वहां पर जहां कि नागाओं का जुलूस निकल रहा था, तो उधर से भी लाखों आदमी आ रहे हैं और इधर से भी लाखों आदमी आ रहे हैं और एक जगह रोकने की कोशिश की जा रही है और जो अगली पांति है उस पर हंटर चल रहे हैं, उनको भी हटाया जा रहा है और नागाओं के हथियार भी उन्हीं को डरा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक ओर पीठ पीछे हिमालय पहाड़ ऐसी जनता खड़ी है और दूसरी ओर हंटर और हथियार चल रहे हैं तो आदमी हट कर कहां जाय सिवाय मौत के मुंह में? तो यह अदूरदर्शिता थी। जनता की जिन्दगी को चींटी से भी बदतर समझा गया।

अध्यक्ष महोदय, पांचवां कारण इस दुर्घटना का, जैसा कि हमारे अन्य सदस्य कह चुके हैं, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रबन्ध में तमाम पुलिस के अधिकारियों का लग जाना था। मैं नाम नहीं लेना चाहता उचित भी नहीं समझता, लेकिन एक बहुत ऊंचे दर्जे के पुलिस अधिकारी ने एक मेला सर्वोच्च अधिकारी के सामने जो भाव प्रकट किये, मैं उसको इमानदाराना बात समझता हूं। उस पुलिस अधिकारी को मालूम नहीं था कि उसकी बगल में एक कम्युनिस्ट भी खड़ा है। उन्होंने कहा कि क्या किया जाय, सारी पुलिस तो राष्ट्रपति और वी०आई० पीज० के प्रबंध में लगा दी गयी थी, जनता तो खुदा की राह पर छोड़ दी गयी। आखिर वही हुआ जो होना चाहिये था। वे सिविल अधिकारी जो खड़े थे चुप रह गये। कुछ महसूस भी किया कि यह उचित नहीं हुआ क्योंकि मैं जो खड़ा था।

कुछ सदस्य—उस अधिकारी का नाम लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपको नाम बताने के लिये कोई बाध्य नहीं कर सकता है।

श्री झारखंडे राय—अगर गृह मंत्री जी जानना चाहेंगे तो मैं उनको बता सकता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दुर्घटना के विषय में जहां तक कि दावत की बात कही गयी है, जिस दिन मैंने अखबार में दावत की बात पढ़ी, ४ तारीख को सुबह इलाहाबाद में, तो मैं कयास नहीं कर सका कि मैं गलत पढ़ रहा हूं या कि तारीख अखबार में गलत छप गयी है। यह मेरी कल्पना के बाहर की बात थी। इतनी बड़ी राष्ट्रीय दुर्घटना की छाया में जहां कि हजारों नहीं तो सैकड़ों मर गये, सैकड़ों घायल हो गये, सारे मेला एरिया में हाहाकार मचा हुआ है, हर आदमी अपने-अपने प्रियजनों के लिये रोता बिलखता फिर रहा है उस समय उसकी काली छाया में दावत दी जायगी या इस तरह से समारोह किया जायगा, मैं इसको सोच नहीं सकता था। मेरा खयाल हुआ कि जरूर अखबारों में मिसप्रिंटिंग हुई है। लेकिन बाद में जब उस पर टीका टिप्पणी शुरू हुई तब मुझे यकीन हुआ। उस समय हमें मालूम हुआ कि इटली का नीरो बादशाह जब रोम जल रहा था तो मौज ले रहा था, तो हमारे देश में भी अब ऐसे बादशाह हो गये हैं जो जनता की लाशों के ऊपर समारोह कर सकते हैं। यह हमें उस दिन महसूस हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं महसूस करता हूं कि यहीं पर गणेश प्रसाद जायसवाल जी, जो उस पक्ष के एक माननीय सदस्य हैं उनसे मैं चाहूंगा कि माननीय गृहमंत्री और मुख्यमंत्री बुला कर पूछें। अनुशासन के नाम पर लोगों के मुंह पर ताला लगा देना या हाथ उठवा देना सम्भव है, लेकिन इस दुर्घटना की जो असलियत है उसको छिपाने की कोशिश करना उचित नहीं है। सरकार में यह हिम्मत होनी चाहिये कि जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनको बोल्डली मान ले और उसको स्वीकार करे। उसके हित

में यही उचित होगा। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि गड्ढे को क्यों यों ही छोड़ दिया गया और क्यों सारी पुलिस की शक्ति वी० आई० पी० में लगा दी गयी या लगने दी गयी या दावत क्यों हुई। सरकार की इसी में महानता और महत्ता है कि वह उसको स्वीकार कर ले, लेकिन उसको डिफेंड करने की कोशिश करना बिलकुल व्यर्थ होगा। इससे स्थिति और खराब हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि अगर जनता को अपने ऊपर भी छोड़ दिया गया होता तो भी इतनी बड़ी दुर्घटना तो न घटी होती। कुछ सदस्य (वाह–वाह) आप सुन लीजिये वाह-वाह की बात बाद में होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात बड़े मार्के की आपको मालूम होगी कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गयी, बड़े-बड़े पहलवान अच्छे-अच्छे बदन वाले भी उसमें गिर गये, पिस गये। लाशों को अगर आपने देखा होता, मैं समझता हूं शायद देखा भी हो, तो अच्छे-अच्छे तगड़े आदमी गिर-गिर कर मर गये, घायल हो गये। मैं आपको बताऊं, मैं इस खबर को कनफर्म्ड न्यूज नहीं कहता, मंगला राय जो गाजीपुर के विश्वविख्यात बड़े पहलवान हैं, जो संसार के पहलवानों में अपना स्थान रखते हैं, वह हाथी भी गिर गया और हजारों उनके ऊपर से उतर गये। वह तो नहीं लेकिन उनके भाई कमला राय जो स्वयं एक पहलवान् हैं, मर गये। परन्तु उस एरिया में यह भी बड़े मार्के की बात है कि किसी पुलिस कांस्टेबिल को खरौंच भी नहीं आई। अगर एक भी पुलिस का आदमी उस स्थल पर होता तो क्या वह घायल नहीं होता? वह मर नहीं सकता था, घायल नहीं हो सकता था? एक खरौंच भी न लगना इसका कारण यह था कि घटना-स्थल पर कोई पुलिस नहीं थी। जितनी पुलिस थी वी०आई०पीज० के प्रबंध में लगी हुयी थी या नागाओं को रास्ता बनाने के लिये लगी हुयी थी। लेकिन घटना-स्थल पर और बांध पर कोई पुलिस नहीं थी। यही वजह थी कि एक पुलिस अधिकारी को, एक पुलिस कांस्टेबिल को, खरौंच नहीं आई।

नागाओं का जब जुलूस आ रहा था उस समय बड़े-बड़े पुलिस अफसरों का घोड़े दौड़ाना, कोड़े चलाना ताकि जनता डर कर पीछे हटे और नागाओं के लिये रास्ता प्रशस्त हो, यह कहां की बुद्धिमानी थी? इन चीजों को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे और इनके जिम्मेदार आदमियों को नहीं पकड़ेंगे तब तक ऐसी घटनायें आगे होती ही रहेंगी। आखिर कोई न कोई तो इस बड़ी राष्ट्रीय दुर्घटना का कारण होगा ही। यह कम महत्व की बात नहीं है कि स्वतंत्र सरकार के मातहत यह पहला महा कुम्भ प्रयाग में हुआ और उसी समय इतनी बड़ी दुर्घटना घट गयी और उसको पार्टी राजनीति के नाम पर या अन्य कारणों से छिपाने की कोशिश करना, उसके कारणों पर प्रकाश न पड़ने देना, मैं समझता हूं कि सरकार के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मृत्यु संख्या का प्रश्न है, मृत्यु संख्या जो सरकार की ओर से प्रकाशित की गयी है वह तो एक दम गलत है। उसका प्रमाण माननीय गणेश प्रसाद जी जायसवाल हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। क्योंकि जो लोग वहां पर थे लाश उठाने के समय, उनसे मैंने बातें कीं। उन्होंने बताया कि बीसियों लाशें उनके सामने उनके सम्बन्धी उठा ले गये और अधिकारियों ने उनको हुक्म दे दिया। उसकी कोई गणना, कोई गिनती उस संख्या में नहीं है, जो सरकार की ओर से प्रकाशित की गयी है। ३१६ जो लाशें बतायी जाती हैं, मैं जानता हूं कि ३१६ वे लाशें हैं जिनको सरकार की ओर से जलाया गया था, जिनका कोई वारिस सरकार को नहीं मिला था। उन लाशों की संख्या उसमें बिलकुल नहीं है, जो लाशें कि उनके सम्बन्धी उसी समय आ करके उठा ले गये थे।

जहां तक कि, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन घटनाओं के न होने देने के विषय में मेरे सुझाव हैं, उनको कह करके मैं चाहता हूं कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं। पहली मांग या पहला सुझाव मेरा यह है कि जो जांच कमेटी बनाई गयी है उसमें गैरसरकारी आदमी

[श्री झारखंडे राय]

जिनके व्यक्तित्व के विषय में कोई शक नहीं है और जो पार्टी लेवेल से भी ऊंचे हैं, इलाहाबाद में ही ऐसे आदमी हैं, उनको लिया जाय, केवल वही तीन आदमी नहीं जिनकी कि यह कमेटी बनायी गयी है। जो हताहत हुये हैं उनके परिवार वालों को सरकार की तरफ से मुआविजा या पेंशन का प्रबंध किया जाय। जो बांध है, मेरा सुझाव आगे के लिये भी है उसको स्थायी रूप से कम से कम किले और दारागंज के बीच चौड़ा किया जाय। उसकी ढाल को स्थायी रूप से कम किया जाय। प्रांत के जो लाखों भिखमंगे इकट्ठा हुआ करते हैं जिनकी वजह से भी रास्ते में तंगी आयी, उनकी कालोनीज बनाकर उन्हें बसाया जाय, जो लोग काम करने लायक हों, उनसे काम लिया जाय न कि बीमारी फैलाने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाय। जो अखाड़े और मठ हैं, मैं जोरदार मांग करता हूं कि उनकी सभी चल-अचल सम्पत्ति इसी अपराध में जब्त कर ली जाय। केवल अकेले उदासी मठ के पास २७ करोड़ रुपया जमा है। ऐसी अरबों की सम्पत्ति जो बिल्कुल व्यर्थ पड़ी है जिसका कोई राष्ट्रीय निर्माण के लिए उपयोग नहीं हो रहा है उससे एक संस्कृत यूनिवर्सिटी हमारे देश में कायम की जाय, एक ईस्टर्न फिलासफी रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया जाय और बेकार नवजवानों के लिये काम देने का प्रबंध किया जाय।

आखिर में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो धार्मिक कुसंस्कार अन्ध-विश्वासों, बुरे रीतिरिवाज और धार्मिक वाह्य आडम्बर प्रचलित हो गये हैं, जिसमें कुम्भ का वर्तमान रूप भी है, राजा हर्ष के समय में कुम्भ शुरू हुआ था, किस भाव से शुरू हुआ था, किस भाव से हजारों महात्मा उस समय इकट्ठे होते थे और किस तरह से लोगों को उपदेश दिये जाते थे, मैं समझता हूं कि इस विषय को इस समय लेना व्यर्थ है—इन्हें सुयोजित तरीके से सरकार कंट्रोल करने की कोशिश करे उन्हें निरुत्साहित करे और न कि उनको प्रोत्साहन दे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष जी, इसके पहले कि मैं कुछ कुम्भ के सम्बन्ध में बयान करूं मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी। गोकि मैं इस अवसर पर जो दशा प्रयाग में हुई केवल यहां शोक प्रस्ताव सदन में रखने के निमित्त आया था। परन्तु किसी प्रकार से उसकी आज्ञा नहीं मिली और हमारे माननीय पंत जी ने उस प्रस्ताव को पेश किया।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है, उस समय में कोई भी मनुष्य जो प्रयाग में रहा हो, जिसने इस घटना को देखा हो या उस घटनास्थल पर कुछ देर के बाद वह पहुंचा हो, मैं जानता हूं कि उसका हृदय द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता या वह किसी प्रकार से अपने को सम्हाल नहीं सकता था। माननीय अध्यक्ष जी, अभाग्यवश जिस रोज यह घटना हुयी उसके पूर्व शायद २ तारीख को जब मैं स्नान करने जा रहा था तो उसी पुल पर जिस पुल की चर्चा यहां बहुत जोरों पर हुयी और जिसके प्रबंध की तारीफ हमारे सामने के भाइयों ने की है उस स्थान को मैंने स्वयं देखा। जिस समय मैं जा रहा था, उस समय वहां पर एक पुल जिसको २ नम्बर पुल कहते हैं वह बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था और ४ नम्बर पुल पर सब यात्री जा रहे थे। ४ नम्बर पुल से मैंने भी जाने का प्रयत्न किया। मेरे साथ मेरे एक दो मित्र भी थे। परन्तु जब मैं ४ नम्बर पुल पर पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि २ नम्बर पुल इस समय टूट गया है। इस वास्ते वहां कोई नहीं जा सकता। अब २ नम्बर वाली भीड़ जो थी वह भी ४ नम्बर पर आ गयी और वहां पर केवल पी०ए०सी० की पुलिस मौजूद थी उसके अलावा कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं था जो उस स्थान का प्रबन्ध करता। जिस समय वह भीड़ उस तरफ आयी और इस तरफ जो भीड़ सामने से आ रही थी दोनों की टक्कर लगी तो उस भीड़ को रोकने वाला कोई अधिकारी न था। एक थानेदार और दो तीन कांस्टेबिलों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। अगर भीड़

को कोई कंट्रोल करने वाला होता तो वहां पर ३ या ४ आदमियों की जो मेरे सामने मृत्यु हुयी वह हरगिज न हुयी होती, यह बाद में मुझे मालूम हुआ कि वह पुल टूटा हुआ नहीं था बल्कि वह पुल एक मंत्री महोदय के लिए रोक दिया गया था, उनके लिए रास्ता बनाया गया था और उस भीड़ को इधर भेज दिया गया था।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा था कि इस कुम्भ के अवसर पर उन लोगों को ही रखना चाहिए जिन्होंने कुम्भ के अवसर पर वहां कार्य किया है वहां पर यह कोई नया कुम्भ नहीं था। मैं भी जब तक प्रयाग में रहता हूं प्रत्येक दिन गंगा जाता हूं, वहां हर छठें साल अर्द्ध कुम्भ और हर बारहवें साल कुम्भ होता है। मैंने भी कुम्भ देखे, चार कुम्भ देखे। लेकिन जिस प्रकार इसके लिए प्रचार किया गया उस प्रकार से वहां कोई प्रबंध नहीं किया गया। इसके पहले वहां केवल सिटी मैजिस्ट्रेट और तहसीलदार दो आदमी उसका प्रबन्ध करते थे परन्तु इस कुम्भ के लिए हमारी सरकार की ओर से बहुत प्रचार किया गया। उसके बाद वहां पर टैक्स लगाने की सूचना दी गयी और इंजेक्शन वगैरह लगाने का इन्तजाम किया गया इससे जनता में कुछ रुकावट पड़ी परन्तु फिर एक दम से मालूम होता है कि सरकार का यह ख्याल हुआ कि उसकी आमदनी में कमी होगी तो उसने इंजेक्शन लगाना हटा दिया और उनको जितनी भीड़ की आशा थी उससे भी ज्यादा भीड़ हुई। मेरा जहां तक अनुभव है कि ऐसी भीड़ हर छठवें वर्ष या १२ वर्ष के बाद इससे थोड़ी बहुत कम होती है। लेकिन जिस प्रकार का इन्तजाम किया गया था वह बिल्कुल अनुचित था। जहां तक गड्ढे का सम्बन्ध है मुझे पता नहीं कि इतने प्रबंध के बाद भी वह गड्ढा क्यों नहीं पाटा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह घटना हुयी उस समय मैं दुर्भाग्य से साढ़े नौ बजे के करीब वहां पर ही, वह दूसरा रास्ता जो सड़क से आता है, बांध के नीचे उस सड़क पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि वहां पर नीचे हजारों आदमी मर गये। माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि उस समय वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि कुछ स्वयं सेवक भीड़ को हटाने के लिए इधर-उधर दौड़ रहे थे। मैं उनके साथ गया। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि लाशों के ढेर पड़े हुए थे। एक ही स्थान पर एक हजार व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर लदे हुए थे। उनको हटाने वाला या देखने वाला कोई नहीं था। स्वयंसेवकों ने फिर उनको हटाना शुरू किया और एक घंटे के बाद पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी वहाँ घोड़े पर चढ़ कर पहुंचे। जब लाशें हटाई जा रही थीं तो उनमें मैंने देखा कि एक स्त्री अपनी छाती पर बच्चा चिपकाये हुए थी और उसकी बगल में उसके पति मरा पड़ा था और ८, ९ वर्ष का बच्चा उस पर सर पटक-पटक कर रो रहा था। कुछ लोग पानी पानी चिल्ला रहे थे। जब पानी के लिये अधिकारियों से कहा गया तो जवाब मिला कि व्यवस्था हो रही है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय आप यकीन मानिये मैं किसी राजनीतिक चाल की वजह से नहीं कहता या विरोधी दल के सदस्य के नाते नहीं कहता या इस वजह से नहीं कहता जिससे लोगों में जोश पैदा हो, वहाँ पर पानी का कोई भी प्रबन्ध नहीं हुआ और अगर पानी का प्रबन्ध हो जाता तो १००,२००, जानें अवश्य बच जातीं। मैंने स्वयं एक आदमी से जिसके पास लोटा था उससे पानी लेकर एक आदमी को पिलाया और उसकी जान बचाई। अधिकारियों से कहने पर भी एक घंटे तक कोई पानी का प्रबन्ध न हो सका और लोग उस जगह पर तड़प-तड़प कर चिल्ला रहे थे।

सबसे अधिक इन हत्याओं की जिम्मेदारी वी० आई० पी० कैम्प पर है। जिन अधिकारियों ने कैम्प का नक्शा बनाया था वह इसी ख्याल से बनाया था कि नेता लोगों को और अपने मालिकों को किस तरह से खुश किया जाय। मंत्री महोदय, गवर्नर और प्रेसीडेंट सब मिला कर १०० लोग रहे होंगे जिनके लिये अधिकारियों ने यह नक्शा बनाया था। केवल एक रास्ता आम आदमियों के लिये दिया था, जिसके कारण सफोकेशन से लोग मर गये। अधिकारीगण नेताओं और लीडरों के चक्कर में थे। वे चाहते थे कि उनकी वाह-वाही मिनिस्टर साहब दें, प्रधान मंत्री दें। ड्यूटी पर कुछ थोड़े से लोग लगा दिये और कह दिया कि फलां चीज भेज दो और वह चीज भेज दी गई।

[श्री कल्याणचन्द मोहिले]

यदि ड्यूटी पर पुलिस होती तो इतना बड़ा हादसा इलाहाबाद में नहीं होता। इलाहाबाद के लिये यह कोई नया काम नहीं था। इसके पहले केवल २ अधिकारी हमारे यहाँ रहते थे। इसमें एक त्रुटी यह जरूर रह गयी कि जो ६ पुल बनाये गये अगर वह केवल जनता के लिये बनाये जाते और एक आने के लिये और एक जाने के लिये अगर हो जाता तो कोई वजह नहीं थी कि इतना बड़ा हादसा होता। अगर जनता को जाने के लिये कुछ निकास मिल जाता तो जनता जरूर वहाँ से चली जाती। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो जाँच कमेटी बिठायी गयी है अगर उसमें जनता के आदमी नहीं रखे जायंगे तो फिर वही हालत होगी जो कि इस कुम्भ के अवसर पर हुई है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता, लेकिन उसके अन्दर पेन्शन पाने वाले लोग हैं वह किस प्रकार का न्याय करेंगे यह आप सब समझ सकते हैं। जनता के आदमी यदि उसमें रहेंगे तो उसमें उनको ज्यादा हाल मालूम हो सकता है। हमारे यहाँ प्रयाग में एक कमेटी बनी है। वह किसी पार्टी की नहीं है। हिन्दू सभा या और कोई पार्टी नहीं है। उसमें खुद टंडन जी जैसे आदमी हैं और भी कई आदमी हैं। तो उनमें से कुछ आदमी लिये जायं। उनकी जानकारी से कमेटी को बहुत विवरण मिल सकता है। केवल जाँच करने वाली कमेटी पर यह न छोड़ा जाय। कम से कम उन कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और जनता के साथ इस प्रकार से हत्याकांड किया है उनको सजा जरूर मिलनी चाहिये।

श्री देवनन्दन शुक्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय राज्यपाल ने सदन के सामने दिया उसके स्वागत का जो प्रस्ताव तथा संशोधन जो सदन के सामने आया उसमें तीर्थराज प्रयाग के कुम्भ की दुर्घटना एक मुख्य विषय हो गयी है उसके संबंध में जो कुछ कहा गया उसको हमने गौर से सुना और मेरे विचार में बहुत कुछ गलतफहमी विचारों में फैली हुई मालूम होती है जिसकी सफाई होना मेरे ख्याल से आवश्यक प्रतीत होती है। इस लिये इस विषय पर मैं चंद मिनट बोलना चाहता हूं। इसमें संदेह नहीं कि सत्य कहा जाना चाहिये, किन्तु सत्य, शील, संयम और मर्यादा के अन्दर कहा जाना चाहिये और यदि आवश्यकता पड़े तो सत्य सद्भावना से कहा जाना चाहिये "Truth should be spoken with politeness and if necessary it should be told with force"

मैंने विरोधी दल के सदस्यों की बातें सुनी। मैं उनके मन्तव्य से लेशमात्र भी संदेह नहीं करता उनकी भावना देशभक्ति से ओतप्रोत है। इसमें भी मैं कोई संदेह नहीं कर सकता कि देश के कल्याण की भावना उनके हृदय में है किन्तु मालूम यह होता है कि बहुत सी बातें जोश और खरोश में कही गयीं उनको कहते समय उनका मस्तिष्क अधिक आवेश में आया हुआ मालूम होता था, ऐसा मुझको लगता है। नमूने के लिये मैं एक बात कहूं। माननीय श्री झारखंडे राय जी ने अभी एक बात का जिक्र किया कि रोम तो जलता था और नीरो नाच रहा था —

"He misquoted-While Rome was burning Nero was fiddling-where is-'dancing".

(उन्होंने गलत उद्धरण दिया—जब रोम जल रहा था नीरो सारंगी बजा रहा था-"नाच रहा था" यह कहाँ पर है?)

यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस सदन में जो कुछ होता है वह राष्ट्र में फैलता है और माननीय विरोधी दल के नेता ने जो बात कही उसके बारे में उन्होंने यह विचार नहीं किया कि वे किसके बारे में यह कह रहे हैं। जब कि नररत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद जी, जो कि इंडियन रिपब्लिक के प्रेसीडेन्ट हैं उनकी मर्यादा और गौरव में जो दावत दी गयी थी और जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर वीर जवाहर भी मौजूद थे. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विरोधी दल के माननीय सदस्यों और प्रेस के द्वारा राष्ट्र को अपने विचारों से आगाह कर देना चाहता हूं कि क्या विरोधी दल के माननीय सदस्य इस बात का यकीन करेंगे कि नररत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद जी और वीर जवाहर लाल जी की नियत इतनी बद हो गई है, उनकी नियत इतनी खराब हो गयी है,

देशभक्ति से इतने वे विहीन हैं, मानवता से इतने वे गिरे हुए हैं और उनका स्तर इतना नीचा है कि यह क्वोट किया गया कि "नीरो वाज फिडलिंग व्हाइल रोम वाज बर्निंग" और कुछ माननीय सदस्यों ने शर्म-शर्म की आवाजें लगाईं। अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि यह संयत मस्तिष्क नहीं है जिनसे ऐसी अवांछनीय बात हमारे देश के उन दो रत्नों के संबंध में कही जावें। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के बारे में जनता की भावना किसी से छिपी नहीं है। उनके प्रति जनता की प्रगाढ़ आस्था और श्रद्धा है और उन्होंने आजन्म तप, तपस्या, त्याग, पांडित्य और उज्ज्वल चरित्र से जो देश की सेवा की है वह किसी से छिपी नहीं है। और भारतीय संस्कृति के तो वे प्रतीक स्वरूप हैं और हमारे विरोधी दल के भाई भी इस पर दो राय नहीं रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में तो मैं.....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य वाक्यात पर आजायें बनिस्बत इस प्रकार की प्रसंशा पर जिस पर आप जा रहे हैं।

श्री देवनन्दन शुक्ल—मैं इस विषय पर आ रहा हूं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वह अन्तर्राष्ट्रीय महापुरुषों में एक हैं और जिनकी देश भक्ति और नियत में सन्देह नहीं किया जा सकता। तो इस किस्म की बात जो हमारे विरोधी दल के भाई कहते हैं कि दावत हुई और उसके बाद कुछ ऐंज्वायमेंट की बात करना शर्म की बात है। यह बात कुछ जचती नहीं है।

अब रहा कि वाक़ई दावत हुई या नहीं हुई और इसकी ख़बर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद और प्राइम मिनिस्टर को हुई या नहीं, इसके बारे में बड़े जोर से मैं कहना चाहता हूं कि यह बात डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद या प्राइम मिनिस्टर के कानों में कभी नहीं पहुंची। अगर पहुंची होती या उनको यह बात मालूम होती तो वे पहले दो पुरुष होते, जो इसका विरोध करते। उस दावत में विदेशी राजदूत भी रहे होंगे। मेरा यह अनुमान है, अनुमान ही नहीं, दृढ़ विश्वास है कि इस घटना की ख़बर उन दो पुरुषों को नहीं थी।

हमारे मित्रों ने कहा कि पुलिस और मिलिट्री का इन्तजाम ख़राब था और नागे लोगों को हाथी, घोड़े, ऊंट तथा दलबल के साथ उस मेले में जाने देना अदूरदर्शिता की बात थी, सरकार के लिये। इस संबन्ध में मैं एक निश्चित मत रखता हूं और वह यह है कि एक बड़ी पुरानी परम्परा चली आरही है। नागा लोग कुम्भ के अवसर पर जिन परम्पराओं से अपने प्रोसेशंस निकालते हैं, उन परम्पराओं को भी यदि यह कांग्रेस गवर्नमेंट रोक देती, बन्द कर देती, तो आज भी ये विरोधी दल के हमारे जनसंघी, रामराज्य परिषद्, हिन्दूमहासभा, सोशलिस्ट तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सभी भाई इस पर इतना बड़ा उधम मचाते, इतना बड़ा बावेला खड़ा कर देते कि इससे बहुत बड़ी वितंडावाद की बातें हो जातीं। तो उस परम्परा का आदर करते हुये इस गवर्नमेन्ट ने उनके हाथी, ऊंट, दलबल इत्यादि को रोकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैं तो यह कहने के लिये आज अपने को बाध्य पाता हूं कि इसमें भी कुछ भगवान् की लीला थी। "ए मैन आर ए गवर्नमेंट इज वाइजर दैन दि इवेंट इज देयर।' यह जो दुर्घटना हुई उसने राष्ट्र को विवश कर दिया कि वह गवर्नमेंट से कहे कि इन नागाओं को अब कन्ट्रोल के अन्दर संगम पर जाने दो। अब कन्ट्रोल से उनका प्रोसेशन जायगा और निश्चय जायगा। और अब गवर्नमेंट भी वाइजर हो जायगी कि ऐसी दुर्घटना न हो तो यह भिजरी जो आयी वह किसी डिसगाइस में आयी है, जो आपदा आयी है उसके अन्दर भी कुछ श्रेय है। हमारे दो भाई माननीय श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी और माननीय श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा जी ने इस प्रकार का लांछन लगाया कि इस धर्म निरपेक्ष सरकार ने जजिया कर लगाया, बनिया की तरह से प्रबन्ध किया और टैक्स लगाया।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—मैंने नहीं कहा था।

श्री देवनन्दन शुक्ल—श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा ने कहा था। तो इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि सरकार ने जो इतना बढ़िया प्रबन्ध किया जिस प्रबन्ध की प्रसंशा सारे देश ने की है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि राजा हर्षवर्द्धन के बाद देश स्वतंत्र होने पर यह पहला अवसर है कि तीर्थराज प्रयाग को इस धर्म निरपेक्ष सरकार ने इतना बड़ा गौरव, इतनी बड़ी महत्ता दी और इतना बढ़िया प्रबन्ध था कि अगर यह दुर्घटना न हुई होती तो सिर्फ इस देश में ही नहीं, बल्कि सारे विश्व में इतना बड़ा विशाल जनसमूह जिसके रहने, ठहरने, भोजन और तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति का उचित प्रबन्ध किसी भी काल में भारत के किसी भी स्थान पर नहीं हुआ होगा। यह मैं कहने के लिये आपने को बाध्य पाता हूं कि यह जो दुर्घटना हुई थी उसके लिये जो विरोधी दल द्वारा गवर्नमेंट की निन्दा होती है उस निन्दा में कहीं-कहीं अधिक बदनियती टपकती है और वह बदनियती निराधार, निर्मूल और लांछन लगाने वाली है। यह कार्य उनके लिये उचित नहीं जान पड़ता। कदम-कदम पर गवर्नमेंट का छिद्रान्वेषण करना, हेल्दी क्रिटिसिज्म न करके सही सुझाव न देना ताकि राष्ट्र आगे बढ़े, यह उनके लिये उचित नहीं जान पड़ता। इन शब्दों के साथ मैं उनकी बातों का विरोध करता हूं और जो प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, आज महामान्य राज्यपाल के इस सदन के संबोधन के संबंध में जो संशोधन का प्रस्ताव उपस्थित हुआ है मैं उसका विरोध करने के लिये आपसे अनुमति चाहता हूं। सदन के हमारे उन मित्रों ने जो भाषण दिये हैं उनको सुनकर मुझे जान गाल्सवर्दी की एक अंग्रेजी की पुस्तक "स्वान सांक" की एक पंक्ति याद आ जाती है।

"English people are the most intelligent people on the face of the earth but intelligent only after the event.

(अंग्रेज लोग संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं किन्तु वे घटना के बाद ही बुद्धिमान होते हैं।)

बिलकुल ठीक वही दशा कुछ हमारे प्रजा समाजवादी भाइयों की प्रतीत होती है। हमारे कम्युनिस्ट सदस्य ने कामनसेन्स की बात यहां पर कही है। मैं नहीं समझता कि जिस कम्युनिज्म में कामन नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती, कलेक्टिव चीज जरूर हुआ करती है, उनके लिये कामनसेन्स की बात बड़ी बेकार सी बात मालूम होती है और उन्होंने हमें यह आदेश दिया है कि अनुशासन के बंधन को तोड़ कर जरा हम सच्चाई और सफाई से बातें करें। श्रीमन्, अनुशासन की बात हम जानते हैं कि कितनी है और कहां तक है। ऐसी बातें वह न करें जिनके दोनों हाथ खून से लाल केवल अनुशासन के पालन कराने में हों। बातें वह करें जिनके कम्युनिस्ट देश में कितने ही प्राणी रोज मक्खी की तरह मारे न जाते हों। हमें वह अनुशासन की बात कहें तो आश्चर्य मालूम होता है। मैंने श्रीमन्, कुम्भ के मेले में मृत्यु तांडव देखा था, मैंने मृत्यु का नाच देखा था, लाशों को देखा था और उनके ऊपर लुढ़कते पुढ़कते बच भी गया था पर श्रीमन्, आज मैंने उस श्मशान के ऊपर का अट्टहास भी देखा जिसके प्रणेता और नाटककार हमारे माननीय राजनारायण जी थे। आश्चर्य होता है सत्य की ऐसी विडम्बना देखकर। आश्चर्य होता है यह देखकर कि कैसे कोई सदन के सम्मुख ऐसी बातें कह सकता है कि जो सच्चाई और सफाई से दूर इतनी हो। मुझे एक बात श्री झारखंडेराय द्वारा सुनने को मिली कि कुम्भ में दो अमेरिकन महिलायें फोटो लेते हुये उन्होंने देखीं। जिस कुम्भ में कोई फोटो नहीं ले सकता था कुछ पत्रकारों को छोड़ कर और किसी को अनुमति नहीं थी तो भी फोटो लेते हुये उन्होंने देखा और इधर जब कि जानें जा रही थीं और जब मैं अपनी जान बचाकर किसी तरह से उस भीड़ से निकला था, और लखनऊ के एक प्रमुख दैनिक पत्र के सम्पादक भी अपनी जान बचा सके थे, उन्हीं के बीच दो अमेरिकी महिलायें तथा एक अमेरिकन भी था। वे तीनों अपनी जान बचाने के लिये तड़प रहे थे। तो श्री झारखंडे राय ने फोटो लेते हुये न जाने क्या दृश्य देखा था और मैंने उनके तड़पने का दृश्य देखा था। इन दोनों दृश्यों में अन्तर हो सकता है। आश्चर्य होता है जब श्री मोहिले कहते हैं कि ९ बजे जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजारों आदमी मर गये हैं। वहां मैं भी था। श्रीमन, सवेरे

४ बजे का भी मैंने दृश्य देखा था, पांच बजे का भी देखा और ९ बजे, १० बजे और ११ बजे का भी दृश्य देखा। जिनके साथ मैं था, जिनका मैंने जिक्र पहले किया है वह भी इस बात की गवाही देने के लिये तैयार होंगे कि जब बांध के नीचे पुलिस के लोग चिल्ला रहे थे, लाउड स्पीकर चीख रहे थे कि संगम पर बहुत भीड़ है मत जाइये, तब भी लोग धक्के दे दे कर पुलिसवालों को धक्के दे कर और स्वयंसेवकों को धक्के दे दे कर कतारों को तोड़ रहे थे और बढ़े चले जा रहे थे। मोहिले जी ने बताया कि बांध के नीचे हजारों आदमी मरे। माननीय राजनारायण जी ने कहा चार सौ, पांच सौ, छ सौ मरे, यानी सौ दो सौ का मरना हंसी खिड़वाल नहीं है। आज उन्होंने जो व्याख्यान दिया है उसी की रिपोर्टिंग देख ली जाय कि चार सौ, पांच सौ, छ सौ आदमी की बातें की गईं। उन्होंने कहा कि झूंसी में माननीय मुख्य मन्त्री जी को देखा था। जरूर देखा होगा। पेंसिल से रिपोर्ट लिखते रहना कि क्या हुआ एक आसान बात होती है, लेकिन वास्तव में जो कुछ हुआ उसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको वही बता सकता है जिसने दर असल देखा है जिसने इसके बीच में रह कर देखा है कि क्या हुआ। उसके दिल दिमाग से पूछिये कि उस पर क्या असर हुआ है। मैं जानता हूं कि कहां पर क्या हुआ। बड़ी आसानी से घुड़सवार पुलिस की बात कह दी जाती है और बदइन्तिजामी की बात कह दी जाती है। पुलिस वालों को गोली मार दीजिये, उनको जहन्नुम भेज दीजिए पर क्या वहां पर स्वयंसेवक भी नहीं थे। क्या वह भी नहीं थे। मोहिले साहब ने देखा कि कोई पुलिस कर्मचारी वहां नहीं था, तो क्या स्वयंसेवक वहां नहीं थे? पास में लगा हुआ सेवा समिति का कैम्प क्या उजड़ गया था? बांध के ऊपर दस पांच मिनट खड़े रहने से भी मैदान का हाल नहीं मालूम हो सकता है। जो लोग दो तारीख को वहां रहे होंगे, उन्हें ज्ञात होगा कि कितना अच्छा इन्तजाम था। उस क्षेत्र को धार्मिक दृष्टि से कल्पवास क्षेत्र कहा जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है आदमियों को दायें से आते और बायें से जाते और लाखों की भीड़ नहा करके बड़े नियम से निकलती चली जा रही थी। यदि किसी ने प्रत्यक्ष देखा होगा तो उन्होंने यह भी देखा होगा कि पुलिस वालों के लाख मना करने पर भी लोगों ने दायें से भी जाना शुरू कर दिया था। लाखों की भीड़ को कौन रोक सकता था? घुड़सवार पुलिस वालों की निन्दा की जाती है। अगर निन्दा की बात होती, तो मैं भी उसमें सम्मिलित होता। मेरा पुलिस से कोई सम्बन्ध नहीं है। और न पुलिस की प्रशंसा करने में कोई लाभ ही है। लेकिन जो बात मैंने देखी है, वह यह है कि घुड़सवार भीड़ के बीच में नन्हें-नन्हें बच्चों को अपने हाथ से उठाकर अपने घोड़े की जीन पर बैठा लेते थे और दूसरी जगह ले जाते थे। उनका बीच में कैम्प लगा हुआ था। मैंने भी उस कैम्प में जाने की कोशिश की परन्तु मुझे नहीं जाने दिया गया और मुझसे कहा गया कि तुम तो जवान आदमी हो। मैंने यह भी देखा कि जिनके हाथ में गंगाजली थी, उनके हाथ से वे गंगाजली छीन लेते थे और जो आदमी प्यास से तड़प रहे थे, उनके पास पहुंचा देते थे। यह कहा जाता है कि वहां पर कोई पुलिस कर्मचारी नहीं थे। सीनियर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस क्या कोई मामूली कर्मचारी होता है। किसी जिम्मेदार आदमी का इस तरह कह देना शोभा नहीं देता कि सात लाश काण्ड में उनका तबादला काशी से हुआ था। मैं यह नहीं जानता, पुलिस मन्त्री जी जानते होंगे कि किसी आदमी का कहां से तबादला क्यों हुआ, लेकिन जान लड़ाकर उसने वहां काम किया। यह भी कहा जाता है कि वहां पर एक ऐंग्लो इन्डियन घोड़े पर निकला था। उसका घोड़ा मेरी तरफ से भी निकला। मैंने नहीं देखा कि उसके हाथ में कितना बड़ा डन्डा था। शायद माननीय राजनारायण जी, उस डंडे को और उसके प्रहार को जानते हों। जो चीज मैंने देखी वह यह है कि वह सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के इशारे पर बराबर काम कर रहे थे। मैं जानता हूं कि पुलिस से शिकायत हो सकती है, लेकिन आज प्रान्त के प्रशासन को कायम रखने के लिए और व्यवस्था और नियम को ठीक तरह से चलाने के लिए पुलिस के दिल को तोड़ नहीं देना चाहिए। उसको भी कायम रखना होगा। चाहे कोई भी हुकूमत हो; लेकिन उसे पुलिस के परिश्रम की तारीफ करनी होगी। मैंने देखा कि पुलिस वाले जान लड़ाकर मर रहे थे और पिस रहे थे। मैंने स्वयं पुलिस वालों को अधमरे रूप में देखा। घायल देखा। पर वे अपने स्थान पर डटे रहे।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

अखबारों की बात क्या कहूं। उस दिन दो विशेषांक निकले। एक तो "अमृत-पत्रिका" हिन्दी में और दूसरा "भारत" में। भारत ने लिखा कि दो सौ मर गये और पत्रिका ने लिखा कि "एक हजार"। बात भी ठीक थी, जो ज्यादा लिखे उसका अखबार ज्यादा बिके। ज्यादा फिगर्स जो लाये उसकी बिक्री ज्यादा होगी। उसके बाद "भारत" में संख्या बढ़ती चली गयी। इस तरह से संख्या तो जितनी भी चाहें बढ़ा सकते हैं। एक चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह नहीं कहता कि प्रबंध अच्छा था या खराब था, प्रबन्ध कैसा था, यह तो वह जाने जिसने प्रबन्ध किया, लेकिन जिसने धर्म का संकल्प ले करके संगम में डुबकी लगायी, मैं उस डुबकी लगाने वाले धर्मार्थी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उसने किसी मंत्री को पुलिस वालों के पहरे में संगम में स्नान करते देखा। मैंने स्वयं स्नान किया और मेरे और साथियों ने स्नान किया परन्तु हममें से किसी ने यह नहीं देखा कि कोई डी०वाई०एस० पी० किसी मंत्री को स्नान करवा रहा हो। धर्म के नाम पर, सभ्यता के नाम पर यदि कोई बात कही जाय, तो सच्चाई से और ईमानदारी से कह देने में सुविधा होती है और साहस मिलता है। मैं यह फिर निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी भयंकर दुर्घटना हुई और उसका अन्दाजा वही कर सकते हैं, जो तड़प चुके हैं। मेरे सामने उन अमेरिकन स्त्रियों ने कहा था कि "हमने न्यूयार्क में लोगों को मरते हुये देखा है, शायद जितने यहां मरे हैं, न्यू यार्क में अधिक मर जाते हैं, लेकिन वहां की दुर्घटना में और यहां की दुर्घटना में इतना अन्तर है कि वहां इतनी रेलिजिस फ्रेंजी नहीं रहती है"। इस प्रकार इतनी बड़ी भीड़ का कोई शक्ति शांतिपूर्वक नियंत्रण नहीं कर सकती है। समय हो रहा है। मैं एक बात पुनः माननीय राजनारायण जी से और अन्य मित्रों से कहना चाहता हूं कि इस दुर्घटना के सम्बन्ध में राजनीतिक वातावरण न गन्दा किया जाय। नागे बुरे हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक नागे उनसे भी बुरे होते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत गौर से उन माननीय सदस्यों के भाषण सुने जो कुम्भ मेले में इलाहाबाद में हाजिर थे। मुझे पहले इसी बात का ताज्जुब हुआ कि यह महानुभाव जो उस जगह पर उस वक्त थे और जिन्होंने उन दृश्यों का वर्णन किया वे कैसे बच करके आ गये (हंसी)। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है जिस पर मैं समझता हूं कि कोई हंसी की बात नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—ऐसे लहजे में आप कोई बात न कहें तो हंसी न होगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं आज हंसी की बात कहना नहीं चाहता हूं, पर हमारे कुछ साथी यह न समझें कि मैं कटुता से कुछ कह रहा हूं। मैं इलाहाबाद में नहीं था। प्रश्न यह है कि आया यह दुर्घटना जो इलाहाबाद में हुई यह बच सकती थी या नहीं और यह कैसे हो गयी। दूसरा प्रश्न यह है कि जब यह दुर्घटना इलाहाबाद के अन्दर हो गयी थी और हमारे इस प्रान्त के माननीय मुख्य मंत्री जी, हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति, माननीय राजेन्द्र बाबू उस इलाहाबाद में तीन चार मील की दूरी पर थे, तो क्या शाम को जो चाय की पार्टी वहां पर दी गयी, उस वक्त तक इन हमारे देश के बड़े-बड़े महारथियों को उस दुर्घटना की कोई सूचना नहीं मिली थी? अगर उस दुर्घटना की सूचना हमारे महा-रथियों को नहीं मिली थी, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? माननीय परिपूर्णानन्द जी वहां पर थे, माननीय राजनारायण जी वहां पर थे, माननीय केशव पांडेय जी वहां पर थे, और श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी साहब इलाहाबाद के मेम्बर वहां पर थे, क्या इनका यह फर्ज नहीं था कि माननीय प्रधान मंत्री को इस बात की सूचना देते कि आज इलाहाबाद के अन्दर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गयी है। किसकी जिम्मेदारी है? मैं मानता हूं कि सारा इन्तजाम अच्छा था, ९ तारीख तक का इन्तजाम बहुत अच्छा था।

रेलें भी ठीक चल रही थीं । यह तीन तारीख के लिये सारा इन्तजाम इलाहाबाद में किया गया था। लाखों, करोड़ों रुपया खर्च हुआ। ५० लाख आदमी, कहा जाता है कि इलाहाबाद के अन्दर आये और उसमें से करीब दो लाख आदमियों पर ही सारा रुपया खर्च किया गया और ४८ लाख गरीब जनता जो इलाहाबाद में पहुंची हुई थी उनकी सुविधा के लिए सरकार ने क्या इन्तजाम किया ? जिस तारीख को वे नहाने आये थे उसी तारीख को अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन बिगड़ गया। जिस तारीख के इन्तजाम के लिये सारा रुपया हमारा खर्च हुआ था उसी तारीख को सरकार का सारा इन्तजाम उखड़ गया। फिर क्या जरूरत थी इन सब तारीखों की। अमरीकन्स तारीफ कर गये कि बहुत अच्छा इन्तजाम था। मंत्री लोग और बड़े-बड़े अफ़सर जो मोटर पर घूम गये उन्होंने कहा होगा कि बड़ा अच्छा इन्तजाम हुआ। जरा उन आत्माओं से पूछिये, अगर और कोई भी इस सरकार को बधाई नहीं देता हो तो वे आत्माएं जो हजारों आदमी उस दुर्घटना में मर गये वह तो कम से कम सरकार को धन्यवाद देते ही होंगे कि इस कुम्भ में बिना नहाये ही बैकुंठ चले गये और कुछ चन्द हमारे बड़े-बड़े नेता जो उधर से बोल रहे थे, जो सरकार को बधाई दे रहे थे, पुलिस को बधाई दे रहे थे कि बहुत अच्छा इन्तजाम हुआ वह दो आंसू साथ-साथ उन लोगों के लिए जो कुम्भ में मर गये बहाते जाते थे।

हम उसके लिये किसी को दोष नहीं देते। उस दुर्घटना का हम कोई पोलिटिकल प्रोपैगेंडा नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि बनारसीदास जी ने कहा कि उनके लिये तो बड़ा दुर्भाग्य था और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात हो गयी। मुझे उनके मुंह से इन शब्दों को सुनकर बड़ा दुख हुआ। सौभाग्य हमारा नहीं है और न उनका। दुर्भाग्य है इस देश और प्रान्त का कि इतने बड़े कुम्भ के अवसर पर जहां पर सारे महारथी इकट्ठे हुए वहां पर ऐसी दुर्घटना हुई और चार मील दूर होने पर भी उनको सूचना नहीं मिल सकी। टेलीफोन नहीं थे तो घोड़े पर चले जाते। हमारे स्वशासन मंत्री, मैंने सुना कि घोड़े पर सवार थे और घूम रहे थे कुम्भ में, कुम्भ का इन्तजाम देख रहे थे। वहीं चले गये होते। माननीय गौतम जी से मेरा मतलब है। कुछ तो इत्तला होती और अगर इत्तला नहीं हुई तो किसका कसूर है और अगर इत्तला हुई दुर्घटना की तो दावत नहीं होनी चाहिये थी। पाकिस्तान के अन्दर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें तीन सौ आदमी मरे उस समय सारी दावतें वहां रोक दी गयी थीं। हमारे हाई कमिश्नर की दावत होने जा रही थी वह भी स्थगित कर दी गयी। मैं मानता हूं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अगर जवाहरलाल जी को मालूम होता, राष्ट्रपति को मालूम होता तो कभी वह उसमें नहीं आते बल्कि पहले वह शख्स होते जो उस जगह पर जाते जहां लोग मरे हुए थे। इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इन्तजाम गलत था। पुलिस वाले नहीं चाहते थे कि इत्तिला दें कि इतने आदमी मर गये। उनका यह तरीका था कि लाशों को गंगा में बहादो, तितर-बितर कर दो, फिर प्रधान मंत्री आयेंगे तो दो-चार, दस-पांच लाश दिखा देंगे कि यही, इतने आदमी, मरे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री की मंशा थी, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी काम करते थे उनकी मंशा थी। सारी सरकार वहां पर थी। दो करोड़ रुपया खर्च हुआ, जो कि वसूल काफी हो गया होगा, क्योंकि टैक्स काफी लगे। एक अफसर गया तो सारी पलटन उठा कर ले गया। कोई विभाग नहीं छूटा था सरकार का जो वहां न गया हो। सरकार का इतना बड़ा अमला होते हुए इतनी बड़ी दुर्घटना होती है और हमारे मुख्य मंत्री आदि को खबर भी नहीं होती ? जैसा कि मोहिले जी ने कहा कि पानी तक न दिया जा सका। मैं समझता हूं कि मननीय केवश पांडेय भी अपनी जान छुड़ा कर लाये, परिपूर्णानन्द जी ने भी कोशिश की इन्तजाम में भाग लेने की। मैं किसी की नियत पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। हमारी इच्छा नहीं है कि यह कहें कि गवर्नमेंट ने इरादतन यह दुर्घटना करायी और पुलिस अफसरों का इरादा था कि ऐसा हो। यह फिजूल कहा जाता है कि हमारी तरफ से इस किस्म का कोई प्रोपेगेंडा

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

है। यह बिल्कुल गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना तो यह है कि पहले तो उस खंड को जरूर देखना चाहिए था। जब आगे से भीड़ वहां पर रोक दी गयी थी तो पीछे से जो भीड़ आ रही थी उसको भी पहले रोक देना चाहिये था। लोगों का यह कहना भी ठीक है कि कोई पुलिस का कर्मचारी नहीं मरा। हमारे प्रान्त के इतने बड़े-बड़े प्रतिनिधि वहां पर थे किसी का नाम अखबारों में नहीं पढ़ा, कोई वहां पर नहीं मरा। यह दुर्घटना हो गई।

माननीय राजनारायण जी की एक मांग थी, उस संशोधन में है कि जो ऐसी कमेटी बैठाई जाय उसमें बाहर के प्रतिष्ठित लोग भी हों और उसमें केवल यही न हो कि क्या किया जाय जो आगे फिर कभी ऐसी दुर्घटना न हो बल्कि इस बात पर भी विचार किया जाय कि आखिर इस दुर्घटना के लिये दोषी कौन है। बहुत सी हंसी की बातें यहां पर की गईं। किसी ने कहा कि राजनारायण जी तो नागा लगते हैं। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर, अध्यक्ष महोदय, जहां पर हजारों आदमियों की जानें गईं, हमारे बहुत से मासूम बच्चे चले गये ऐसे विषय पर इस सदन के अन्दर हंसी की बातें सुनकर, अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख होता है। वैसे मैं हंसी में कभी पीछे नहीं रहता हूं, लेकिन इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिस पर हम सबका एकमत है ऐसी हंसी की बातें करना ठीक नहीं है। आज सरकार इस बात को मान ले कि दुर्घटना हो गई, दैवयोग से ही सही।

माननीय परिपूर्णानन्द जी ने अभी कहा कि साहब, कोई यह तो बताये कि किसी मिनिस्टर साहब के नहाने में पहरा था। मुझे एक साहब तसवीर दिखला रहे थे, मैं उसे दिखलाना चाहता था, उनसे मांगा भी, लेकिन उन्होंने दी नहीं, उसमें एक मंत्री महोदय नहा रहे थे तो पुलिस वाला खड़ा हुआ था जो कहा जाता है कि पहरेदार था। अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी चाहें तो मैं उनको दिखा सकता हूं। लेकिन अगर मंत्रियों के पहरे का इन्तजाम किया गया तो कौन सी बुरी बात थी। मैं तो यह कहता हूं कि उसमें कोई बुराई की बात नहीं थी। रक्षा तो की ही जाती है। हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री नहा रहे थे भले ही उनकी जान आपके लिये महत्वपूर्ण न हो मगर इस राष्ट्र के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उनकी रक्षा के लिये दो पुलिस वाले खड़े हो गये तो कौन सी बुराई थी। ऐसी छोटी-मोटी बातों पर हमें नहीं जाना चाहिये। मैं तो कहता हूं कि अगर उनकी रक्षा के लिये पुलिस का इन्तजाम नहीं था तो बदइन्तजामी थी। हमारे प्रधानमंत्री गंगा में नहाते हों और पुलिस कोई इन्तजाम न करे, बड़े शर्म की बात है। अगर ऐसा नहीं था तब ग़लती है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि हमारे बहुत से भाई इतने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को हंसी में टाल देना चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि पोलिटिकल प्रोपेगैंडा के लिये यह कहा जाता है। आखिर कौन सा पोलिटिकल प्रोपेगैंडा होता है? जो मर गये उनके वोट तो उन्हीं को मुबारक हों। हम नहीं चाहते उनके वोट, अगर वोट का कोई सवाल हो। अध्यक्ष महोदय, मैं भी संक्रान्ति के रोज इलाहाबाद नहाने चला गया था। वहां देखा कि पंचायत राज का प्रोपेगैंडा चल रहा है। भला उस मेले में कौन देखता है कि पंचायत राज में क्या हो रहा है। क्या जरूरत थी इसकी, क्या जरूरत थी प्रदर्शनी की? वहां आवश्यकता इस बात की थी कि जितना रुपया सरकार ने इन सब पर खर्च किया वह देती सेवा समितियों को तथा ऐसे कामों के लिये खर्च करती, ताकि जो हमारे यात्री जाते उन्हें सुविधा मिलती और अच्छी तरह से स्नान कर पाते। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये कोई कटुता नहीं लाना चाहता हूं पर मैं आज भी कहता हूं कि सरकार को इसको कबूल कर लेना चाहिये कि बड़ी भारी दुर्घटना हुई और इसकी शाम तक इत्तिला नहीं हुई कि ऐसी दुर्घटना हो गई है। अगर इसकी इत्तला हो गई होती तो मुझे पक्का विश्वास है कि देश के प्रधान मंत्री इस

दावत में कभी नहीं जाते और बन्द करवा देते, लेकिन इत्तला नहीं हुई और इसका सारा दोष इस सरकार के कर्मचारियों के ऊपर है, इस सरकार के ऊपर है, हमारे इलाहाबाद के जितने एम० एल० एज० और एम० पीज० हैं उन लोगों के ऊपर है, उनको इत्तला करनी चाहिए थी। वे यहां पर आकर कहते हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया। इलाहाबाद के अन्दर आपने बड़ा कमाल कर दिया। वहां पर घपला होते ही जब आपने देखा कि बच्चे मर रहे थे, हमारे श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी साहब कह रहे थे कि उन्होंने देखा परिपूर्णानन्द जी कह रहे थे कि उन्होंने देखा कि बच्चे मर रहे थे, तो जब देखा तो जवाहरलाल जी के पास जाते और कहते कि इतने लोग मर गये। इसकी सूचना अध्यक्ष महोदय, किसी ने नहीं दी और सदन में इन्हीं बातों पर कटुता लाने की कोशिश की गई। हमारे माननीय नेता के ऊपर आक्षेप करने की कोशिश की गई। मैं यह नहीं कहता कि माननीय मुख्य मंत्री को दुःख नहीं हुआ होगा, माननीय गृह मंत्री को दुःख नहीं हुआ होगा, इसी तरह से हमारे माननीय विरोधी दल के नेता को भी उसको देख कर बड़ा दुःख हुआ और कोई प्रोपेगंडा के लिहाज से हमने यह बात नहीं कही। जब भी हम कोई बात उठाते हैं तभी कहा जाता है कि हम प्रोपेगंडा के लिए कह रहे हैं। दूसरा दल कहता है कि यह राजनीतिक चालें हैं। जनता को उभाड़ रहे हैं। आप जिससे चाहें पूछें, वह एक ट्रेजेडी तो हुई ही। अगर उस ट्रेजेडी के बाद वह दावत न हुई होती तो शायद यह इतना दुख न हुआ होता। उसके बाद म्यूजिक का प्रोग्राम होता है। वह तो ऐसा समझते हैं कि जैसे हैजे के अन्दर कुछ आदमी मर गये। इसीलिए हमें बहुत दुःख है। जब सरकार अपनी गलती को नहीं मानती है तो हमें और दुःख होता है। मैं ज्यादा न कह कर यही कहूंगा कि सरकार इसको स्वीकार करे और जो लोग दबी हुई आवाज से सरकार की तारीफ कर रहे हैं उन्हें भी इस बात की कम से कम सफाई हो जाय कि जरूर गलत इन्तजाम था और सरकार इसकी जिम्मेदार है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे सामने आये हैं उनकी शब्दावली में और उनके सम्बन्ध में बोलने वालों के शब्दों में जहां तक कि मरे हुए लोगों के और उनके परिवारों के प्रति संवेदना और दुःख का भाव प्रकट किया गया है वहां तक निश्चय ही मेरी उनके साथ सहमति है और कल यह सदन इस विषय में अपनी सम्मति को प्रगट भी कर चुका है। परन्तु इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये कि इन संशोधनों के मैं विरुद्ध हूं।

एक घटना हुई, दुर्घटना हुई, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई इसमें कोई सन्देह नहीं। इसके सम्बन्ध में हमको गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो कुछ थोड़ा बहुत मैं कहूंगा उसमें उस प्रकार की कोई मनोरंजन की सामग्री नहीं होगी जो कि इस सदन को कुछ और भाषणों में प्राप्त हुई।

विरोधी दल के माननीय नेता ने यह कहा कि जो घटना हुई उससे उनका हृदय व्यथित है। मैं इस बात को मानता हूं मैं आशा करता हूं कि वह भी इस बात का विश्वास करेंगे कि मैं और मेरे ऐसे लोग जिनका गवर्नमेंट से सम्बन्ध है उनका हृदय भी व्यथित है और उनसे कुछ अधिक व्यथित है। जो तकलीफ हमको हो रही है उसका अनुमान वही व्यक्ति कर सकता है, जिसने किसी अवसर पर एक बड़ा आयोजन बड़े परिश्रम के साथ किया हो और ऐन मौके पर, आखिरी वक्त में कोई ऐसी छोटी सी बात पैदा हो जाय जिससे सारे किये कराये पर पानी फिर जाय। इसका अन्दाजा महज आलोचना करने वाला नहीं कर सकता। एक आयोजन हुआ। इस पार्टी ने किया या उस पार्टी ने किया। इसका सवाल नहीं। देश के स्वतन्त्र होने के बाद एक बहुत बड़ा अवसर आया, एक इतना बड़ा मेला हुआ जिसके जोड़ का मेला आज तक संसार में कहीं नहीं होता और न इधर हुआ। उसके लिये जो इन्तजाम किया

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

गया उससे २ तारीख तक ऐसा विश्वास हुआ कि सारी चीज खूबसूरती के साथ पूरी हो जायगी। लेकिन ३ तारीख को ऐसी बात हो गई, जिसकी वजह से सारे किये कराये पर पानी फिर गया। इससे जो तकलीफ हमें हुई है उसका अन्दाजा दूसरे लोग कर सकते हैं या नहीं यह भी मैं नहीं कह सकता। श्री राजनारायण जी ने कहा कि उनको निजी रूप से कष्ट है। उनके कुछ मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे जिनको भी कुछ क्षति पहुंची होगी। मैं अपनी बाबत इतना कह सकता हूं कि इस किस्म का अनुभव थोड़ा सा मुझको भी है। मेरे लड़कपन के एक साथी और मेरे एक रिश्तेदार की लड़की काफी बड़ी उम्र की ३ तारीख से खोयी हुई है। उसका कुछ पता नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि अब उसका पता लगेगा या नहीं। क्या हुआ मैं नहीं जानता। लेकिन इस अनुभूति के कारण मैं अपने दिमाग का सन्तुलन खो बैठूं और किसी प्रकार प्रदर्शन का तरीका अख्तियार कर लूं तो मैं इस योग्य नहीं हूंगा कि मैं इस सदन का सदस्य हूं। जो कुछ भी तकलीफ हो, उस तकलीफ को गम्भीरता के साथ बर्दाश्त करना होगा। और ऐसी कोई बात नहीं होने देनी चाहिए अपनी तरफ से जिससे कि इस सदन की शान के खिलाफ कोई बात महज एक प्रदर्शन के रूप से कही जाय। जो हुआ वह स्वयं बहुत भयानक है, उसको और अपने शब्दों से भयानक बनाने से कोई खास मदद किसी को नहीं मिल सकती।

मैंने, जो यहां पर भाषण दिये गये उनको बड़े जब्त के साथ सुना है। पिछले कई दिनों से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जब्त को कायम रखना कठिन है। एक बात का और जिक्र मैं आपकी अनुमति से कर देना जरूरी समझता हूं। जिस तरह से इन बातों की चर्चा खास करके अखबारों में है उसमें जब्त का कायम रखना काफी कठिन हो गया है। मैं किसी खास अखबार का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन यह कह देना मेरा कर्तव्य है और यदि मैं ऐसा न कहूं तो मैं अपने कर्तव्य से च्युत हूंगा, जिसको नेशनल डिजास्टर कहा जाता है। हमारे कुछ अखबारों, अंग्रेजी और हिन्दी के, दूसरी भाषाओं के अखबारों की बाबत मैं नहीं कह सकता, उन्होंने गैरजिम्मेदारी से काम किया। उसको देख कर दुःख होता है। अखबार के सम्पादक वेदव्यास की गद्दी पर हैं जिसका कर्तव्य लोगों के सामने सच्चाई रखना है। सच्चाई लोगों के सामने इस तरीके से रखी जा सकती है जिससे लोगों में मास हिस्टीरिया न पैदा हो जाय। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि सच्ची बात का प्रिजेंटेशन किस तरीके से किया जा सकता है। मेरे सामने ३ जून का लन्दन का टाइम्स अखबार है। यह मानना होगा कि इलाहाबाद या किसी शहर के हिन्दी या अंग्रेजी अखबार की इतनी लम्बी उम्र नहीं है जितनी लन्दन के टाइम्स की है। पत्रकारिता के जो सिद्धान्त हैं उनको लन्दन टाइम्स से सम्बन्ध रखने वाले जितना अच्छा जानते होंगे उससे अधिक हमारे यहां के लोग जानते हैं ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। इस अखबार में छठें पेज पर वहां की महारानी का जो राज्याभिषेक हुआ उसका वर्णन है। इसमें ७ कालम हैं। उसके देखने से मालूम होता है कि करीब दो मील तक भीड़ जमा थी। कुम्भ की तरह से एक छोटे से क्षेत्र में वह भीड़ नहीं थी। दो मील तक वह भीड़ जमा थी। इसमें लिखा है कि दस हजार ट्रूप्स इन्तजाम कर रहे थे, लेकिन फिर भी दुर्घटना हुई। लेकिन मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि इसमें दुर्घटना का वर्णन किस प्रकार किया गया है। उसको छिपाया नहीं, लेकिन एक संतुलन होता है। सातवें कालम के अन्तिम पैराग्राफ में वह लिखता है— "The total 'casualties' among spectators along the route were stated last night to have been 6,873." जहां १० हजार फौजी सिपाही प्रबन्ध करते हों और लन्दन की पब्लिक जो कायदे कानून को जानती हो, जहां इतना बड़ा प्रबन्ध हो और दो मील तक लोग फैले हों, वहां पर ६,८७३ केजुअल्टीज हो गईं। यह उसमें नहीं लिखा है कि कितने

मरे और कितने घायल हुए। अखबार ने उस इंसीडेंट को सात कालम में एक ही जगह पर दिया है। एक संतुलन की बात होती है। किसी जगह ६ हजार केजु-अल्टीज हुईं इसके मानी यह नहीं कि यहां ८० हजार हो जायं, लेकिन एक चीज होती है कि ऐसी चीजों को किस तरह से सामने रक्खा जाता है, उससे एक चित्र सामने आता है, न कि ऐसा होता है जैसा कि हमारे अखबारों ने किया। एक और संस्करण निकल जाय, हजार दो हजार कापियां बिक जायं, अधिक संख्या देकर जिसका कि कोई प्रमाण नहीं और अगर प्रमाण भी हो तो उसे रखने का एक तरीका होता है। ऐसी बातों को देख कर जब्त का रखना बहुत कठिन है। फिर भी आशा की जाती है कि चाहे बाहर कितनी ही गैर-जिम्मेदारी की बात हो, लेकिन इस सदन में जिम्मेदारी की बातों को सुनने का अवसर मिलेगा, यहां तो रचनात्मक बातों के सुनने का अवसर मिलेगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मेरी तो वह आशा भी पूरी नहीं हुई। समय थोड़ा है। सब बातों का जिक्र मैं नहीं कर सकता लेकिन फिर भी दो-एक बातों का जिक्र करूंगा। जो आलोचनायें की गईं उनको सुनकर कई बातों का जवाब देना मेरे लिये आवश्यक हो गया है। जो माननीय सदस्य दुर्घटना में मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों देखी और आप बीती बातों का जिक्र किया उसके बाद मेरे लिये कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक ताल्लुक है उसके बारे में मैं क्या कहूं।

श्री मोहिले ने कहा कि इलाहाबाद के लिये यह कोई नई बात तो थी नहीं। कुम्भ वहाँ पर बराबर होते रहते हैं। दो-चार लाख का फर्क होगा। उन्होंने १००, २०० कुम्भ जरूर देखे होंगे, लेकिन जहाँ तक सरकारी रेकार्ड्स हैं, किसी रेकार्ड से पता नहीं चलता कि कभी भी १०, १२ लाख से ज्यादा आदमी जमा हुए हों या किसी कुम्भ में इससे ज्यादा गवर्नमेंट ने खर्च किया हो, किसी गवर्नमेंट की शिकायत की बात नहीं करता। आदमी कम थे तो खर्च भी कम था। लेकिन कभी इतना बड़ा मजमा जमा नहीं हुआ। खर्चे के कुछ थोड़े से आँकड़े मेरे पास हैं। पिछले कुम्भ में ६,२५,१०० रुपये खर्च हुए थे और इस कुम्भ में खर्चे का अन्दाज ५२,०४,८०० रुपये है जिसमें १०,८०,००० रुपये हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया के डिफेन्स डिपार्ट-मेंट को देना है और ४२ लाख प्रादेशिक सरकार ने खर्च किया। इससे अन्दाज हो सकता है कि किस स्केल पर किस तरह से हमको खर्च करना पड़ा। एक बात और है। बहुत सी बातें कही गई हैं। गड्ढे का जिक्र आया। कहा गया कि सड़क रास्ते और फलाँ चीज का प्रबन्ध नहीं किया गया। मैं एक बात कहता हूं कि इतने दिनों से प्रबन्ध हो रहा था। जितनी बातों को फोरसी कर सकते थे कि शायद इसमें गड़बड़ हो जाय उन सब बातों पर गौर किया गया और उनका इन्तजाम किया गया। अगर कोई बात रह गई थी और कोई उसको जानता था तो उसका कर्तव्य था कि वह अधिकारियों का ध्यान उस ओर आकर्षित करता। हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना चाहिये था। क्यों नहीं बतलाया कि इस जगह गल्ती हो रही है? और इतने आदमी मारे जायंगे। अधिकारियों के साथ मेला कमेटी थी। उसके सदस्यों के नाम भी बतलाता हूं जिनको सुनकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह मिनि-स्टरों को खुश करते या यात्रियों को। उनको मिनिस्टरों को खुश करने की परवाह नहीं हो सकती थी। अगर किसी को खुश करने की परवाह हो सकती थी तो वे यात्री ही हो सकते थे। नाम इस प्रकार हैं :—

आनरेरी सेक्रेटरी, हिन्दू महासभा। ज्वाला प्रसाद जी उनको जानते होंगे।

प्रेसीडेंट, प्रयाग बाल सभा। मोहिले जी की तरह इन्होंने भी कई कुम्भ देखे होंगे।

आर्गनाइजिंग सेक्रेटरी, आल इंडिया सेवा समिति,

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

चीफ स्काउट, महानन्द मिशन,
हेड योगी, अक्षयबट टेम्पिल,
सेक्रेटरी, निषाद सभा,
सेक्रेटरी, मजदूर यूनियन,
प्रेसीडेंट, प्रयागबाल एसोसियेशन,
सेक्रेटरी, हरिजन सहायक संघ,
श्री गंगोत्री बाबा,
राय अमरनाथ अग्रवाल,
श्री श्रीराम वाजपेयी,
श्री प्रसिद्ध नारायण अनद,
श्री मसुरिया दीन,
श्री शिवनाथ काटजू,
महन्त जी।

यह लोग ऐसी संस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाले हैं कि जो वहाँ जनता का काफी ख्याल रख सकते थे। उन लोगों का जो अनुभव था वह बहुत काफी समझा गया और क्या प्रबन्ध वहाँ पर होना चाहिये इसके बारे में उनकी राय जरूर ली गयी और वैसा ही प्रबन्ध किया गया। जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई उसके विषय में इन लोगों का कोई भी बयान नहीं निकला है कि हमने कलेक्टर को यह राय दी और उसने हमारी यह राय नहीं मानी कि ऐसा इन्तजाम होना चाहिये। लेकिन अगर उनकी राय नहीं मानी गयी हो किसी भी इन्तजाम के मुताल्लिक, तो फिर इनका कर्तव्य था कि वह इस बात को जाहिर करते और सलाह देते। उन्होंने कोई सलाह नहीं दी जो न मानी गयी हो। चूंकि उनका कोई बयान नहीं निकला, तो यह जाहिर सी बात है और यह मानना चाहिये कि जहाँ तक मनुष्य की बुद्धि जा सकती है वहाँ तक इन्तजाम किया गया।

एक बात और कही गयी कि गड्ढे को पाटा नहीं गया और वहाँ पर लाशों का ढेर हो गया था। यह बात सही है कि गड्ढा था। लेकिन इसकी बाबत किसी ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक भीड़ जमा हो जायगी। जो वहाँ पर हिन्दू सभा के आदमी थे और दूसरी सभाओं के लोग थे उनके दिमाग में भी यह बात नहीं आयी कि इसका पाटना जरूरी है। कम से कम वह लोग भी कई कुम्भों का अनुभव रखते थे। क्या किसी ने भी अपनी आँखों से नहीं देखा कि वहाँ पर गड्ढा है और वह पाटना जरूरी है ? जो वहाँ पर अधिकारी थे और दूसरे लोग थे सचमुच उनको कभी यह आशंका नहीं थी कि इतनी दूर तक लोग जमा हो जायंगे। उसके लिये यह कहा जाता है कि वह लाशों से पट गया था। वह गढ़ा ३० फुट चौड़ा और ४० फुट लम्बा है और उसकी गहराई बहुत कम है। जहाँ तक मुझे मालूम हो सका है, मैं यह कह सकता हूं कि उस गड्ढे को लाशों से पाटने का कोई भी आधार नहीं है और न मैं इस पर यकीन करता हूं कि वह लाशों से पट गया था।

एक सदस्य--आपने देखा था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने उस गड्ढे को देखा है वहाँ पर किसी को भी अनुमान नहीं था क्योंकि वह मेन जगह से बहुत दूरी पर

था, कि वहाँ पर कोई दुर्घटना हो जायगी। इसलिये उसको पाटने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। अब मैं यह सुन रहा हूं कि फलाँ बात होनी चाहिये थी और यह होना चाहिये था और वह होना चाहिये था। जो बात जरूरी समझी गयी और उसका इन्तजाम न किया गया हो तो शिकायत का मौका हो सकता है वर्ना इस प्रकार से कहना कोई माने नहीं रखता है।

एक बात और कही गयी कि रेलवे प्लेटफार्म बनाये गये, लेकिन उन सबसे काम नहीं लिया गया। ६, ७ प्लेटफार्म बनाये गये लेकिन उनसे काम लेने या न लेने से मेले पर क्या असर पड़ सकता था, चाहे मुसाफिर एक से आते या सातों से आते। लेकिन फिर भी रेलवे स्टेशन पर कोई घटना नहीं हुई। रेलवे ने अपने पास से पैसा खर्च करके यह प्लेटफार्म बनाये और बाद में जब उन्होंने समझा कि यह बेकार हैं तो उनको बन्द कर दिया गया। जंकशन जाने के लिये भीड़ हुई लेकिन संगम पर जाने के लिये लोगों की भीड़ नहीं हुई क्योंकि लोग उसको कम जानते थे। प्रयागघाट स्टेशन पर १२२ मुसाफिर मिले और संगम पर ४८ मिले तो फिर इनको रखना उचित नहीं समझा गया। इस वजह से संगम स्टेशन पर जाने के लिये लोगों की भीड़ कम हो गयी और काम नहीं मिला तो उनको बन्द करना पड़ा। जब वहाँ पर स्टाफ रखा गया था तो फिर क्या उनसे काम नहीं लिया जा सकता था। वहाँ पर मुसाफिर नहीं आये तो उनको बन्द कर दिया गया और गवर्नमेंट आफ इंडिया के इन्तजाम से मेरी इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है।

एक बात और कही गयी कि नागा लोगों को बन्द कर देना चाहिये था कि वह अपना जलूस नहीं निकालते। यदि हमने इस बात की कोशिश की होती कि सारे देश में इस बात का शोर मच जाता कि मुगलों के जमाने में और बादशाही जमाने में और ब्रिटिश जमाने में भी ऐसा और किसी जमाने में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वह बात यह सरकार कर रही है कि धर्म के मामले में यह हस्तक्षेप कर रही है कि नागा लोग जिनके पवित्र चरणों के स्पर्श से परलोक बन जाता है, उनके काम में दखल दिया जा रहा है। जो लोग इस बात को समझते हैं उनका यह कर्तव्य है कि देश के अन्दर इस बात का प्रचार करें कि लोग नागा होना बन्द हो जावें या वे अपने मठों के भीतर ही रहें। लेकिन गवर्नमेंट उनका कुम्भ पर आना बन्द कर दे, यह बिल्कुल ग़लत बात है।

यह भी कहा गया कि साहब वहां पुलिस कम थी और सरकारी अफसर उस मौक़े पर कम थे, लाश उठाने के मौक़े पर। जो दो एक सदस्य हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिये। श्री मोहिले जी तो दुर्भाग्य से वहां पहुंचे नहीं, लेकिन एक साहब मौजूद थे जिन्होंने लाशें उठाने का काम खुद किया और अपने स्वयंसेवकों की मदद से किया। श्री परमानन्द शुक्ल, प्रेसीडेंट, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, इलाहाबाद, एक और सज्जन का जिक्र आया, जायसवालजी का। इसमें लिखा है कि" "Supervising arrangements in the Kumbh Sewa Shivir. I too could not for a considerable time become aware of what had actually happened. But when I saw a numbr or injured persons being brought to the North Parade Hospital by volunteers of our Shivir led by Shri Thakur Prasad Verma, Assistant Commandant, I ran down to the place of trgedy. On reaching there I found my colleague Shri Ganesh Prsad Jayaswal and Masuriyadinji, along with the Assistant Director of Health and his associates"

[कुम्भ सेवा शिविर में परिवेक्षण प्रबन्ध---मुझे भी बहुत समय के बाद वास्तविक घटना का समाचार मिला। किन्तु जब जख्मी व्यक्ति हमारे शिविर के स्वयंसेवकों द्वारा जिनका नेतृत्व श्री ठाकुर प्रसाद वर्मा, असिस्टेन्ट कमांडेंट कर रहे थे, नार्थ परेड अस्पताल में पहुंचाये गये, तो मैं दौड़ता हुआ दुर्घटना के स्थल पर पहुंचा। वहां पहुंच कर मैंने अपने साथी श्री गणेशप्रसाद

[डा० सम्पूर्णानन्द]

जयसवाल तथा श्री मसुरियादीन को देखा और वहां पर हेल्थ के असिस्टेंट डाइरेक्टर और उनके साथी भी थे।] इसमें साफ लिखा है कि असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ हेल्थ मौजूद थे अपने आदमियों के साथ। आगे है कि--"In picking up the injured and living persons from heaps of dead bodies and sending them to hospital after preliminary medical aid."

[वे लोग मृत व्यक्तियों के शवों के ढेरों में से जख्मी एवं जीवित व्यक्तियों को निकाल रहे थे और प्रारम्भिक चिकित्सा के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचा रहे थे।]

कुरामिन के इंजेक्शन दिये गये जो इसके लिये अच्छी समझी जाती है और ५०,६० आदमियों को ये इंजेक्शन दिये गये।

अब सवाल यह होता है कि लाशें कितनी थीं। यह भी जिक्र हुआ कि कुछ लोग लाशों को उठा ले गये और उनका कोई जिक्र नहीं हुआ, नहीं तो नम्बर बहुत ज्यादा पहुंचता। एक बात तो है ही कि ३०० और १००० में बड़ा भारी फर्क है, ७०० का। जो लोग १००० की बात करते हैं वे यह जरूर सोचेंगे कि बाक़ी लाशें क्या हुईं। तो यह बात समझ ली गयी कि लोग उठा ले गये होंगे।

"My estimate was about 300 which I perhaps mentioned to Sri Tripathi ji, S. P. The entire operation of removal of dead bodies commenced and ended before my eyes and I am quiet sure no dead body except the four or five mentioned were left there."

[मेरा अनुमान ३०० का था जिसे सम्भवतः मैंने श्री त्रिपाठी, एस० पी० को बताया। समस्त मृत शरीरों को हटाने का कार्य मेरे सम्मुख आरम्भ और समाप्त हुआ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ४ या ५ को छोड़ कर जिनकी चर्चा हुई है, कोई शव वहां नहीं छोड़ दिया गया था।]

उन्होंने कहा है कि वह शुरू से आखिर तक वहीं मौजूद थे और क़रीब-क़रीब वही नम्बर जो कि सरकारी तौर पर दिया गया है वह बतलाते हैं। तो जिस सख्श ने लाशें हटाने का काम किया है उसकी बातों को न मान कर उन लोगों की बात को मानना जो उड़ती पुड़ती बातें करते हैं, इसके बारे में मैं क्या कहूं।

वी० आई० पी० की बात कही गई। हिन्दी में इनको विशिष्ट पुरुष कहा जाय तो शायद वी० आई० पी० का समाधान हो जाता है और मुझे शिकायत इस बात की नहीं है कि प्रबन्ध कुछ ज्यादा किया गया बल्कि हमने कुछ कम किया। विशिष्ट पुरुष कोई आकाश से नहीं टपक पड़ा। आज कोचीन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अपने नये रिश्तेदारों यानी कम्युनिस्ट पार्टी वालों के साथ में मिल कर इलेक्शन लड़ रही है।

एक सदस्य--जो आप ने काश्मीर में किया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर वे इलेक्शन जीत गये और मिनिस्टर हो गये तो वे भी वी० आई० पी० हो जायंगे। अगर दुर्भाग्य से श्री राज नारायण सिंह जी यहां पर मिनिस्टर हो गये तो वे भी वी० आई० पी० हो जायंगे। कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो पदेन वी० आई० पी० होते हैं और कुछ लोग अपने व्यक्तित्व या पब्लिक लाइफ की वजह से भी वी० आई० पी० होते हैं, जैसे जवाहर लाल नेहरू या जय प्रकाश नारायण हैं। ये लोग चाहे जहां जायें उनका मान होगा। दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जिसका फर्ज न हो कि खास-खास आदमियों की रक्षा की जाय। उनके लिये खासतौर का प्रबन्ध करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर कोई ऊंच नीच की बात हो जाती है तो देशों और प्रदेशों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर उसका असर पड़ता है। महात्मा गांधी जब लंदन गये थे तो यह किसे नहीं मालूम है कि उनकी

रक्षा के लिये ब्रिटिश सरकार ने पुलिस के सिपाही लगा रखे थे। यह तो हर गवर्नमेंट का कर्त्तव्य होता है। और उसको इसका पालन भी करना होता है। जो भी कोई गवर्नमेंट होगी उसको यह करना ही होगा। हमारे यहां ऐसे लोग आये जिनको हिन्दू होने के नाते आने का अधिकार था, अगर उनका किसी शासन से भी सम्बन्ध था तो उनको यह भी अधिकार था तथा वहां शासन किस प्रकार का होता है इस बात को देखने का अधिकार उनको था। अगर उनको एक स्थान पर न रख कर अलग-अलग रक्खा जाता तो और भी ज्यादा प्रबन्ध करना होता, इसलिये उनको एक जगह रक्खा गया। यह तो एक बात हुई, लेकिन जो बात कहने की है वह यह है और वाक़या यह है कि हमने यहां जो प्रबन्ध किया वह सचमुच बहुत थोड़ा था। जितनी जरूरत थी उतना नहीं किया, क्योंकि अगर वहां की डायरी देखी जाय तो आपको मालूम होगा कि उससे पहले आर०एस०एस० के कैम्प में क्या भाषण हो रहे थे, ऐसे दूसरे स्थानों पर क्या स्पीचेज हो रही थीं, वहां जो तस्वीरें लगी हुई थीं अगर उनको देखा होगा तो उनको यह मालूम हुआ होगा कि वहां पर यह प्रचार किया जा रहा था कि यह गवर्नमेंट लोगों को गोमांस खिलाना चाहती है। जवाहर लाल जी का एक भाषण बता कर कहा जा रहा था कि उनके भाषण में ऐसी बात कही गयी है। ऐसी झूठी सच्ची बातें वहां कही गयीं और फैलाई गयीं। अगर कोई और मौका होता तो उन पर कार्यवाही की जा सकती थी, कई दफ़ाओं के अन्तर्गत उन पर कार्यवाही हो सकती थी, लेकिन धार्मिक मेला होने के नाते उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन लोगों की तरफ से बार-बार इस बात की कोशिश की गयी कि किसी तरह से झगड़ा खड़ा कर दिया जाय और उनको इस बात का मौक़ा मिल जाय कि सरकार धर्म पर आक्षेप करती है। मैंने एक कमेटी का नोटिस भी पढ़ा। हिन्दू धर्म के नाम पर, आर० एस० एस० के नाम पर, कम्युनिस्टों के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर तरह-तरह की बातें की गयीं। उस कमेटी में सब पार्टियों के लोग थे। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी उसमें शरीक थे। उसमें बताया गया कि हम लोग हिन्दू होने के नाते व्यक्तिगत रूप से शरीक हुये हैं और इसलिये गो रक्षा का हमारा अधिकार है। जब कि इस तरह की सारी बातें वहां हो रही थीं और जनता को हर तरह से उत्तेजित करने का प्रयत्न किया जा रहा था, ऐसी हालत में यह नामुमकिन नहीं समझा जा सकता था कि किसी पर भी किसी समय हमला कर दिया जाता और झगड़ा फिसाद हो जाता। फिर भी हमने कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया। संक्रान्ति तक मैं भी वी० आई० पी० कैम्प में था बाद को पुलिस कैंप में था। १४ तारीख को वहां पर केवल एक संतरी था। बाद को भी एक ही संतरी वहां था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और कोई भी इस बात को साबित नहीं कर सकता कि वी० आई० पी० की सीमा में मेले की पुलिस से सम्बन्ध रखने वाला एक भी जवान रखा गया था। मेले में पुलिस के ३,५०० आदमी थे। लेकिन एक भी पुलिस का आदमी वी० आई० पी० के लिये नहीं लगाया गया। जो इसके विरुद्ध कहा जाता है वह झूठ कहा जाता है। राष्ट्रपति के साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिसका सम्बन्ध कोई भी मेला पुलिस से न था, उसके केवल दो आदमी लगाये गये थे। प्रधान मंत्री के साथ केवल एक सी० आई० डी० का आदमी और मैं ११॥ बजे तक रहा। किसी आदमी के प्रबन्ध के लिये मेला पुलिस का कोई भी आदमी नहीं हटाया गया।

इसके अतिरिक्त वहां के पानी के प्रबन्ध के बारे में भी कहा गया। राज नारायण जी ने इसके सम्बन्ध में बड़ी विचित्र बात कही। उन्होंने कहा और इससे पहले अपने एक बयान में भी निकाला कि सारे मेले में पानी का जितना प्रबन्ध था उनका दो तिहाई प्रबन्ध वी० आई० पी० आफिसरों के यहां था। मेले में कुल संख्या टोटियों की ७५० थी और वी० आई० पी० तथा आफिसर कैम्प में कुल जमा गिन कर १२ थीं।

श्री राजनारायण—बिल्कुल ग़लत फिगर है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेले भर में हैंड पम्प कुल ४५० थे और वी० आई० पी० कैम्प तथा आफिसर कैम्प में कुल जमा २२ थे। यानी १२०० में ३४। अभी तक जो

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

अरिथमेटिक है उसके हिसाब से १२०० का टू थर्ड तो ८०० होता है लेकिन पी० एस० पी० की कोई नयी अर्थमेटिक हो सकती है जिसमें १२०० का टु थर्ड ३४ होता हो। जहां पर कुल ३४ संख्या हो वहां पर यह कहा जाय कि टु थर्ड एम्प वी० आई० पी० कैम्प तथा आफिसरों के खेमे में लगा दिये गये इससे बढ़ कर ग़लत बात और क्या हो सकती है ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर, (श्रीमान् जी, विधान का प्रश्न है।) मैं जानना चाहता हूं कि आपने माननीय मंत्री जी को कितना समय दिया है। मैं समझता हूं कि १५ मिनट समय तो उन्होंने ले लिया है।

श्री अध्यक्ष--माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एक चीज और है जिसका कि चर्चा यहां किया गया। अगर मैं उसका चर्चा यहां न करूं तो भी कोई खास हर्ज नहीं होता। वह है कि गवर्नमेंट हाउस में कोई पार्टी हुई। इसलिये उसका चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेले के इन्तजाम से उसका रत्ती भर भी कोई संबन्ध नहीं है। एक बात यह रही जैसा कि कल श्रीमान् ने कहा था कि उस पार्टी का सम्बन्ध गवर्नर के व्यक्तित्व से है। चाहे आप इस कंस्टीट्यूशन को चिथड़े की तरह से समझ कर रद्दी की टोकरी में भले ही फेंक दें, लेकिन हम तो अपने राष्ट्रपति या अपने राज्यपाल के लिये इस तरह की कोई चीज नहीं कह सकते। एक चीज जो पार्टी के सम्बन्ध में श्री मदन मोहन उपाध्याय जी ने कही वह बिल्कुल ठीक ही कही, ज्यादा समय होता तो विस्तार से कहते, क्या राष्ट्रपति, क्या राज्यपाल, क्या कोई मिनिस्टर, उन्होंने जितनी पार्टी खायी होंगी और जितनी उन्होंने दी होंगी वह बहुत से लोगों को मयस्सर न होंगी। तो उस पार्टी की इतनी बड़ी महत्ता जो दी गयी है ऐसी छोटी छोटी चीजों की तरफ उनकी दृष्टि नहीं जानी चाहिये। यह सही है कि जो यह कहा गया है कि चील को आकाश में उड़ते हुये भी नीचे जमीन पर पड़े छोटे छोटे छिछड़े ही दिखलाई पड़ते हैं।

एक सदस्य--वहां लाशें पड़ी थीं जब कि पार्टी हुई।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर ऐसी कोई बात होती तो दावत कभी नहीं होती। एक बात जो लोग कि इसमें शरीक हुये थे उनकी बाबत भी कही गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी राजनीतिक अखाड़े के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। हम भी इस बात को समझते थे कि अगर ऐसी कोई पार्टी होगी तो उसकी बाबत आक्षेप भी हो सकते हैं। उसी वजह से किसी सहानुभूति के ख्याल से नहीं इस तरह का कोई इन्तजाम किया गया। यह बात बिल्कुल सच है कि इस तरह की कोई खबर नहीं मिली। क्यों खबर नहीं मिली, इस पर विचार कर रहे हैं। गौर कर रहे हैं। मैं अपनी बाबत कहता हूं कि मैं तीन तारीख को तीन बजे इलाहाबाद से चला आया। जैसा कि मैंने कहा कि आनन्द भवन से मैं ११ बजे लौटा और लौटने पर घटना की रत्ती भर भी खबर नहीं मिली। पुलिस कैम्प में मैं था, वहां भी खबर होनी चाहिये थी, लेकिन पुलिस आफिसरों को भी खबर नहीं हुई। एक पुलिस के आफिसर साहब आये और उन्होंने खबर दी कि ऐसा सुनने में आया है कि तीन लाशें निकली हैं। मैंने समझा कि जहां ४० लाख की भीड़ हो वहां ३ लाशें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शाम को रेडियो से मुझे खबर सुनने को मिली कि इस तरह की दुर्घटना हो गयी और यह बिल्कुल सही बात है। पुलिस का काम लाशों को हटाना तथा घायलों को भी हटाना था। और साथ ही यह बात भी थी कि जो जुलूस आ रहे थे उनके लिये भी रास्ता साफ करना था ताकि और कोई भयानक बात न हो जाय। भीड़ लोकलाइज होती जा रही थी। उसके लिये भी इंतजाम करना था। इन सब बातों को करते हुये भी अगर वे सूचित कर सकते तो

अच्छा होता लेकिन फिर भी इन्क्वायरी हो रही है, अगर किसी के खिलाफ कोई बात होगी तो उसको सजा दी जायगी ।

जो लोग मरे थे उनके प्रति आदर दिखलाने का यह तरीका नहीं है कि जो जिन्दा लोग हैं उनको बुरा भला कहा जाय । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पं० यमुना प्रसाद त्रिपाठी जिन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा । वहां के एक पुलिस कांस्टेबिल से लेकर बड़े से बड़े आफिसर ने और छोटे से छोटे आदमी से लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक, मैं एक मिनिस्टर के नाते कहता हूं, एक सिटीजन के नाते कहता हूं कि उनकी जितनी भी तारीफ की जाय उतनी थोड़ी है । हो सकता है कि किसी मौके पर आदमी से गलती हो सकती है, हो सकता है कि एकाएक किसी डिजास्टर के सामने किसी बात में उनकी गलती हो सकती है और किसी बात की इत्तिला उन्हें देनी चाहिए थी उन्होंने नहीं दी परन्तु उनके परिश्रम, उनकी नेकनियती और उनके सेवाभाव में रत्तीभर भी संदेह करना गलत बात है ।

जहां तक कमेटी में नान आफिशियल्स की बात कही गयी है, मैं कुंअर सुरेश प्रकाश सिंह जी से पूछता हूं कि कुंअर सर जगदीश प्रसाद हैं जो उनके ही विचारों के पुरुष हैं क्या वे सरकारी नौकर नहीं थे और क्या अब वे नान आफिशियल नहीं हैं । महज इस वास्ते कि एक गवर्नमेंट सरवेन्ट कभी वह गवर्नमेंट सरवेन्ट रहा है सरविस से अलग होने के बाद भी वह नान आफिशियल नहीं होता, यह गलत बात है, कोई वजह नहीं मालूम होती कि कमेटी पूरा पूरा पता न लगायेगी और कौन कौन दोषी हैं इसका पता लगने पर जो कसूरवार हैं उनको सजा भी हो सकती है और आइंदा इन भयंकर दुर्घटनाओं से बचने के लिये प्रयत्न भी किया जा सकता है । इन शब्दों के साथ मैं इन सब संशोधनों का पूर्णरूपेण विरोध करता हूं ।

श्री महीलाल--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस प्रश्न पर बहस समाप्त की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक एक संशोधन ले लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि श्री रामनरेश शुक्ल के संशोधन "उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को दिया है, हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हैं" में श्री राजनारायण जी के इस संशोधन को रख दिया जाय ?

"किन्तु सदन को खेद है कि:--

माननीय राज्यपाल ने कुम्भ पर्व के महान् अवसर पर जो एक हजार से ऊपर नर-नारियों का संहार हुआ है उसके कारणों पर तनिक भी प्रकाश न डाला और न सरकारी प्रबन्ध की अव्यवस्था, वी० आई० पी० कैम्प की अनावश्यकता, शहर की ओर से तीर्थ यात्रियों के आने-जाने का एक ही मार्ग रखना, बांध के पास पानी, कीचड़ से भरे हुये बड़े गड्ढे का न ढकना, मंत्रियों के गमनागमन पर गंगा पर बने हुये पुलों की भीड़ रोक कर खाली करना, मेला में मोटरों को जाने के लिये मनमाने ढंग पर रोड पास बांटना, गंगा तट के दोनों ओर बड़े अफसरों का कैम्प लगाना, प्रदर्शनी की अनावश्यकता, नेता-निवास शिविर के लोगों की सुख-सुविधा का साधन जुटाने में अधिकारी अफसरों को लगाना, मेला के प्रबंध के लिये आवश्यक पुलिस दल को घटनास्थल पर न रखना तथा पुलिस दल द्वारा तीर्थ यात्रियों पर दमनात्मक कार्यवाही

[श्री अध्यक्ष]

करना और इसके उपरान्त मरे हुये व्यक्तियों के लिये उठाने आदि का समुचित प्रबंध न कर मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों का माननीय राज्यपाल की दावत में शरीक होना आदि आदि त्रुटियों से सदन को अवगत कराया ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—दूसरा संशोधन है श्री महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी का—

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में कुम्भ मेले के अवसर पर हुयी दुखद दुर्घटना को उचित महत्व नहीं दिया ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"परन्तु नम्रतापूर्वक खेद है कि महामान्य राज्यपाल जी ने अपने सम्बोधन में महा कुम्भ दुर्घटना पर उचित विचार प्रकट नहीं किया है" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"कुम्भ मेले में जो घटना घटी है उस पर जो समवेदना श्री राज्यपाल ने प्रकट की है वह उसमें मरे हुये व्यक्तियों, जो असहाय हैं उनके परिवार की सहायता तथा मृत व्यक्तियों के जेवरात और जो सम्पत्ति वहां छूट गयी है, उसके बारे में जिक्र नहीं किया है। सदन यह प्रस्ताव करता है कि निस्सहाय मृत व्यक्तियों के परिवारों की सहायता की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ,
१२ फरवरी, १९५४ ।]

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ व ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४० पर)

जिला रायबरेली में गत तीन वर्षों १९५१, १९५२ व १९५३ में घटित डकैती तथा हत्याओं के मामलों का विवरण—

३१ दिसम्बर, १९५३ तक संशोधित

वर्ष	घटना	कुल संख्या	पता न चला	छूट गया	सजायाब
१९५१	डकैती	३९	६	१६	१७
	हत्या	३०	६	१०	१३
१९५२	डकैती	२२	६	५	८
	हत्या	२५	७	७	८
१९५३	डकैती	२७	३	३	२
	हत्या	३२	६	६	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ व १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३ पर)

जिला सुल्तानपुर में १९५१, १९५२ व १९५३ में ३० नवम्बर तक घटित डकैतियों तथा हत्याओं के मामलों का विवरण—

वर्ष	घटना	घटनाओं की संख्या	पकड़े गये लोगों की संख्या	दंडित हुए लोगों की संख्या	टिप्पणी
१९५१	डकैती	१३	१३१	३९	बाकी बचे आदमी अदालतों द्वारा बरी हुए ।
	हत्या	१८	२१	१३	,, ,, ,,
१९५२	डकैती	१०	९४	५६	बाकी बचे आदमी अदालतों द्वारा बरी हुए ।
	हत्या	१९	४५	२०	,, ,, ,,
१९५३ में ३० नवम्बर तक	डकैती	७	८०	..	४ मामलों में चालान हो चुका है तथा ३ मामलों में जांच हो रही है ।
	हत्या	१३	६२	२	५ मामलों में ३५ आदमियों पर मुकदमा चल रहा है तथा बाकी बरी हो गये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४७ पर)

उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर प्रवर समिति की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश एन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३ प्रवर समिति को विचार के लिये सौंपा गया था। हम लोगों ने जो उक्त समिति के सदस्य हैं उस विधेयक पर विचार कर लिया है और अब हम अपनी यह रिपोर्ट जिस पर हमने अपने हस्ताक्षर भी कर दिये हैं संशोधित विधेयक के साथ प्रस्तुत करते हैं।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा १७ दिसम्बर, १९५३ को प्रवर समिति के विचार के लिये दिया गया था। समिति ने ७ तथा ८ जनवरी, १९५४ को अपनी बैठकें कीं और इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ निर्णय किये। उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर विशिष्ट प्रस्ताव समिति के सामने १० फरवरी, १९५४ को रखे गये। समिति ने उनकी विस्तार से जांच-पड़ताल की और तत्पश्चात् यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिस पर उसी दिन हस्ताक्षर किये गये।

हमने विधेयक के एक-एक खण्ड पर बहस की है और उनके बारे में कुछ संशोधनों के सुझाव दिये हैं। विधेयक में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्णन नीचे किया गया है —

(क) खंड १३ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कलेक्टर को भेजी गयी डिगरियों के संशोधन के विषय में प्रस्तावित धारा १९-ए केवल ऐसी डिगरियों पर ही लागू होगी, जिनकी धनराशि का पहले ही पूरा-पूरा भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) हमारा विचार है कि इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट की वर्तमान धारा २४ के अधीन रहने के कम से कम एक मकान की छूट बनी रहनी चाहिये। इसी बात की व्यवस्था करने के लिए खंड १५ का संशोधन किया गया है।

(ग) हमारा यह मत है कि ऐसे सब मामले जिनमें सम्पत्ति को बन्धक रख कर ऋण का भुगतान करने का प्रस्ताव किया गया था और जिनके सम्बन्ध में बन्धक की स्वीकृति की आज्ञा दी गयी थी और बन्धक रखी गयी सम्पत्ति पर बन्धक को कब्जा भी दे दिया गया था, तय समझे जायें, चाहे मुकद्दमों को स्थगित करने की आज्ञा के कारण तत्सम्बन्धी बन्धक-पत्र का निष्पादन न भी किया जा सका हो। इसी के अनुसार खंड २३ के उप-खंड (क) का संशोधन किया गया है।

(घ) हमारा विचार है कि ऐसे मामलों की कार्रवाई समाप्त समझी जाय जिनमें मुकदमों या वादों को स्थगित करने की आज्ञा देने के समय केवल बन्धों का देना ही बाकी रह गया था। उस दशा को छोड़ कर जब वादों को स्थगित करने की आज्ञा जारी होने के पहले ही संक्रामण-गृहीता (transferee) को कब्जा दे दिया गया हो, ऐसे मामलों को जिनमें जमींदारी सम्पत्ति का हस्तान्तरण किया जाना था, विचाराधीन (pending) समझा जाय।

हमारी राय में इस संशोधित विधेयक को फिर से प्रकाशित करना जरूरी नहीं है।

श्री चरण सिंह, मालमंत्री, सभापति

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य,

श्री नवलकिशोर,

श्री मलखान सिंह,

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी,

श्री पुत्तू लाल,

श्री राधामोहन सिंह,

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव,

श्री भगवान सहाय,

श्री अब्दुल रऊफ खां।

उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया।)

१९३४ की यू० पी० ऐक्ट संख्या २५

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० एन्कमबर्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९३४ को संशोधित करने का

विधेयक

१९३४ की यू० पी० ऐक्ट संख्या २५

यह आवश्यक है कि यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० एन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ का संशोधन किया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—यू० पी० एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा २ में—

(१) खंड (ई) निकाल दिया जाय,

(२) खंड (एच) से (एम) तक निकाल दिये जायं, और

(३) खंड (एम) के बाद निम्नलिखित नये खंड (एन) और (ओ) के रूप में जोड़ दिये जायं :—

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१

(n) a reference to "proprietary rights in land" shall include a reference to compensation and rehabilitation grant payable under and in accordance with the U. P. Zamindari Abolition and land Reforms Act, 1950;

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१

(o) the expressions "compensation" and "rehabilitation grant" shall mean the compensation or, as the case may be,

the rehabilitation grant payable under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and includes in the case of compensation, interim compensation payable under section 29 of the said Act.

३—मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (२) में शब्द "in full under section 23 or section 24 or granted a mortgage under secton 25 or passed orders under section 27 or 28" के स्थान पर शब्द "under Chapter V" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ७ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ९-ए की— यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ९-ए का संशोधन

(१) उपधारा (४) के शब्द 'fail' और 'cancel', के बीच शब्द 'or that it is no longer necessary in cnsequence of the acquisition of estates under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 to continue the appointment of a receiver' रख दिये जायं, और

(२) उपधारा (५) निकाल दी जाय।

५—मूल अधिनियम की धारा ९-सी निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ९ सी का निकाला जाना।

६—मूल अधिनियम की धारा ९-डी में शब्द, अंक और कोष्ठक "(2), (4) and (5)" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "(2) and (4)" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ९-डी का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द : यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ११ का संशोधन।

"such property is transferred to any person under the provisions of sections 24, 25, 28, or 31 or a bond is issued by the Collector to a creditor under section 30 or 31" के स्थान पर शब्द "the debt has been liquidated under Chapter V" रख दिये जायं।

८—मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (७) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १४ का संशोधन।

"(7) If the Special Judge finds that—

(*a*) no amount is due, he may pass a decree for costs in favour of the landlord;

(*b*) an amount is due to the claimant, he shall—

(i) pass a simple money decree, having regard also to the provisions of section 3 of the U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1950 for such amount together with any costs which he may allow in respect of the proceedings in his court and of proceedings in any court stayed under the provisions of this Act together with *pendentelite* and future interest at a rate not higher than 41/4 per cent. per annum; and

(ii) also certify the amount, if any, of such decree which, in accordance with the provisions of section 8 of U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1952, is not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the land lord:

Provided that no *pendentelite* interest shall be allowed in the case of any debt where the creditor' was in possession of any portion of the debtor's property in lieu of interest payable on such debt for the period he was so in possession.

(8) Every decree passed under sub-section (7) shall be deemed to be a decree of a court of competent jurisdiction but shall not be executable within U. P. except under the provisions of this Act."

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १५ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा १५ में शब्द और अंक "Section 14" के बाद शब्द "or section 4 of the U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1952" जोड़ दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १६ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १६ में प्रकार (३) के बाद निम्नलिखित नया प्रकार (३—ए) के रूप में रख दिया जाय—

"Class (3-A). Secured debts which are not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the land lord."

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १८ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा १८ में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"Provided that secured debts which, in accordance with the provisions of section 8 of the U. P. Zamindars Debt Reduction Act, 1952, are not legally recoverable otherwise than out of the compens'ation and rehabilitation grant payable to the landlord shall be recoverable from the compensation and rehabilitation grant aforesaid as though the security had not been extinguished.

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १९ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) The Special Judge shall inform the Collector—

(*a*) of the amount of the secured debt which is not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the land lord in respect of the mortgaged estate; and

(*b*) of the nature and extent of the property mentioned in the notice under section 11 which he has found to be liable to attachment or sale in satisfaction of the debts of the applicant."

१३—मूल अधिनियम की धारा १९ के बाद निम्नलिखित नयी धारा १९-ए के रूप में जोड़ दी जाय :—

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ में नयी धारा १९-ए का जोड़ा जाना।

"Amendment of decrees transmitted to the Collector.

19-A. Where a decree has been passed by the Special Judge before the commencement of the U. P. Encumbered Estates (Amendment) Act, 1953, and the decree not having been already fully satisfied is in respect of a secured debt to which the U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1952, applies, the special Judge shall, upon reduction of the amount of the debt in accordance with the provisions of the said Act,—

(*a*) inform the Collector of the reduction so made; and

(*b*) certify the amount if any, of the decree aforesaid which is not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the landlord in respect of the mortgaged estate; and the decree transmitted to the Collector under section 19 shall be deemed to have been amended accordingly."

१४—मूल अधिनियम की धारा २३ के बाद निम्नलिखित नयी धारायें २३-ए और २३-बी के रूप में जोड़ दी जायं:—

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ में नयी धाराएं २३-ए और २३-बी का जोड़ा जाना।

"Compensation and rehabilitation grant to be placed at the disposal of the Collector.

23-A. The Collector shall require the Compensation Officer and Rehabilitation Grants Officer, as may be necessary to place at his disposal in pursuance of section 70 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the amount of compensatin money and rehabilitation grant payable to the landlord in respect of his proprietary rights in land reported to be liable to attachement or sale under the provisions of sub-section (2) of section 19."

U. P. Act 1 of 1951.

"Liquidation of secured debt recoverable from compensation and rehabilitation gran

23-B. (1) Without prejudice to the provisions of section 8 of the U. P. Zamindars Debt Reduction Act, 1952, the amount or the bonds on account of compensation or rehabilitation grant received by the Collector in pursuance of the requisition under section 23-A shall be expanded or utilised by the Collector in liquidation of the amount of the scured debt which having regard to the provisions of the U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1952 was secured on the proprietary rights in land in respect of which such money has been received.

(2) If any balance out of the compensation or rehabilitation grant received by the Collector in pursuance of the requisition under section 23-A remains in the hands of the Collector after utilising the same in accordance with the provisions of sub-section (1), such balance shall be utilised by the Collector in discharging the debts, other than the debts, referred to in the said sub-section in order of priority."

य० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा २४ का संशोधन।

१५—मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

Realisation of value of debitor's Property and application of proceeds for liquidation of debts.

(1) The collector shall then realise the value of such of the debtor's property, other than proprietary right in land, but including proprietary rights in land in areas which on the 7th day of July, 1949, were included in a Municipality or a Notified area under the provisions of the U. P. Municipalities Act, 1916 or a cantonment under the provisions of the Cantonment Act, 1924 or a Town Area under the provisions of U. P. Town Areas Act, 1914, as shall have been reported by the Special Judge under the provisions of sub-section (2) of section 19 to be liable to attachment or sale :

Provided that the Collector before passing orders under this secton of the sale of any property shall hear any objection which the debtor may have to make to the sale of that property :

Provided also that, notwithstanding any thing in any other section, of this Act, the Collector may, if he considers fit, sell, along with any building disposed of under this section the proprietary rights of the applicant of any land occupied by such building or appurtenant thereto.

Provided further that the Collector shall leave the debtor at least one residential house and necessary furniture thereof if :—

(*a*) the debtor owns such house and furniture and desires to retain it, and

(*b*) such house and furniture is free from any mortgage or charge.

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा २५ से ३४ तक और धारा ३६ से ४२ तक का निकाला जाना।

१६—मूल अधिनियम की धारायें २५, २६, २७, २८, [२९], ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१ और ४२ निकाल दी जायं।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ४४ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा ४४ की उपधारा (१) में—

(१) खंड (ए) में शब्द और अंक "Section 23 or 24" के स्थान पर शब्द और अंक "section 23, 23-B or section 24" रख दिये जायं, और

(२) खंड (बी) और (सी) निकाल दिये जायं।

१८—मूल अधिनियम की धारा ४८ में—

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ४८ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में शब्द "or has granted the mortgage under section 25 or has ordered the payment of instalments under section 27 or 28 or has transferred the whole of the land lord's proprietary rights in unprotected land under section 28" के स्थान पर शब्द और अंक "section 23-B or 24" रख दिये जायं, और

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाय।

१९—मूल अधिनियम की धाराएं ५५ और ५६ निकाल दी जायं।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धाराएं ५५ और ५६ का निकाला जाना।

२०—मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की अनुसूची (schedule) का निकाला जाना।

२१—मूल अधिनियम की धारा ५९ के बाद निम्नलिखित नई धारा ६० के रूप में जोड़ दी जाय—

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ में एक नई धारा ६० का जोड़ा जाना।

"Exercise of powers of the Collector by the Special Judge.

60. The powers exercisable by the Collector under Chapter V may, if the state Government so directs, be exercised by the Special Judge either generally or in any area, as may be specified."

अपवाद (savings)।

२२—जब मूल अधिनियम का कोई भी उपबन्ध इस अधिनियम द्वारा निरस्त, परिवर्तित अथवा संशोधित हो चुका हो तो जब तक भिन्न प्रयोजन न प्रतीत हो ऐसा निरसन, परिवर्तन अथवा संशोधन—

(क) किसी ऐसी बात को पुनः प्रचलित न करेगा जो ऐसे निरसन, परिवर्तन अथवा संशोधन के कार्यान्वित होने के समय प्रचलित या विद्यमान न हो,

(ख) इस प्रकार निरस्त, परिवर्तित अथवा संशोधित उपबन्ध के पूर्व प्रवर्तन (Previous operation) पर अथवा तदन्तर्गत यथाविधि किये अथवा हुए काम पर प्रभाव न डालेगा,

(ग) इस प्रकार निरस्त, परिवर्तित अथवा संशोधित उपबन्ध के अधीन उपार्जित उत्पन्न या भारित किसी अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, अधिभार या दायित्व को प्रभावित न करेगा, अथवा

(घ) उपर्युक्त ऐसे किसी अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, अधिभार, दायित्व के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी उपचार (remedy) अथवा आरम्भ की गई जांच अथवा विधिक कार्यवाहियों पर प्रभाव न डालेगा,

और ऐसे किसी उपचार का अनुपालन हो सकेगा और ऐसी किसी जांच अथवा विधिक कार्यवाहियों का संचालन और समापन इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो सकेगा।

शंकाओं का निवारण।

२३—सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम के किसी उपबन्ध का निरसन अथवा संशोधन निम्नलिखित पर प्रभाव न डालेगा :—

(क) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २५, जो आगे चलकर निकाल दी गयी है के अन्तर्गत अनुदत्त किसी बन्धक का अविरत प्रवर्तन (Continued operations) यदि बन्धक की हुई सम्पत्ति पर बन्धकी (mortgagee) को कब्जा दे दिया गया हो;

(ख) मूल अधिनियम की धारा २७ अथवा २८ जो आगे चलकर निकाल दी गई हैं, के अनुसार आज्ञप्त ऐसी किस्त के भुगतान का दायित्व जो ऋणी द्वारा देय हो अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसी किस्तों अथवा उनके अंश को उक्त अधिनियम की धारा २९ के अधीन मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के अधिकार,

(ग) मूल अधिनियम की धारा ३० अथवा ३१, जो आगे चलकर निकाल दी गई है के अधीन दी गयी बन्धों (Bonds) को जारी करने के लिये आज्ञा का प्रवर्तन अथवा तदन्तर्गत जारी किये गये किन्हीं भी बन्धों की अविरत वैधता (Continued validity)

(घ) मूल अधिनियम की धाराएं ३१, ३३ और ३४ जो आगे चल कर निकाल दी गई हैं के अधीन भूमि में स्वामित्व के अधिकारों के संक्रमण अथवा विक्रय और

(घघ) धारा ३१, ३३ और ३४ के अधीन भूमि में स्वामित्व के अधिकारों के संक्रमण अथवा विक्रय के लिए दी गयी किसी आज्ञा का प्रवर्तन यदि उसके अनुसार यथास्थिति संक्रामण गृहीता (Transferee) या क्रेता (Purchaser) को स्वामित्व के अधिकारों पर भी कब्जा दे दिया गया हो।

(ङ) अवध सेटिल्ड इस्टेट ऐक्ट, १९१७ अथवा यू० पी० इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० में किसी भी बात के होते हुये भी मूल अधिनियम की धारा ४ के अधीन प्रार्थना-पत्र के दिनांक के बाद ऋणी की मृत्यु होने पर मूल अधिनियम की धारा ४० के अधीन उत्पन्न प्रभार (Charge)।

यू० पी० ऐक्ट ७, १९५० की अनुसूची का संशोधन।

२४—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) (संशोधन) और प्रकीर्ण निदेश सम्बन्धी अधिनियम की अनुसूची का पैरा २ (यूनाइटेड प्राविंसेज एन्कमबर्ड एस्टेट् ऐक्ट, १९३४ से सम्बद्ध) निकाल दिया जाय और उक्त अधिनियम की धारा १० के अधीन यू० पी० एन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के चेप्टर ५ के अधीन होने वाली कार्यवाहियों (Proceedings) को स्थगित करने के लिये जारी की गई आज्ञायें निरस्त हो जायंगी।

२५—विचाराधीन किसी कार्यवाही या जांच के प्रति या इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन उपार्जित उत्पन्न या भारित किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के प्रवर्तन के प्रति इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की प्रवृत्ति को सुकर बनाने के लिए कोई न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों का ऐसे परिवर्तनों अथवा परिष्कारों सहित ऐसा अर्थ लगा सकता है जिससे तात्पर्य पर व्याघात न हो और जो न्यायालय अथवा प्राधिकारी के जैसी भी दशा हो समक्ष विषय को अनुकलित करने के लिए आवश्यक अथवा उपयुक्त हो। अनुकूलन के हेतु न्यायालय और अन्य किसी प्राधिकारी के अधिकार।

२६—राज्य सरकार कठिनाइयों और विशेषकर उस किसी कठिनाई को दूर करने के, जो मूल अधिनियम के, उपबन्धों के इस अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम के उपबन्धों में संक्रामित होने के सम्बन्ध में हों, प्रयोजन से आज्ञा द्वारा— कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार।

(क) आदेश दे सकती है कि उक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि पर्यन्त उन अनुकूलनों के अधीन जो परिष्कार, संयोजन अथवा वियोजन (Addition aud omission) के रूप में किये जायं, जिन्हें वह उचित और आवश्यक समझे प्रभावशील होगा, और

(ख) उपर्युक्त प्रकार की किसी भी कठिनता को, जो विनिर्दिष्ट की जाय दूर करने के प्रयोजन से अन्य ऐसे ही अस्थायी उपबन्ध बना सकती है।

उद्देश्य और कारण

राज्य के देहाती क्षेत्रों में जमींदारी के विनाश ने और उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के अधिनियम, १९५२ के पारण ने उन ऋणों की स्थिति को, जो यू० पी० एन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अन्तर्गत मामलों के विषय में थे, बिल्कुल ही बदल दिया है। यू० पी० एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के उन उपबन्धों को हटाने के लिए जो निष्फल और अव्यवहारिक हो गये हैं, तथा अन्य उपबन्धों को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिस्कृत करने के हेतु, यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१२७ एल० ए०—१९५४—८५०।